दशम माला, खंड 5, अंक 48

मंगलवार, 17 सितम्बर, 1991
26 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय - सूची

दशम माला, खंड 5, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 48, मंगलवार, 17 सितम्बर, 1991 /26 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1-39
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	39-40
राज्य सभा से संदेश	40-41
याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण	
(एक) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में संशोधन करने की आवश्यकता	41
(दो) (क) जीवन स्तर, साक्षरता तथा मृत्यु दर के मामले में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच विषमता को दूर करना और	
(ख) कृषि को उद्योग के रूप में माना जाना	41
नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश सरकार को बिलासपुर जिले में हैजे और आंत्रशोथ पर काबू पाने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता श्री खेलन राम जाँगड़े	41-49
(दो) कित्तूर की रानी चेनम्मा की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा	49-50
(तीन) राजस्थान के किसानों को उनकी ओर से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना प्राधिकरण द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान से छूट देने की आवश्यकता श्रीमती वसुन्धरा राजे	50
(चार) जयपुर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान सरकार को	

वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता
श्री गिरधारी लाल भार्गव 50-51

(पाँच) उड़ीसा में चिल्का झील को गाद से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री बृज किशोर त्रिपाठी 51

(छः) काजारा-भागलपुर सैक्शन में किऔल से काजारा तक रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता
श्री ब्रह्मानन्द मंडल 51

(सात) मुम्बई में अन्य राज्यों से आए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने और उनके पुनर्वास का खर्च उनके मूल राज्यों द्वारा वहन करने का आग्रह करने की आवश्यकता।
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन 51-52

(आठ) क्योंझर, बारबिल और कोइरा होते हुए पंणीकली से राजामुंडा तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा 52-53

(नौ) महाराष्ट्र के बसंतगढ़ और सागरेश्वर क्षेत्रों में कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण 53

(दस) बरेली को रेल द्वारा मुंबई तथा दक्षिण भारत के अन्य भागों के साथ जोड़ने और बरेली से रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता
श्री संतोष कुमार गंगवार 53

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के पर्यटक स्थल, देवगढ का पर्याप्त विकास करने की आवश्यकता
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 158

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक 53-55

विचार करने के लिए प्रस्ताव 55-57
श्री कल्पनाथ राय 57
श्रीमती वसुन्धरा राजे 57-62
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 62
श्री सैयद शाहाबुद्दीन 62-65
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 65-68
श्री सुधीर गिरि 68-69
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 69-71
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 71-73
श्री एस० एम० लालजान बाशा 73-74

विषय	पृष्ठ
श्री अयूब खां	74
प्रो० प्रेम धूमल	74-76
श्रीमती गिरिजा देवी	76-77
श्री पवन कुमार बंसल	77
श्री मोहन सिंह	77-79
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	79-80
श्री राम नाईक	80-82
श्री राव राम सिंह	82-84
श्री भगवान शंकर रावत	84-89
खंडवार विचार	89-91
पारित करने के लिए प्रस्ताव	91
श्री कल्पनाथ राय	
डा० असीम बाला	91-93
श्री मदन लाल खुराना	93-94
श्री श्रीकांत जेना	94-95
श्री ई० अहमद	95-96
श्री भोगेन्द्र झा	96-97
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	97-99
श्री एम० एम० जैकब	99
श्री गुमानमल लोढा	99-102
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	102-103
श्री पवन कुमार बंसल	103
श्री विजय कुमार यादव	103-105
श्री पी० सी० चाक्को	105-107
श्री चित्त बसु	107-109
श्री पी० सी० थामस	109-110
श्री सैयद शाहबुद्दीन	110-113
श्री के० राममूर्ती, टिंडिवनाम	113-114
श्री भगवान शंकर रावत	114-117
श्री अजय मुखोपाध्याय	117-119
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	119-120

विषय	पृष्ठ
खंडवार विचार	120-121
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम० एम० जैकब	121
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) "नेशनल पार्लियामेंटरी क्विज" कार्यक्रम में स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में की गई कतिपय टिप्पणी के बारे में	
कुमारी गिरिजा व्यास	125-126
(दो) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचाने के लिये प्रस्तावित उपाय	
श्री मल्लिकार्जुन	129-136
पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प	
श्री एस० बी० चव्हाण	137
लोक सभा की बैठक के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा	141

लोक सभा

मंगलवार, 17 सितम्बर, 1991 / 26 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 .02 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(अनुवाद)

श्री बूटासिंह (जालौर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस मामले को उठा रहा हूं। देश भर में कामगारों की एक श्रेणी को सफाई कर्मचारियों के रूप में जाना जाता है, वे अत्यंत विषम परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में वे गंदे नालों के समीप रहते हैं तथा गांवों में भी उपेक्षित जीवन जीते हैं। उनका मुख्य कार्य झाड़ू लगाना, गंदगी उठाना तथा देहातों में मरने वाले जानवरों के शवों को हटाना है। इस कार्य के उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं तथा वे लोग यह कार्य बपौती में पाते हैं। उनके जीवन यापन की स्थितियां उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं तथा नीच होने का सामाजिक कलंक भी उन्हें सहना पड़ता है।

पिछले कई वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन देश भर में रहने वाले सफाई कर्मचारियों को इनमें से कोई भी रियायत नहीं पहुंच पाई है, यहां तक कि उन्हें तथा कथित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले भी अछूत मानते हैं। अनुसूचित जाति की बस्तियों में भी इन्हें पेयजल लेने की मनाही होती है।

इन लोगों की सेवा शर्तें स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित की जाती है, उन्हें छ: महीनों अथवा एक वर्ष तक भी भुगतान नहीं किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें नकद भुगतान न करके वस्तुओं में भुगतान किया जाता है जैसे छ: महीनों में 50 किलो अनाज दिया जाता है। इन परिस्थितियों में गांवों में आजकल 50 किलोग्राम अनाज पर एक परिवार का भरण-पोषण कैसे किया जा सकता है? देश में कई नगर निगमों के पास सफाई कर्मचारियों के लिए कोई बजट नहीं होता है, उनके पास इंजीनियरों, डाक्टरों तथा अन्य सभी के लिए बजट होता है लेकिन यही एक ऐसा वर्ग है जिसकी वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। दस से पंद्रह वर्षों तक उन्हें अस्थायी अथवा दिहाड़ी के आधार पर रखा जाता है। उनके पास कोई आश्रय, कोई घर नहीं होता है।

दिल्ली में, नई दिल्ली नगर निगम ने उनके वेतन में 66 प्रतिशत की वृद्धि की है, दिल्ली विद्युत प्रदाय निगम ने भी वृद्धि की है लेकिन दिल्ली नगर निगम ने अब तक इसमें वृद्धि नहीं की है। इस बारे में काफी हो ह ुआ है लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन गरीब सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक अध्ययन के लिए जो दिन रात कार्य करते हैं तथा जो अस्वास्थकर परिस्थितिवों में रहते हैं कोई राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए ।

जब उन्हें गटरों में धकेला जाता है तो वे तुरन्त मारे जाते हैं। उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। उन्हें कोई चिकित्सा भी नहीं दी जाती है। उनके लिए शिक्षा की सुविधा भी नहीं है। वे दस-पंद्रह किलोमीटर की दूरी से साईकल पर अपना काम करने आते हैं, उनके लिए कोई परिवहन व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चे उपेक्षित रहते हैं छः या सात बजे सवेरे उनके मां-बाप काम पर चले जाते हैं और बच्चे गली में शैतान किस्म के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं।

वे सभी धर्मों से आते हैं। वे सारे देश में फैले मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों से आते हैं। इसलिए मेरा इस पवित्र सदन से यह अनुरोध है कि वह सरकार को देश भर के इन सफाई कर्मचारियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के बारे में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का निर्देश दे।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री कालका दास (करोल बाग) मैं भी मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारियों के लिए एक विशेष आयोग बनना चाहिए आज आजादी के 40 साल के बाद भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम भी इस मांग का जोरदार समर्थन करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम सब इसका समर्थन करते हैं, सफाई कर्मचारियों के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए और उनकी समस्याओं और मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके जीवन स्तर में सुधार लाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, सफाई कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): सफाई कर्मचारी, यह सामाजिक जो नसैनी बनी हुई है, उसमें सबसे नीचे है। उनकी संख्या कम है इसलिए उन्हें कोई पार्टी लोक सभा में, विधान सभा में टिकट देने में भी उत्सुकता नहीं दिखाती है ...

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): आपकी पार्टी भी

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा भी यही हाल है। इसमें हम और आप बहुत अलग नहीं हैं, कामरेड। मगर हमारे यहां एक बाल्मीकि बैठे हुए हैं, आपके यहां शायद नहीं होंगे।

श्री विजय कुमार यादव : हमारी संख्या भी तो कम है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बूटा सिंह जी ठीक कह रहे थे, मैंने तो दौरे में देखा है कि सफाई के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं, अस्थाई तौर पर, दिहाड़ी पर। 50 रूपये महीने पर काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी मुझे मिला, वह किस तरह से अपना जीवन बिता सकता है? इसलिए मैं नहीं जानता कमीशन बनाने से कहां तक समस्या हल होगी, मुझे क्षमा करें.....

श्री बूटा सिंह: मै मानता हूं कि खाली कमीशन बनाने से कोई समस्या हल नहीं होगी। मैने तो

कमीशन इसलिए मांगा कि कम से कम उनका मूल्यांकन तो किया जाय कि किस हालत में वह रह रहे हैं, किस दयनीय हालत में रह रहे हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए मैंने यह कमीशन की मांग की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन जब तक कमीशन बनता है और उसकी सिफारिशें आती है, तब तक उनकी हालत को सुधारने में जो ठोस कदम उठाये जाने चाहिए, उनको पीछे डालना जरूरी नहीं है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार दिल्ली में क्या कर रही है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बूटा सिंह जी तो गृह मंत्री रहे हैं, दिल्ली के भाग्यविधाताओं में से थे। होता यह है कि जो हम प्रतिपक्ष में बहुत सी बातें कहते हैं, वह सत्ता में भूल जाते हैं। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा ही हो।

(अनुवाद)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): उनकी स्मरणशक्ति अत्यंत कमजोर है उन्हें यह याद नहीं है कि वे एक मंत्री थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: निश्चय ही, उन्हें कुछ न कर पाने पर अफसोस होता है।

(हिन्दी)

श्री बूटासिंह: ऐसा नहीं है। आप आज्ञा करें तो मैं बोलूं। मैं जब होम मिनिस्टर था तो दिल्ली शासन की मीटिंग लेकर बाकायदा हमने दिल्ली के लिए यूनीफार्म सैलरी, उनके 20 हजार मकान सब कुछ किया था लेकिन दुर्भाग्य से वह फाइलें ही गायब हो गई और आज हालत यह है कि दिल्ली में ही नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी की सैलरी और है, डेसू की सैलरी और है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन की सैलरी और है, और डी० डी० ए० ने तो इसको अपने गले से ही उतार दिया। काण्ट्रैक्ट करके इसको एम० सी० डी० में दे दिया। इसलिए जो वाजपेयी जी मुझे कह रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और उसके लिए सदन से क्षमा चाहता हूं, जो मैं नहीं कर पाया।

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी: जैसा कि सदन तथा माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि बंगलादेश विमान इस देश में कलकत्ता से ढाका और अन्य स्थानों के लिए विमान सेवाएं चलाती थी। कलकत्ता में इसका एक कार्यालय था जिसमें 28 कर्मचारी थे, सन् 1989 में इसने अपने कार्यालय को बंद करने का निर्णय किया और अपना कार्य एयर इंडिया को सौंप दिया जो तब से इसका कार्य कर रही है। लेकिन हुआ क्या कि समझौते के अनुरूप बंगलादेश विमान द्वारा छटनी किए गए 28 कर्मचारी, एयर इंडिया द्वारा लिए जाने थे क्योंकि एयर इंडिया उनका कार्य कर रही थी, महोदय, 4 अगस्त, 1988 को कलकत्ता में आयोजित स्टेशन कार्यकरण सुधार संयुक्त समिति की बैठक में यह रिकार्ड किया गया कि बंगलादेश विमान के कार्यकरण को प्राप्त करने के बाद एयर इंडिया को प्रतिवर्ष लगभग 70 से 80 लाख तक के राजस्व की आय होगी और उन्होंने कहा कि वे बंगलादेश विमान द्वारा छटनी किए गए 28 कर्मचारियों को आसानी से खपा सकते हैं और वे इसके लिए सहमत भी हैं। पिछले दो वर्षों से वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इस सरकार तथा पिछली सरकार को बार बार अभ्यावेदन दिए गए हैं। वे इस मामले में तो सहानुभूति बटोर रहे हैं कि हर कोई उनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कहता है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। शायद

भुखमरी के कारण दो-तीन आदमी पहले ही मर चुके है। उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। श्री बूटा सिंह, आपके चुनाव घोषणा पत्र में प्रतिवर्ष एककरोड़ रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, पिछले कुछ महीनों में कमसे कम 25 लाख रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होने चाहिए थे। 25 लाख रोजगारों के अवसरों के बजाय हम केवल इन 27 लोगों को रोजगार देने के लिए कह रहे हैं। वे अपने काम के माहिर हैं। इसलिए मैं सरकार में जोरदार शब्दों में अनुरोध कर रहा हूँ। मैं नही जानता, मंत्री महोदय शायद गोवा में हैं-जहां का मौसम अच्छा है और जगह भी बढ़िया है। लेकिन इन घरने पर बैठने वाले लोगों का क्या होगा? अतः, इसके प्रत्युत्तर में नगर निगम मंत्री को इन लोगों को नियुक्ति देनी चाहिये जिसके लिसे सर्वथा वचनबद्धता है। यह मैं उस बैठक की कार्यवाही के अंश पढ़ रहा हूँ जिसमें क्षमिकों के प्रतिनिधि नहीं बल्कि एयर इंडिया तथा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण आदि के उच्च पदाधिकारी भी उपस्थित थे; और उन्होंने एक निर्णय लिया जिसे लागू नहीं किया जा रहा है। यह एक मानवीय समस्या है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह कम से कम एक करूणामूलक रुख अपनाये। अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। 27 लोगों में से दो की मृत्यु हो गयी है अथवा संभवतः तीन पहले ही मर चुके हैं। यदि आप प्राकृतिक बरबादी पर निर्भर कर रहे हैं, तो अलग बात है। किन्तु, यदि आप लोगों को भूखों मरने पर विवश करके समस्या का हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अलग समस्या है। हम उनसे अपील करते हैं। हम आन्दोलन और प्रदर्शन को और अधिक फैलने देना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कलकत्ता विमान पतन के कार्यकरण में व्यवधान डाला जाए। अतः हम सरकार से इस मानवीय समस्या को सही रूप से सुलझाने का अनुरोध कर रहे हैं। वे बिना कसूर ही पीड़ा भोग रहे हैं। वह एक लाभदायी प्रतिष्ठान है जिसके कार्यालय को समाप्त करके उसे एयर इंडिया को सौंप दिया गया था, जो श्रमिकों को न रख कर मुनाफा कमा रही है। इसलिये, मैं पुरजोर मॉग करता हूँ कि इन लोगों को तुरन्त रोजगार दिया जाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, कलकत्ता विमान पत्तन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है मेरा इस समस्या से ताल्लुक है। मैं मंत्री जी से कई बार मिला हूँ।-अतः इस संबंध में मुझे कुछ तथ्य बताने हैं। तथ्य यह है कि उनकी संख्या अब 25 है। कार्य की प्रणाली ऐसी है कि उसे चलाने के लिये प्रतिदिन लगभग 40 और 50 ठेका श्रमिकों को रोजगार देना पड़ता था। हमने मंत्री श्री माधव राव सिंधिया से कई बार अनुरोध किया है कि चूंकि काम चलाने के लिये उनकी जरूरत है इसलिये उन्हें फिर से काम पर रखा जाये। किन्तु वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वह क्रिकेट और गोवा में ही अत्यधिक व्यस्त प्रतीत होते हैं।

महोदय, इससे पूर्व एअर इंडिया द्वारा इसी तरह का कार्य थाई एअरवेज को अधिग्रहीत करके किया था तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों को एअर इंडिया अधिकारियों द्वारा आत्मसात कर लिया गया था। एक समझोता हुआ था और वह यह था कि बंगलादेश विमान को एअर इंडिया से कुछ रियायतें मिलेंगी क्योंकि इन 28 लोगों की सेवायें एअर इंडिया को उधार दी जायेंगी। तथापि कुछ समय पश्चात, एअर इंडिया को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही जिसके परिणामस्वरूप बंगलादेश विमान के इन 26 लोगों की छटनी कर दी गई। तर्क यह प्रतीत होता है कि चूंकि वे बंगलादेश विमान कर्मचारी हैं इसलिये एअर इंडिया उसके लिये उत्तरदायी नहीं है। एअर इंडिया के अधिकारीगण ने तो मंत्री जी को यही बताने की कोशिश की है और मंत्री जी के भोलेपन पर मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है।

ऐसा हो रहा है। 500 दिन का धरना दिया गया है। पिछली बार, जब जनता दल मंत्रीमण्डल था तो मैं नगर विमानन मंत्री के साथ था। मैंने उनसे भी बात की थी। करीब उसी दिन अथवा उस सप्ताह में, श्री वी० पी० सिंह सहमत हो गये, जब कि कलकत्ता जाते समय, उनके मंत्रिमंडल का पतन हो गया। दुर्भाग्यवश, तभी से मैं कोशिश कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय: आपको कितना समय चाहिये?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं संक्षेप में बोलूँगा। किन्तु मेरे भाषण की संक्षिप्तता की 500 दिनों के धरने और कम से कम तीन बंगलादेशी कर्मचारियों, जो इस बीच मर चुके हैं, के जीवन के सन्दर्भ में कल्पना करिये।

खेदजनक बात यह है कि इन 25 बाकी बचे कर्मचारियों ने भी, जीवित रहने हेतु सिगरेट आदि बेचने वाली ट्राली सेवा शुरू की। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी को उनके बारे में तत्काल सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। यदि मंत्री जी असफल हो जाते हैं तो हम प्रधानमंत्री से मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट): महोदय यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न है। जो व्यक्ति मरे हैं जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने उल्लेख किया है वे बारसाट के थे, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वे भूख से मरे हैं। यह एक मानवीय समस्या है। यह राजनैतिक रूप से विचार का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

मैंने पाया है कि महज अपने को जीवित रखने के लिये उन्होंने विमान पत्तन के द्वार पर एक चाय का स्टाल शुरू किया था। कोई भी यह देखना नहीं चाहेगा कि विमान पत्तन गंदा रहे। कोई यह नहीं चाहता कि विमान पत्तन का रख रखाव ढंग से न हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बात पहले ही कही जा चुकी है। मैं नहीं समझता कि ज्यादा सदस्यों (के बोलने) की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु: इसलिये मैं यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूँगा कि इन 25 कर्मचारियों को सेवा में बहाल किया जाये ताकि वे जीवित रह सकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री राम नाईक का वक्तव्य कार्य वृतान्त में सम्मिलित किया जाये।

(हिन्दी)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष जी, 3 दिन पहले 14 सितम्बर को देश में हिन्दी दिवस मनाया गया कि हिन्दी का विकास हो, सम्मान हो और उसके साथ-साथ राज्य भाषाओं का भी सम्मान हो, इसके लिए हिन्दी दिवस मना रहे हैं। इस संदर्भ में जिस महानगर का यहां प्रतिनिधि बन कर आने का मुझे सौभाग्य मिला है, मैं एक विषय आप के जरिये सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे शहर का नाम मुम्बई है, लेकिन कई लोग हिन्दी में बम्बई कहते हैं। अंग्रेजों को भारतीय शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से नहीं करना आता था, इसलिये उन्होंने मुम्बई का नाम बम्बई किया।

भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी भाषा में राज्यों की जो सूची है, उसमें मेरे राज्य का नाम मुम्बई ही लिखा हुआ है। उस समय पर महाराष्ट्र या गुजरात नहीं थे, मुम्बई राज्य था। मैंने गत लोक सभा के अध्यक्ष श्री रवि राय जी को इस सम्बन्ध में निवेदन दिया था, उन्होंने उस पर विचार करके 12 अप्रैल, 90 को लोक सभा में मेरे शहर का नाम हिन्दी में मुम्बई कहना चाहिए ऐसे आदेश निकाले। इसके बाद राज्य सभा, अध्यक्ष को भी मैं मिला, उन्होंने भी मेरी बात स्वीकार की और राज्य सभा में भी हिन्दी में मुम्बई का उपयोग हो रहा है। अध्यक्ष जी, निर्वाचन आयोग के साथ भी मैंने चर्चा की और उन्होंने 6 जून, 90 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम उत्तर मुम्बई करने के आदेश निकाले। टी० वी०, दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी हिन्दी में मुम्बई का उपयोग शुरू हुआ। दूरदर्शन पर जो दैनिक मौसम आता है उसमें चार महानगरों के नाम आते हैं उसमें भी मुम्बई का उपयोग शुरू हुआ था।

हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों को हिन्दी का उच्चारण अच्छी तरह से करना नहीं आता था, इसलिए कई शहरों के नाम बदले गए, जिसको आजादी के बाद दुबारा मूल नाम पर लाया गया। जैसे बरोड़ा का वड़ोदरा, मुत्रा का मथुरा हुआ गौहती का गुवाहटी हो गया मीरत का मेरठ हो गया, बनारस का वाराणसी हो गया, पुणा का पूणे हो गया, इस तरह से कई नाम आजादी के बाद बदल दिए गए और जो फिर से मूल भाषा में आए हैं, लेकिन हमारे मुम्बई का ऐसा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मुम्बई विशेष नाम है इसलिए ग्रामर की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से इसका भाषांतर नहीं होना चाहिए। व्याकरण के बहुत सरल नियम हैं, जिनके अनुसार जैसे मेरा नाम राम नाईक है तो किसी भी भाषा में हिन्दी में, मराठी में, गुजराती में या अंग्रेजी में, सब में मेरा नाम राम नाईक ही रहेगा। इसलिए इस तरह से मुम्बई का नाम बदल कर व्याकरण के विरुद्ध काम किया जा रहा है। मुम्बई महापालिका और महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में केन्द्र सरकार को लिख कर दिया है कि अंग्रेजी में मुम्बई शब्द का ही उपयोग होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास केरल राज्य का एक नोटीफिकेशन आया है, जिसमें लिखा है कि फरवरी 1990 में उन्होंने 17 स्थानों के नाम बदल लिए हैं। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। जैसे त्रिवेन्द्रम का तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है, क्विलान का कोल्लम, कोचीन का कोची, पालघाट का पल्लक्कड़, त्रिचूर का त्रिसूर, कोनानार का कन्नूर कर दिया गया है। इस तरह से 17 स्थानों के नाम बदलते हुए केरल सरकार ने कहा है कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए जो नाम रखे थे,उनको मूल भाषा में बदला जाना चाहिए और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। विदेशों में भी इसी तरह से किया जा रहा है। सीलोन का श्रीलंका, पेकिंग का बेजिंग, अभी अभी रूस में क्रांति के

बाद लेनिनग्राद का सेंट पिट्रस वर्ग नाम हो गया है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

इसी तरह से यूनाईटेड नेशंस कान्फ्रेंस आफ स्टेंडर्डाइजेशन आफ ज्योग्राफिकल नेम्स द्वारा 1981 में एक नक्शा प्रकाशित किया गया है और उसमें बताया गया है कि कौन कौन से शहरों के कौन से नाम होने चाहिए। उसमें भी अंग्रेजी में मुम्बई दिखाया गया है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि पुराने अंग्रेजी राष्ट्र को बदलना चाहिए और अंग्रेजी में भी मुम्बई करना चाहिए। 1953 में ऐसी कुछ गाईड लाइन्स जारी की गई थी, जिनमें शहरों के नाम बदलने की बात कही गई थी। जब मैंने प्रश्न पूछा कि इसके अनुसार कौन कौन से शहरों के नाम बदले गए हैं, तो 21 अप्रैल 1990 को बताया गया कि शहरों के नाम नहीं बदले गए है, केवल कुछ देहातों के नाम बदले गए हैं।

प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी, दोनों महाराष्ट्र से हैं, इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस पर विचार करें और अंग्रेजी में भी इस शहर का नाम मुम्बई करने का कष्ट करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजबूर होकर हमको आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा।

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर): अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में अब तक कम से कम 2000 से अधिक आदिवासी पेचिश, हैजा, मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर आदि महामारियों से मर चुके हैं तथा लाखों लोग अभी भी बीमार हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने 14 सितंबर को रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बस्तर में जनवरी से लेकर अब तक 700 लोग पेचिस से मरे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई यह जानकारी अपूर्ण है। 800 लोग तो मार्च महीने के अंत तक ही मर चुके थे। मई-जून से बीमारियों ने बीजापुर-कोटा तथा पूरे उत्तर बस्तर में जोर पकड़ा है। बीजापुर तहसील में ही अब तक 500 लोग मर चुके हैं। वहाँ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन बीमारियों से पीड़ित लाखों लोगों को न तो उपचार और न ही कोई राहत पहुंचा पा रहा है।

बस्तर जिले से लगे उड़ीसा के कोरपुर जिले में भी अब तक 700 लोग पेचिश तथा हैजे से मर चुके हैं। वहाँ विशेषज्ञ डाक्टरों ने जांच कर घोषणा की है कि कालरा के ऐसे बैक्टेरिया मिले हैं, जिनकी कोई दवाई देश में उपलब्ध नहीं है। बस्तर और कोरापुर की सीमाएं लगी होने के कारण पूरा खतरा है कि बेक्टेरिया बस्तर आ जाएंगे। ऐसा होने पर हजारों-लाखों आदिवासी बेमौत मारे जाएंगे।

अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बस्तर और कोरापुर दोनों जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे सीधे अपने नियंत्रण में ले और रोगों को फैलने से रोकने हेतु कारगर उपाय करे। इस मामले को विशेष समझकर कानूनों और राज्य सरकार के अधिकारक्षेत्र जैसे मुद्दों से अलग समझ कर हल किया जाए अन्यथा लाखों आदिवासियों का भविष्य खतरे में है।

(अनुवाद)

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, इस समय कपास का उत्पादन केवल हमारी घरेलू आवश्यकताओं को ही पूरा करने में सक्षम है। किन्तु कपास और सूती धागे के अंधाधुंध निर्यात से भारतीय बाजार में कपास और सूती धागे की भारी कमी हो गई है। इस कारण भारतीय बाजार में सूती धागे की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप हथकरघा उद्योग संकट में

है। देश में हर जगह बुनकर बेरोजगार हैं। खासकर तमिलनाडु में और विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र, गोबिचेट्टिपालयम में।

इसलिए मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ कि कोई भी निर्यात करने से पहले कपास की घरेलू मांग की पूर्ति की जाये।

(व्यवधान)

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर): अध्यक्ष महोदय, उन्होने कोरापुर के बारे में उल्लेख किया है जो कि बस्तर जिले से सटा है। उन्होने कहा है कि लगभग 700 लोग मर चुके हैं। मैं कहुंगा कि कोरापुर जिले में 700 लोग नहीं बल्कि 7000 लोगों की मृत्यु हुयी है।

कल, मैं उड़ीसा के भूतपूर्व-मुख्यमंत्री से मिला था उन्होंने मुझे सूचित किया कि मरने वालों की संख्या लगभग 7000 है।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़): महोदय, यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने दीजिए। वह बोल रहे हैं। आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री के० प्रधानी: वे केवल महामारी से ही नहीं बल्कि अंशत: भुखमरी और कुपोषण के कारण भी मरे हैं। उस क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम के आंदोलन तथा रेलवे रेकों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं की जा रही है। मैंने आपको एकाधिक बार मिलकर बताया था कि कोरापुर जिले में ये अनियमितताये हो रही हैं। मैं दो-तीन बार प्रधानमंत्री से मिला। मैंने मुख्यमंत्री को अनेक पत्र लिखे। यह शर्म की बात है कि भारतीय खाद्य निगम के लोग 7 अक्टूबर, 1991 से फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं। यदि यह हकीकत बन जाती है तो आदिवासी क्षेत्रों में मृतकों की संख्या सात हजार नहीं बल्कि एक लाख तक जा सकती है।

श्री चेतन पी०एस० चौहान (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी मिलों की स्थापना की मांग की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में उन्नीस चीनी मिलों की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी करने का अनुरोध किया है क्योंकि गन्ने के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने तथा उसकी अधिकतम पेराई सुनिश्चित करने हेतु यह परमावश्यक हो गया था।

(अनुवाद)

उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख सोलह हजार टन गन्ने का उत्पादन होता है और इस उत्पादित गन्ने के केवल 33 प्रतिशत की ही विद्यमान चीनी मिलों द्वारा पिराई की जाती है। शेष 67 प्रतिशत गन्ने का प्रयोग खाण्डसारी गुड़ बनाने तथा चारे के लिए किया जाता है जबकि चीनी मिलों द्वारा 10-11 प्रतिशत की वसूली की तुलना में 5 प्रतिशत वसूली की गई है। यदि आप महाराष्ट्र और गुजरात

राज्यों में चीनी मिलों द्वारा कुल गन्ने की पिराई की तुलना करें तो आप देखेंगे कि वहाँ कुल उत्पादन के 75 प्रतिशत गन्ने की पिराई होती है।

मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए लाईसेंस जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को 134 आवेदन-पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। यदि नई चीनी मिलें स्थापित की जाती है तो इससे न केवल 30 लाख गन्ना उत्पादक लाभान्वित होंगे बल्कि इससे देश में चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा।

चीनी की मांग समूचे विश्व में बढ़ रही है। यदि हमारे देश में और अधिक चीनी का उत्पादन होने लगे तो हम फालतू चीनी को निर्यात कर सकेंगे जिससे हमें अत्यन्त आवश्यक विदेशी मुद्रा मिलेगी।

मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि कि वे मुख्यमंत्री के आवेदन पर ध्यान दें और शीघ्रातिशीघ्र चीनी मिलों को आशय पत्रों की मंजूरी दें।

(हिन्दी)

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, हिन्दी की जो उपेक्षा की जा रही है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ सरकारी संस्थानों में जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसकी मिसाल जन संचार संस्थान, नई दिल्ली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जन संचार संस्थान में हिन्दी का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसको पाँच वर्ष हो चुके हैं। पाँच वर्ष होने के बाद भी हिन्दी पाठ्यक्रम को अभी तक मान्यता नहीं मिली है।

इसी तरह से दूसरे जो तीन पाठ्यक्रम-अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन और जन-सम्पर्क तथा निर्गुट संवाद समिति, को 1980 में मान्यता दे दी गयी है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मान्यता दी है। उस समय के संस्कृति और शिक्षा मंत्रालय ने भी इन पाठ्यक्रमों को मान्यता दे दी है, जिसे आज मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं। इसके माध्यम से उन्हें सर्विसिज और दूसरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। परन्तु हिन्दी के विद्यार्थियों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। इसके कारण जो हिन्दी के विद्यार्थी हैं, जो सही मायने में देश की जनता की नब्ज को महसूस करते हैं, उनके दुःख-दर्द को जानते हैं और उनके बारे में लिखना चाहते हैं''। विद्यार्थियों की उपेक्षा की जा रही है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। हिन्दी पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं मिलने के कारण उन्हे कई सर्विसिज में उपेक्षित होना पड़ता है। इसके माध्यम से आज जो उनकी मांगें है, वे पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनकी मांगे हैं कि-

पत्रकारिता में व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बावजूद रोजगार कार्यालयों में उनका पंजीकरण किया जावे। केन्द्रीय सूचना सेवा में भर्ती हेतु प्राथमिकता दी जावे। केन्द्र और राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में जन माध्यमों से जुड़ी सेवाओं में मान्यता दी जावे। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में विद्यार्थियों को रियायती पास दिया जावे। 15 कमरे खाली होने पर भी हिन्दी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को कमरे नहीं दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी खासकर दिल्ली के निवासी हैं, जबकि उन्हें कमरे दे दिये गए हैं जिनका वे उपयोग नहीं कर पाते। हिन्दी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी निम्न आय वर्ग के होते हैं और इसलिए उन्हे छात्रावासों में जगह नहीं दी जाती। बिहार के एक विद्यार्थी श्री वासुदेव प्रसाद को पाठ्यक्रम छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हे दिल्ली में निवास नहीं मिला। नौवीं लोक सभा में मैं सूचना

प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य था। तब भी मैंने यह मान्यता देने का मामला उठाया था और उस समय के तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा था कि हम इस पर विचार करके निर्णय लेंगें। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि पत्रकारिता के हिन्दी पाठ्यक्रम को मान्यता दी जावे और जो सुविधाएं अंग्रेजी के विद्यार्थियों को दी जा रही हैं, उनके समान सारो को सुविधाएं दी जावें।

श्री माणिक राव होडल्या गावीत (नन्दरबार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सूरत भुसावल पश्चिम रेलवे दुहरी लाईन करने की मंजूरी पिछले 3-4 सालों में दी गई है। जलगांव से चावलखेड़ा धरणगांव का 25 किलोमीटर का काम मंजूर हुआ है। यह काम बहुत ही धीमा चल रहा है। धनराशि भी कम रखी गई है, ऐसा मुझे लगता है। सुरत भुसावल रेल लाईन गुजरात-महाराष्ट्र के पिछड़े आदिवासी इलाकों से गुजरती है रेल विभाग के हिसाब से यह दोहरी लाईन होना बहुत जरूरी है। साउथ में जाने के लिए रेल यात्रियों को बहुत सुविधा हो सकती है। यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस लाईन पर चलने वाली पैसेंजर गाड़ी लोको डिजल इंजिन लगाने की मांग करता हूँ। डिजल इंजिन लगाने से गाड़ियां टाईम-टेबुल के अनुसार चलेंगी।

नन्दरबार (महाराष्ट्र) मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। नन्दरबार से वाया सुरत बम्बई जाने के लिए एक टू--टायर बोगी नन्दरबार से 114-अप गाड़ी सुरत से सुबह सात बजे लगायी जाए। 162-अप इंदौर बम्बई एक्सप्रैस को लगाया जाए और बम्बई से वापसी के लिए सौराष्ट्र जनता एक्सप्रैस -17 डाउन जो 16.30 बजे बम्बई से चलती है तो उसमें नन्दरबार बोगी लगायी जाए। सुरत से 113 डाउन भुसावल के लिये रात को 22.50 बजे चलती है तो इस गाड़ी में नन्दरबार बोगी लगाई जाए। बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है। वहाँ के लोगों को बम्बई सरकारी काम के लिए जाना, आना पड़ता है। यह बोगी लगाने से बम्बई जाने,आने वाले सभी यात्रियों को सुविधा हो सकती है। इसीलिए बोगी तुरन्त लगाई जाए, यही विनती भारत सरकार को करता हूँ।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से उत्तर बिहार के दक्षिण भाग के लिए दो सड़कों की मांग कर रही हूँ। एक सड़क मुजफ्फरपुर,हाजीपुर,छपरा, सीवान, गुठनी से होते हुए उत्तर प्रदेश के काशीनगर से मिल जाती है। दूसरी सड़क-छपरा,बनियापुर, मलमलिया, मोहम्मदपुर मोड़ से होते हुए जिला मोतिहारी से नेपाल के बार्डर तक जुड़ जाती है। यह दोनो सड़कें उस क्षेत्र की बेहतरी के लिए आवश्यक नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय महत्व की अच्छी सड़क हैं। वहाँ पर टूरिस्ट का भी क्षेत्र है। हाजीपुर से हम वैशाली जाते हैं। यहाँ पर गंगापुर में सड़क पुल है जबकि रेल का पुल नहीं है इसलिए सड़क पुल से होकर ही जाना पड़ता है। सोनपुर में जानवरों का विश्वविख्यात मेला लगता है और यह क्षेत्र गजघराह की लड़ाई का क्षेत्र भी कहलाता है, वहाँ के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है। अगर वहाँ सड़क बनाई जाती है तो वहाँ जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उससे भी इस क्षेत्र को राहत मिलेगी। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। यदि सड़क ऊंची होती तो यह लम्बा भू-भाग बाढ़ की चपेट में नहीं आया होता और जन-जीवन बच जाता। दूसरी सड़क जो नेपाल से होती हुई छपरा जाती है यह राष्ट्रीय महत्व की है, इसके साथ ही साथ सामरिक महत्व की भी है। यदि कोई गड़बड़ी चीन से होती है तो वहाँ रसद पहुँचाने के लिए उस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग नजर नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भारत सरकार इनको ध्यान में रखकर वरीयता की सूची में से आगे और अतिशीघ्र इन सड़कों का निर्माण कराये।

श्री रमेश चन्द तोमर (हापुड़): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 24 की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मार्ग मेरे क्षेत्र से होकर गुजरता है। हापुड़ से लेकर गढ़ तक इसकी हालतें बहुत खराब है। हापुड़ से डेढ़ किलोमीटर लम्बा रास्ता है जिसे पार करने में डेढ़-दो घंटे लगते हैं और वहां आये दिन यातायात जाम रहता है। इसलिए हापुड़ शहर से बाई पास निकाला जाये। हापुड़ से आगे गढ़ तक तीस पैंतीस किलोमीटर तक का जो रास्ता है वह बहुत खराब है। सड़क पर बड़े- बड़े गड्ढे हैं। ट्रक वहां से पास नहीं हो सकता, 6-6 घंटे ट्रेफिक जाम रहता है और आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 24 को तुरन्त बनवाया जाये।

(अनुवाद)

श्री सुधीर सावंत (राजापुर): मैं एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। आप मुझे पिछले चार दिनों से इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले आप बैठ जाइए।

(हिन्दी)

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में नौ हजार स्वंय सेवक अध्यापकों की भर्ती करने का निर्णय किया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इसमें बिल्कुल नहीं रखने का फैसला कर चुकी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा घोर अन्याय है राज्य सरकार की तरफ से हरिजनों और अदिवासियों पर, यह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप इस बात को हिमाचल प्रदेश सरकार को बतायें (व्यवधान) असेम्बली का रिप्लाई है उसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं रखे जायेगे क्योंकि भर्ती वी जे पी वालों के लिए ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जो हिमाचल प्रदेश को पैसा दे रहे हैं वह जांच करें और यह मुनासिब नहीं है तो इसके खिलाफ कार्यवाही करें।

एक अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे यहां एक स्कीम है ग्रामीण विकास योजना, उसको वहां की सरकार ने अन्त्योदय कार्यक्रम में बदल दिया है इस तरह से भारत सरकार के जो नार्म्स हैं उनको बदला जा रहा है मैं चाहूंगा आपको इसकी भी जांच करनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश के अन्दर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रोडू सब डिवीजन है जो शिमला विद्युत डिवीजन का आफिस भी है। वहां आसमानी बिजली गिरने से तीन गांव तबाह हो गये हैं। मैने लिखकर भी दिया है और मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार कुछ देने वाली नहीं है इसलिए भारत सरकार कुछ न कुछ उनको सहायता दे। हमारे सेव उत्पादकों का आन्दोलन शुरू होने वाला है। मैं आपसे कहूंगा कि हमारी प्रदेश सरकार को समझाये कि चार हजार टन देने का जो फैसला किया है अभी तक नहीं दिया गया है। हमार फसल आ चुकी है, किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि वहां की सरकार को डिसमिस किया जाये।

(अनुवाद)

श्री हलान मोल्लाह (उलुबेरिया): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सरकार का ध्यान इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बुर्नपुर के आधुनिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अत्यधिक विलम्ब होने की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय यह इस्पात संचय सबसे सही जगह पर स्थापित है, जो सीधे दो बड़े रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पिछले चार दशकों से यह लौह एवं इस्पात का सबसे सस्ता उत्पादक रहा है। लेकिन वित्तीय कुप्रबन्ध, इसकी कुछ उत्पादक युनिटें बन्द होने तथा पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण इसका उत्पादन साठ के दशक से गिरना शुरू हो गया और इसका सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद भी यह अपनी पुरानी उत्पादन क्षमता को पुन: कायम नहीं कर सका।

महोदय, सरकार ने इस सयंत्र का आधुनिकरण करने का निर्णय किया था और इस संबंध में एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी से समभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इसके पश्चात 'सेल' ने आधुनिकरण के लिए जापानी सरकार से बातचीत की। उसने 1989 में प्राथमिक इंजीनियरिंग रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जिसमें क्षमता 18 लाख की आंकी गई थी तथा 6030 करोड़ रूपये की लागत का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन इसे भी अर्थक्षय नहीं पाया गया। अन्तत: 'सेल' ने परियोजना की पुनदीक्षा की और दस्तूर एण्ड कम्पनी से लागत कटौती अध्ययन करने को कहा जो मार्च 1990 में तैयार हो गई। इसके अनुसार विदेशी मुद्रा सहित 5084 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्ताव मंजूरी हेतु सर्वाजनिक निवेश बोर्ड को भेजा गया। लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महोदय, मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय को इस कार्यक्रम से सहानुभूति है। लेकिन कुछ आन्तरिक और बाह्य निहित स्वार्थ अन्तिम निर्णय लेने और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वित होने में अड़चन पैदा कर रहे हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लें और इस कार्यक्रम को इस वर्ष ही कार्यान्वित करें।

(हिन्दी)

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर, (बिहार) के मोहीउद्दीन नगर, पटारी प्रखण्ड के दर्जनों गांव गंगा के कटाव से प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लोगों का घर गंगा के पेट में चला गया है। खासकर डूमरी और चापर पंचायत तो पूरा बरबाद हो चुका है। बिहार सरकार के अथक कोशिश करने पर भी गंगा के कटाव पर काबू पाना असंभव हो रहा है।

गंगा राष्ट्रीय नदी है। गंगा के कटाव को रोकना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि शीघ्र गंगानदी के कटाव से पटारी और मोहीउद्दीन नगर प्रखण्ड को बचाया जाये और जो लोग बेघरबार हो गये हैं, उन्हें बसाने का प्रबंध करें।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद (उ० प्र०) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह संसदीय क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत तीन विधानसभा क्षेत्र आगरा जनपद

में आते हैं तथा दो विधानसभा क्षेत्र फिरोज़ाबाद जनपद के अन्तर्गत आते हैं। वैसे तो फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्र ही उद्योग की दृष्टि से शून्य है किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले बाह, फतियाबाद एवं खेरागढ़ में नगण्य उद्योग हैं। इस वजह से उपरोक्त तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अत्यधिक भुखमरी एवं गरीबी है।

वर्ष 1976 में बटेश्वरनाथ जो कि उ० प्र० का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और मेरे ही संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है, में देश के प्रमुख 84 दस्युओं ने आत्मसमर्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के समक्ष किया था। उस वक्त उ० प्र० के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि यहां पर शीघ्र ही उद्योग लगाये जायेंगे ताकि दस्यु बनने की यहां के बेरोजगार युवकों की पुनः पुनरावृत्ति न हो सके। किन्तु आज तक भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है जिस कारण मेरे क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत बाह, फतियाबाद एवं खेरागढ़ के बीच में केन्द्र सरकार कोई बड़ा उद्योग लगा दें तो यहां की बेरोजगारी दूर होने के साथ ही साथ जो डकैती, लूटमार एवं अन्य तरह की घटनायें हो रही हैं, उनको पूर्ण रूप से रोका जा सकेगा।

अतः मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह पुरजोर अपील करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बाह, फतियाबाद एवं खेरागढ़ के बीच निजी क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग लगाने की स्वीकृति अविलम्ब प्रदान की जाए ताकि मेरे क्षेत्र में युवकों के बेरोजगार होने के कारण निरन्तर जो लूटमार, डकैती आदि की घटनाओं में दिन प्रति दिन वृद्धि होती जा रही है, उसको समाप्त किया जा सके। धन्यवाद

(अनुवाद)

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, केरल को केन्द्रीय सरकार से 10,000 मिट्रिक टन पामोलीन आयल का आबंटन हुआ है। हमें पिछले दो साल से यह आबंटन मिल रहा है। लेकिन पिछले दो महीनों से इस आबंटन में कटौती कर दी गई है और हमें यह बड़ी कम मात्रा में मिल रहा है। इसके परिणाम-स्वरूप नारियल के तेल से खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। नारियल के तेल का मूल्य 50 रूपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह हमें शीघ्रातिशीघ्र 10,000 मिट्रिक टन पामोलीन आयल का आबंटन करे। जैसी कि मेरी जानकारी है कि सरकार मलयेसिया से पामोलिन आयल का आयात कर रही है। मैं समझता हूं कि सरकार को हमें उतना पामोलीन आयल का आबंटन जारी रखने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए जितना हमें पिछले दो वर्षों से मिल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हमें 10,000 मिट्रिक टन पामोलीन आयल जारी करे।

श्री नारायण भाई जमलाभाई राठवा (छोटा उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं रेलवे मंत्री जी का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र की गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। छोटा उदयपुर से जम्बोसार के लिए छोटी रेल लाइन पर दो रेलवे पुल बोडेली ताल सोनखेडा में छोटा 'धोकालिया पुल' और तहसील पावीजेतपुर में बड़ा 'भारज पुल' गत वर्ष भारी बाढ़ आने से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनकी मरम्मत करने हेतु समुचित आकलन तैयार करने के संबंध में आवश्यक मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है।

मैं समझता हूँ कि रेलवे मंत्री द्वारा बौडली से छोटा उदयपुर तक छोटी रेलवे लाइन को समाप्त करने का निर्णय लिया जा रहा है जिसका उस क्षेत्र के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इन आदेशों के खिलाफ भारी जन आन्दोलन होने जा रहा है। और मैं भी इन आदेशों के विरुद्ध इस पिछड़े क्षेत्र की जनता का साथ दूंगा।

यदि छोटी रेल लाइन बन्द कर दी जाती है तो इसके बदले वहां बड़ी रेल लाइन की सुविधा दी जाए जिसके लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के सांसद माननीय रेल मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ को पहले ही ज्ञापन दे चुके हैं।

श्री सुधीर सावंत: महोदय, मैं अपने जीवन तथा अपने चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जीवन को खतरे से संबंधित मामले को उठाना चाहता हूं। यह स्थिति पिछले चुनाव के बाद पैदा हुई है। मेरे चुनाव अभियान प्रबंधक की न्यायालय के अहाते के सामने दिनदहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई। मैंने बारंबार धमकियां मिलने के कारण इस सत्र के आज अन्तिम दिन इस मामले को उठाने से पहले तीन महीने इन्तजार किया। मेरे चुनाव क्षेत्र में बम्बई के अपराधियों ने आतंक फैलाया हुआ है। इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि शिवसेना के विधान सभा सदस्य * सरकारी विश्राम गृह में मेरे कमरे में आए और मुझे मारने की धमकी दी. (व्यवधान)

श्री मोरेश्वर सरवे (औरंगाबाद): वे इस सभा में नाम नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय: नाम को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावन्त : मैं मामले को राजनैतिक नहीं बना रहा हूँ। यह शिव सेना अथवा कांग्रेस का मामला नहीं है। लेकिन इस विधान सभा सदस्य ने कई व्यक्तियों के सामने मुझे मारने की धमकी दी। उसके पश्चात स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित बैठक में खुलेआम जनता के सामने उन्होंने मेरे पर दोषारोपण किया। उसके बाद आतंक बेरोकटोक बढ़ता गया। राजापुर चुनाव क्षेत्र के इतिहास में, जहां कभी एक भी छुरेबाजी की घटना तक नहीं हुई थी, हिंसा की घटना पहली बार हुई। छुरेबाजी की कई घटनाएं हुई। पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई। राज्य मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से बताया गया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे चुनाव अभियान प्रबन्धक श्री श्रीधर नायक की न्यायालय के सामने दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। उसके बाद तीन महीने तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपको पुलिस की स्थिति बताता हूँ। मेरे जिल में तीन पुलिस उपअधीक्षक हैं और आज वहां तीनों ही नहीं हैं। केवल एक ही पुलिस अधीक्षक है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सावन्त जी, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, सब बातों के लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री सुधीर सावन्त: महोदय, यह एक राजनैतिक मुद्दा नहीं है, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरा अपना जीवन भी खतरे में है।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप राज्य सरकार से सम्पर्क क्यों नहीं करते?

श्री सुधीर सावन्त: महोदय, यह बात मुझे यहाँ रखने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको वे बातें यहां रखने की अनुमति नहीं दे सकता जो सभा में नहीं रखी जा सकती।

श्री सुधीर सावन्त: महोदय, मेरे जीवन को खतरा है। मैं यही बात यहां रखना चाहता हूँ। क्या मैं यह बात सभा में नहीं रख सकता? आज मेरे जीवन को खतरा है। मैं यह बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री महाराष्ट्र से है, वहां कांग्रेस की सरकार है, आप उनसे अच्छी तरह सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री सुधीर सावन्त: महोदय, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि मेरे जीवन को खतरा है, मैं इसे सभा में इसलिए उठाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा? यहां मैं यही बात उठाना चाहता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: रक्षा मंत्री को भी बता दीजिए।

श्री सुधीर सावन्त: महोदय, आज जिले में पुलिस को बिलकुल निकम्मा बना दिया गया है क्योंकि पुलिस अधीक्षक को जाने को कह दिया गया है। तीनों पुलिस उपाधीक्षक निष्प्रभावी हैं, नियन्त्रक थानें में, जहां यह कत्ल हुआ पी० एस० आई० नहीं है। पिछले तीन महीने से यह हालत है और मैं लोगों से निवेदन करता आ रहा हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

श्री सुधीर सावन्त: मैंने यह मांग की है कि इस कत्ल के मामले को जांच के लिए सी० आई० डी० को सौंप दिया जाना चाहिए परन्तु इसे नहीं सौंपा गया। इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि हत्यारे बम्बई के रहने वाले हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि इसे सी० आई० डी० को सौंप दिया जाए। तीन महीने से इसे नहीं सौंपा गया है। मैं अपने लिए तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्त्ताओं के लिए अध्यक्ष तथा इस सभा की सुरक्षा चाहता हूँ।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें सभ्य ढंग से बोलना चाहिए। मैं सभी को बोलने का मौका देने की कोशिश कर रहा हूँ। अनावश्यक टिप्पणियां करना उचित नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय जे० सी० आई० से कच्चे पटसन के कारोबार की अपेक्षा की जाती है

(हिन्दी)

परन्तु जे० सी० आई० अभी भी जूट बाजार में नहीं उतार रही है। पिछले साल कच्चा पाट का दाम प्रति क्विंटल 700 रूपया किसानों को मिलता था, आज उसका कोटेशन प्राइस घटकर 450 रूपया प्रति क्विंटल रह गया है। इसका मतलब है कि किसानों को लगभग 350 रूपया प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाये तो करीब 200 करोड़ रूपया जो किसानों को मिलना था जूट पाट के लिये, इस बार वह 200 करोड़ रूपया जो किसानों को मिलना था जूट पाट के रिनये इस बार वह 200' करोड़ रुपया पाट के व्यापारी लोगों के हाथों में जा रहा है। जे० सी० आई० एक मोनोपोली सप्लायर है।

(अनुवाद)

जे० सी० आई० एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, एन० जे० एम० सी० सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, एन० जे० एम० सी० का पटसन के कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत पर नियंत्रण है।

(हिन्दी)

इसमें जे० सी० आई० मोनोपोली सप्लायर है तथा गवर्नमैंट के एक आर्डर के जरिये एन० जे० एम० सी० को बाहर से पाट खरीदने की कोई इजाजत नहीं दी गयी है। आज मुझे टेलीफोन से खबर मिली है कि मेरी कांसटीटूऐंसी में कुल एन० जे० एम० सी० की तीन नेशनेलाइज्ड जूट चटकल हैं, जिनमें से एक जूट मिल में तीन दिन का पाट, दूसरी जूट मिल में एक रोज का पाट.और तीसरी जूट मिल में एक हफ्ते का पाट उपलब्ध है, और तमाम जो राष्ट्रीय चटकलें हैं, उनमें एक हफ्ते का पाट उपलब्ध है। इधर जे० सी० आई० ने बोला है कि 27 तारीख को उनकी बोर्ड की मीटिंग होगी और उसके बाद ही वे तय करेंगे कि वह बाजार में उतरेगी या नहीं। बीच में, एन० जे० एम० सी० ने, सी० सी० आई० यानी काटॅन कार्पोरेशन आफ इण्डिया से 10 करोड़ रूपये कर्जा लिया है 21 प्रतिशत इंटरैस्ट पर, और उस पैसे को जे० सी० आई० को दिया। इसके बाद 8 करोड़ रूपया, जो कैश सबसिडी मिलती है, एन० जे० एम० सी० ने प्रोक्योर करके, कुल मिलाकर 18 करोड़ रूपया जे० सी० आई० को दिया। अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है कि जे० सी० आई० के बैंकर्स एस० बी० आई० यानी स्टेट बैंक आफ इण्डिया है परन्तु जे० सी० आई० ने वह पैसा स्टेट बैंक में नहीं रखा बल्कि उस पैसे को यू० बी० आई और सैन्ट्रल बैंक में जमा किया। इस बार देखा गया कि यह 18 करोड़ रूपया एस० बी० आई० में जमा नहीं रखा यू० बी० आई और सेंट्रल बैंक में जमा किया।।

(अनुवाद)

यह जे० सी० आई की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया गया विश्वासघात है तथा यह जे० सी० आई० की ओर से एन० जे० एम० सी० के प्रति विश्वासघात है।

(हिन्दी)

और फिर भी ये बाजार में नहीं उतर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि एन० जे० एम० सी०, जे० सी० आई०, ट्रेड यूनियन, मैनेजमेंट सबको बुलाकर एक बैठक करके फौरन जे० सी० आई० को पाट के बाजार में उतारने के लिए बाध्य करें और एन० जे० एम० सी० की 6 मिलें, खासकर वे तीन मिल, जहां एकदम पाट खत्म हो चुके हैं, उनको आज ही एस० ओ० एस०, टेलीफोन कर के निर्देश दिया जाए कि जल्दी से जल्दी मिलों में पाट भेजने का काम करे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं पुन: आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके बारे में मीटिंग फौरन बुलाई जाए।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: हां, उपेन्द्र नाथ वर्मा जी.....

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूं। मैंने मंत्री को लिखा है। वह टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें तत्काल इस मामले पर गौर करना चाहिए.

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारे देश में पटसन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जे० सी० आई० जिससे पटसन उत्पादकों से पटसन खरीदने की अपेक्षा की जाती है, ने अब तक केवल 3000 क्विंटल पटसन ही खरीदा है, एन० जे० एम० सी० जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है की प्रतिदिन आवश्यकता 4000 क्विंटल पटसन की है और जे० सी० आई० ने अब तक केवल 3000 क्विंटल ही खरीदा है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, वह यह बात अच्छी तरह कह चुके हैं.....

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: वस्त्र मंत्री तथा सभा के नेता द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भी..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब वर्मा जी बोलेंगे.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल वर्माजी की बात को ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा.....

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए..

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आचार्यजी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपके साथी यह बात अच्छी तरह कह चुके हैं। अब आप बैठ सकते हैं.....

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(हिन्दी)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शहरी विकास मंत्रालय के अधीन इब्राहिमपुर और काढ़ीपुर (दिल्ली-36) के गावों की सैकड़ों एकड़ सार्वजनिक जमीन पर भूमि माफियों ने सरकारी अफसरों के साथ सांठ-गांठ कर अवैध कब्जा कर रखा है और कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना करते हुए उसे अवैध ढंग से बिक्री कर रहे है। संबंधित अधिकारियों को पंचायत के लोगों द्वारा बार-बार लिखे जाने के बावजूद अवैध कब्जा और बिक्री जारी है। अब तक करोड़ों रूपयों की अवैध बिक्री की जा चुकी है। समाचार पत्रों में कई बार यह प्रकाशित भी हुआ है और फिर भी बिक्री बन्द नहीं हो रही है और न अतिक्रमण और अवैधा कब्जा ही हटाया जा रहा है। पंचायत के स्कूल, चरागाह, शौचालय की जमीन, अस्पताल की जमीन, शमशान की भूमि, बस स्टैंड, हरिजनों को मिली जमीन आदि पर धड़ल्ले के साथ कब्जा किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि शीघ्रातिशीघ्र जांच कर उचित कार्यवाही करे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा): अध्यक्ष महोदय, बिहार यूं तो अत्यधिक पिछड़ा राज्य है। तमाम संसाधनों के रहते हुए भी कृषि एवं सिंचाई के मामले में देश के तमाम राज्यों में इसका पिछड़ापन सर्वोपरि है। (व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिए कि सभा में कैसा व्यवहार किया जाए।

(हिन्दी)

श्री विजय कुमार यादव: वर्षा के दिनों में गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में पानी का बहाव होता है जो सभी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है तथा कई क्षेत्रों को बाढ़ से परेशान होना पड़ता है।

इसी समय गंगा के दक्षिणी क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है और फसल मारी जाती है। यदि बरसात के दिनों में इस अपार जल समूह को नहर के जरिए दक्षिणी क्षेत्रों में ले जाया जाए तो एक ओर बाढ़ से लोगों का बचाव हो सकता है और दूसरी और दक्षिणी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है जिससे फसलों को बचाया जा सकता है।

अत: सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि पटना और बाढ़ के बीच में किसी स्थान से नहर निकालकर गंगा नदी के बरसात के पानी को दक्षिण की ओर ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसमें नालंदा, नवादा, गया आदि जिलों में सिंचाई की व्यवस्था हो सके।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, गुजरात की भूमि तेल और गैस के भंडार से भरी हुई है। लेकिन वहा फालतु गैस जल जाता है। ओ० एन० जी० सी० द्वारा पाइप लाइन से गैस दिया जाता था लेकिन अब इसके लिए अलग कमीशन नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप गैस देने के लिए दोनों में से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए जो उद्योग आज स्थगित हो गए हैं वे शुरू नहीं हो सके हैं। दूसरे उद्योग बन्द होने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र में 15 लाख क्यूबिक मीटर गैस दिया गया और कुकिंग गैस देने की 450 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई जबकि गुजरात की मांग होते हुए भी कुछ नहीं दिया गया। इससे गुजरात के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। गुजरात के सांसदों ने इसके लिए अपना मन्तव्य पेश किया है और आगे जाकर इसके लिए हमें आन्दोलन करना पड़ेगा।

अन्त में मेरी मांग है कि धन्धुका, गधड़ा, वावला, बहुचराजी आदि शहरों में कुकिंग गैस एजेन्सी दी जाए।

आखिर में मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ :

जल रहा है फालतु गैस
जिसकी हुई है बहुत बहस
अब तो लोग कह रहे हैं
ये सरकार है बहुत केयरलैस

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आपमें से अधिकांश को बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया एक के बाद एक को बोलने दें और वरिष्ठ सदस्यों को बोलने का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। मेरे विचार में उन्हें यह अवसर अन्त में मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, आप वरिष्ठ सदस्यों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० विजयराम राजू (पार्वतीपुरम) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम और विजयनगरम जिलों में अतिसार रोग फैल रहा है यह रोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है और सैकड़ों लोग इस रोग से पीड़ित हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार इस रोग की रोकथाम के लिए कोई उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। रोगियों के लिए ना ही तो सेलाइन वाटर बोतलें दी जा रही हैं और ना ही यहां अपयुक्त दवाईयां उपलब्ध हैं। निर्जलीकरण के कारण उस क्षेत्र में मरने वालो की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं केन्द्रीय स्वास्थय और परिवार कल्याण मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि वह आन्ध्र प्रदेश सरकार को तत्काल उचित कदम उठाने हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश दें ताकि उस क्षेत्र में इस रोग की रोकथाम की जा सके।

(हिन्दी)

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के रोहतास जिले की सोन नहर सिंचाई परियोजना अत्यन्त पुरानी परियोजना है। यह देश की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इससे रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद,, गया, नवादा और पटना जिलों की करीब 25 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। सोन नहर सिंचाई अधिग्रहण क्षेत्र में लगभग 75 लाख मैट्रिक टन खाद्यान का उत्पादन होता है। इस योजना से 15 लाख खेतिहर मजदूर लाभान्वित होते हैं। इसका निर्माण 1875 में हुआ था। उस समय इस योजना की अवधि 50 साल आंकी गई। अब यह 115

वर्ष पुरानी हो गई है। इसकी सभी नहरें बेकार हो गई हैं। नहरें मिट्टी सिलट से भर गई हैं या नहरों की बाजुएं कट छटकर खत्म हो गई हैं। इससे पानी ढोने की क्षमता भी समाप्त हो गई। यह परियोजना सुखाड़ और बाढ़ दोनों समय के लिए दुखदायी है। कम वर्षा होने पर सुखाड़ पड़ जाता है।

अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। बिहार सरकार की आधुनिकीकरण की योजनायें जो केन्द्र सरकार के यहां लम्बित हैं, वे बरसों से पड़ी हुई हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उन आधुनिकीकरण योजनाओं को स्वीकृति दी जाये और उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कराया जाये और इससे संबंधित बाण सागर योजना का जल्द ही निर्माण कराया जाये।

श्री डी० जे० टंडेल (दमण और दीव): अध्यक्ष महोदय, मैं दमण और दीव केन्द्र शासित प्रदेश से आता हूँ। मैं मछुआरों के परिवार से सम्बन्ध रखता हूँ। मछुआरों का परिवार बहुत गरीब होता है। हमारे गुजरात में फिशिंग का बिजनस बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। औरवाप, पोरबंदर, वैरावल, जामनगर, द्वारका, दीव, दमण, मांगरोल, जाफराबाद, उमरगांव, सूरत, बलसार जिलों के मछुआरे जखी समुद्र में मछली पकड़ने के लिये जाते हैं। जखी समुद्र हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बार्डर पर है लेकिन बार्डर पर कोई संकेत न होने के कारण मछुआरों को पाकिस्तान के फौजदार और नेवी वाले पकड़ कर ले जाते हैं और जेलों में बंद कर देते हैं। इससे उनका फिशिंग-जहाज जो कि बहुत कीमती होता है, किनारे पर पड़ा-पड़ा खराब हो जाता है जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैंने नौवीं लोक सभा में भी यह प्रश्न उठाया था। उस समय वी० पी० सिंह की सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान के साथ समझौता करके मछुआरों को जेल से रिहा कर दिया था लेकिन अब फिर उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि मछलियां बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों को एक्सपोर्ट की जाती हैं लेकिन अब वे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही हैं जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। इससे संबंधित उद्योग भी बंद पड़े है और वह सिक हो गये हैं। कोल्डस्टोरेज भी अब खाली हो गये हैं। डर की वजह से मछुआरे फिशिंग करने नहीं जाते हैं। इससे हमारे मछुआरों की हालत बहुत खराब हो गई है। मछुआरों ने फिशिंग बोट बनाने के लिये बैंकों से जो कर्जा लिया था, उसको चुकाने में वे असमर्थ हैं। अब बैंक भी उनको कर्जा देने से मना कर रहे हैं। वह और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मेरा विदेश मंत्री जी से यह निवेदन है कि वह बार्डर पर कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे मछुआरों को पता लग जाये कि इससे आगे जाकर मछलियां न पकड़ी जायें।

अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय पर बोलने के लिये आपको कई बार नोटिस दिया लेकिन आपने मुझे इस पर बोलने के लिये जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री सुखेन्दु खां (विष्णुपुर) : महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसले पर वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

पश्चिम बंगाल में बांकुरा रायनगर के बीच रेलवे की बांकुरा दामोदर नदी मीटर गेज लाइन-परिवहन की एक मात्र महत्वपूर्ण शक्तिशाली साधन, सन् 1967 में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा इसका चार्ज लिए जाने के बाद से ही उपेक्षित रहा है जिसका कारण अधिकारीगण ही बता सकते हैं। इस सेवा में दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। बर्दवान तथा बांकुरा के वृहत क्षेत्र के यात्रियों और सामान

को उनके मुख्य परिवहन माध्यम से वंचित किया जा रहा है। बांकुरा, बर्दवान और कलकत्ता के दैनिक यात्रियों की भारी वस्तुओं को ले जाने सम्बंधी असुविधा और परेशानियां अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। रेलवे परिवहन के लिए इस क्षेत्र तथा पड़ोसी कस्बों और गांवों के यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान बांकुरा दामोदर नदी रेलवे ने आर्थिक हानि तथा ऐसे ही अन्य बहानों के आध ार पर अपनी सेवाऐं ठप्प की हुई हैं।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के अंतर्गत मैं आपसे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने तथा तत्सम्बंधी आवश्यक कार्यवाई करने का अनुरोध करता हूँ ताकि ताराकेश्वर बड़ी लाइन से जुड़ने वाली बड़ी रेल लाइन के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण रेलवे सेवा बेहतर रूप से कार्य कर सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, क्या मैं एक विनम्र अनुरोध कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मंत्री अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, वे यहां हैं भी नहीं, जो यहां पर है भी वे इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए, मैं केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि सदस्यों को यह सूचित किया जाए कि इन मुद्दों पर क्या कार्यवाई की जा रही है जिन्हें आप सदन में उठाये जाने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। (व्यवधान) अभी भी वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

(हिन्दी)

श्री भवानी लाल वर्मा (जांजगीर): अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के जिला विलासपुर के अंतर्गत नगर कोरबा एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र हो चुका है जहां 10 कोयला खदान, एल्युमिनियम फैक्ट्री, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन, हसदो वृहद सिंचाई परियोजना तथा

(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या मंत्री महोदयों से अलग-अलग बैठने का अनुरोध कर सकता हूँ ताकि वे परस्पर बातचीत न करें।

श्री भवानी लाल वर्मा (जांजगीर): अनेक केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तर के उद्योग स्थापित हो चुके हैं और भविष्य में और अधिक विकास होने की सम्भावना है।

वर्तमान में उक्त नगर की जनसंख्या लगभग एक लाख से ऊपर हो चुकी है तथा देश के कोने-कोने के व्यापारी, उद्योगपति, अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक निवास करते हैं। यह दक्षिण पूर्वी रेलवे की विद्युतीकृत बड़ी लाइन है। बिलासपूर जिला मुख्यालय से निम्नांकित 5 ट्रेनें, जो तीव्र गति से चलती हैं तथा देश की लम्बी दूरी की हैं, प्रारम्भ होती हैं। उनमें से किसी भी एक ट्रेन को नगर कोरबा से चलाने जाने की मांग वहां के नागरिकों से लगातार आ रही है तथा इसी मुद्दे पर वहीं आन्दोलन होने की शंका है। उनकी मांग बहुत ही औचित्यपूर्ण है तथा रेलवे मंत्रालय को गम्भीरता से विचार कर निर्णय लेना बहुत जरूरी है।

जो ट्रेनें नगर बिलासपुर से आती हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:-1-अमृतसर-छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 8238, 8237. 2-भोपाल विलासपुर सुपर फास्ट (महानदी) एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 2826, 2825. 3-विलासपुर कोचीन ट्रेन क्रमांक 7058, 7059.4- बिलासपुर भोपाल पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक

8235, 8236, 5-विलासपुर इन्दौर नर्मदा पैसेंजर/एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 8233, 8234

गम्भीरता से विचार करने के लिए मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध कर रहा हूं कि इन मांगों रेलों में से किसी एक ट्रेन को नज़र कोरवा से चलाये जाने की मांग स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद पिछले 40 वर्षों में देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट से बढ़कर करीब 64,500 मेगावाट हो गई है, इस प्रकार वार्षिक वृद्धि लगभग 9.5 प्रतिशत रही है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत देश में 15 किलोवाट आवर से बढ़कर करीब 220 किलोवाट आवर हो गई। लेकिन बिहार में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। वर्ष 1947 में राज्य में बिजली उत्पादन की क्षमता 150 मेगावाट थी जो 40 वर्षों में बढ़कर मात्र 1450 मेगावाट पहुंच सकी है। इस प्रकार बिजली उत्पादन की क्षमता में वार्षिक वृद्धि दर मात्र 5.4 प्रतिशत हो सकी जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत करीब 9.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति खपत की दृष्टि से भी देश के अन्य राज्यों से बिहार काफी पिछड़ा है। राज्य की प्रति व्यक्ति खपत करीब 104 किलोवाट आवर है जबकि राष्ट्रीय औसत खपत करीब 220 किलोवाट आवर है।

उत्तर बिहार उर्जा की उपलब्धता एवं प्रति व्यक्ति खपत की दृष्टि से और भी पिछड़ा है। उत्तर बिहार का प्रति व्यक्ति औसत उर्जा खपत मात्र 18 किलोवाट आवर है। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास के लिए जिन मूलभूत साधनों की आवश्यकता है उनकी उपलब्धता राज्य में काफी कम रही है।

राज्य की पनबिजली उर्जा की सम्भावना करीब 538 मेगावाट आंकी गई है। इसके विरुद्ध पनबिजली उत्पादन की 17 प्रतिशत क्षमता का ही विकास हो पाया है। इसी तरह प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध होने के बावजूद भी राज्य में सुपर थर्मल पावर की स्थापना में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है।

राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता को 1450 मेगावाट से बढकर करीब 2000 मेगावाट तक लाया जाय। इसके साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य को मिलने वाली उर्जा की उपलब्धता को भी कम से कम 850 मेगावाट तक बढ़ाया जाय।

एक और समस्या है कि दादरी में जो एन० टी० पी० सी० का थर्मल पावर स्टेशन बनकर तैयार है, यहां माननीय बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, उर्जा मंत्री जी, इसलिए मैं कह देना उचित समझता हूं, खुराना जी भी इसमें इण्टरैस्टेड होंगे। दादरी में इससे करीब-करीब दो हजार मैगावाट बिजली तैयार होगी। इसमें एक कोल बेस्ड है और दूसरा गैस बेस्ड है। इसमें कोल ढोने के लिए 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछानी है... लेकिन रेलवे लाइन नहीं बिछने की वजह से ट्रांसपोर्ट के द्वारा अलग से कोयला ढोया जाता है और प्रतिवर्ष 12 करोड़ रूपए का खर्चा हो रहा है और राष्ट्रीय सम्पत्ति की बर्बादी हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से और आप से मांग करूंगा कि कम से कम रेल मंत्रालय और उर्जा मंत्रालय में कोआर्डिनेशन स्थापित करके, एक समन्वय स्थापित करके, दोनों मंत्रालयों को मिलजुल कर, इस बारह किलोमीटर रेल लाइन को बिछाने का तत्काल निर्माण करना चाहिए, ताकि 12 करोड़ रूपए की राष्ट्रीय सम्पत्ति बच सके।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य

राजनीतिक दलों के लोग हमारी पार्टी पर और खास कर मुझ पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितों के विरोधी है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यहां उपस्थित सरकार के प्रतिनिधि से निवेदन करना चाहती हूँ कि शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने देश के आत्म-सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उनके नाम का टिकट भारत सरकार को जारी करना चाहिए क्योंकि अब्दुल हमीद जैसे शहीदों को हम सिर-माथे पर बैठाते हैं। यह केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिएही गौरव की बात नहीं है, बल्कि इस देश के हिन्दू समुदाय के लोगोंके लिए भी गौरव की बात है। इस निवेदन के बाद कि शहीद अब्दुल हमीद नाम का डाक-टिकट भारत सरकार जारी करे, यह बड़े दुःख और अफसोस की बात है कि हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं, जो शहीद अब्दुल हमीद की शाहदत को इज्जत की बात नहीं मानते हैं। बल्कि उन लोगों ने शहीद अब्दुल हमीद को गद्दार और काफिर कहा है, क्योंकि वे पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने अपमान किया है। अपमान करने वालों में * का फतवा मेरे पास मौजूद है। इसको चौथे संसार अखबार में सम्पादकीय में यह उद्धत किया है कि अब्दुल हमीद को * ने गद्दार और काफिर कहा है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : इस नाम को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। नाम को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(हिन्दी)

कुमारी उमा भारती: मैं इस सदन के माध्यम से उन्होंने जो बयान दिया है, उसका खंडन करती हूँ और इसके साथ ही साथ सरकार से आग्रह करती हूँ कि शहीद अब्दुल हमीद के नाम का डाक टिकट जारी किया जाए।

(अनुवाद)

श्री अमरराय प्रधान (कूचबिहार): महोदय न केवल आप बल्कि सदन में अधिकांश सदस्य चाय पीने के इच्छुक हैं। अगर आप दार्जिलिंग चाय नहीं दे सकते हैं तो असम की या फिर नीलगिरी की चाय चलेगी।

लेकिन आज क्या स्थिति है। इस चाय के माध्यम से हम लगभग सौ करोड़ से हजार करोड़ रूपये तक की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। लेकिन अब आपको देशी नहीं बल्कि विदेशी चाय का चयन करना होगा। देश में यह षड़यंत्र चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से विभिन्न समाचार पत्रों में इस आशय के लेख छाप रहे हैं कि लिपटन ग्रुप और कुछ उच्च अधिकारी मिलकर केन्या और श्रीलंका से चाय को आयात करने का षड़यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार की चाय को देशी चाय में मिलाने के नाम पर यह चाय भारत में आ रही है। हमें इसका विरोध करना चाहिए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

आपके माध्यम से मैं वाणिज्य मंत्री और प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर शीघ्र रोक लगाई जाए और चाय का आयात न किया जाए।

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में बाढ़ आने से जबलपुर जिले के संसार प्रसिद्ध मार्वल राक्स के ऊपर इतना पानी चढ़ा, जोकि सन् 26 के बाद कभी नहीं चढ़ा था। परिणामत: वहां स्थापित संगमरमर की कलाकृतियों की दुकानें बह गईं, जो कलाकार अपनी कला से सभी के घरों को सजाते थे वे हतप्रभ से रह गये। विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सैलानी सुविधाएं भी नष्ट हो गईं। कुछ मकान ढह गये, छोटा पुल बह गया और तिलवाराघाट के बड़े पुल को भी क्षति पहुंची। बरगी बांध को भी नुकसान हुआ।

ग्रामीण जन और मूर्तिकारों तथा अन्य दुकानदारों को अपने रोजगार पुर्नस्थापित करने, सैलानी सुविधाएं फिर से शीघ्र देने और छोटा पुल, बड़ा पुल और बांध को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार इस पर शीघ्र उचित और संतोषजनक कार्यवाही करें और केन्द्र सरकार पीड़ित ग्रामीणों, मूर्तिकारों और दुकानदारों की सहायता करे, यह मेरा निवेदन है।

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने इस देश की लड़ाई लड़कर हम लोगों को आजाद किया, उसमें बहुत सारे लोगों को पेंशन की स्वीकृति की गई, लेकिन बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, जो अभी दिल्ली में हैं, मैं समझता हूं कि इसको हारे माननीय सदस्य जानते होंगे, वे सब 2, 4 व 5 महीने से घूम रहे हैं। हम लोगों ने गृह मंत्री जी को लिखा था, उनका जवाब भी आया था कि मैं मामले की जांच करवा रहा हूं और जब 15 दिन के बाद मैं खुद कार्यालय में गया था, तो वहां माननीय मंत्री जी का लिखा हुआ पत्र कार्यालय में मौजूद नहीं था। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के सहर्षा, मेधपुरा और पूर्णियां जिलों के एक जिले में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है, जिसमें से 8 की स्वीकृति की गई है, लेकिन दो की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई। इसी तरह से जो स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में है, जिन्हें पेंशन मिल रही थी, उनकी नोमिनी होनी थी (व्यवधान) लेकिन उनकी विधवा पत्नी को अभी तक पेंशन देने का काम नहीं किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, चूंकि ये देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसलिए अतिशीघ्र इसके लिए कोई उचित कार्यवाही करें।

श्री रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश में अनेक प्रदेश सरकारों द्वारा और निजि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की देशी एवं विदेशी लाटरियां चलाई जा रही हैं। जिनमें काफी अनियमितताएं की जा रही हैं और करोड़ों रुपए की चोरी और हेराफेरी राजस्व की जा रही है और इसके अलावा भी अनेक लाटरियां करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रही हैं। पूर्व में जैसे चुरहट लाटरी इसके उदाहरण हैं जबकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

• माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की शिकायत कई बार वित्त सचिव, भारत सरकार एवं केन्द्रीय जांच ब्युरो को भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कारगर एवं ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं

और न ही इसके बारे में अभी तक कोई कर्यवाही की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय में कार्यवाही करके, इस राजस्व की चोरी को रोका जाए एवं देश को अर्थिक संकट से उतारा जावो।

श्री एस० एम० लालजन बाश (गुन्टूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। मैं गुन्टूर जिले से आता हूं वहां एक जूट मिल कारपोरेशन वालों की फैक्ट्री है, जहां तीन हजार पांच सौ कर्मचारी हैं, यह पूरी जूट मिल बन्द हो गई है, इस कारण से वहां के कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। मेरा निवेदन है कि आप इन कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए इस ओर विदेश ध्यान दें और इसके लिए कोई उचित कार्यवाही शीघ्र करें।

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा खाद पर सब्सिडी वापस लेने से जो किसानों में रोष व्याप्त हुआ था, वह बहुत हद तक लघु और छोटे किसानों को पुरानी ही दरों पर खाद देने की घोषणा से काफी कम हुआ, लेकिन मैं यह बताना चाहता हुं कि जो खाद है, उससे केवल 25 प्रतिशत ही आवश्यकता, जो कोआपरेटिव सोसायटीज में या मिनि बैंक्स हरियाणा में सरकार के आधीन काम करती हैं, उनके माध्यम से वह 25 परसेंट आवश्यकता पूरी कर पाते हैं। लोगों को प्राइवेट डीलर्स से खाद लेना पड़ता है। मैं कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हुं कि छोटे किसानों को कहीं भी पुराने रेट पर खाद नहीं मिल रहा है, 150-155 रुपए प्रति कट्टा उनको देना पड़ रहा है। किसानों का इस समय बुवाई का समय आ रहा है और खाद उपलब्ध न होने से उनको कठिनाई होगी और अनाज उत्पादन में भारी कमी होगी। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि सरकार ध्यान दे और उचित मात्रा में पुराने भावों पर छोटे किसानों को खाद उपलब्ध कराए।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हुं हरियाणा एक्सप्रेस के संबंध में। हरियाणा एक्सप्रेस महत्वपूर्ण गाड़ी है, लेकिन इसको बंद करने के समाचारों की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस समाचार का खण्डन नहीं किया गया है।.....

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, इस पर बहुत चर्चा हो गई है।

श्री हाराधन राय (आसनसोल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में बेरोजगारी की भयंकर समस्या है और आधे से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। इसके बावजूद सरकार ने सरकारी नौकरियों पर बैन लगाया है, इसको शीघ्र समाप्त करना चाहिए। सबसे पहले 6 महीने के लिए यह पांबदी लगाई गई थी, लेकिन अब यह एक परंपरा बन गई है और हर बार यह आदेश लगाकर पांबदी लगा दी जाती है। मेरा निवेदन है कि बेरोजगारी की समस्या से लोगों को शहत पहुंचाने के लिये इस पाबंदी को तत्काल वापिस लिया जाए और भर्ती शुरु की जाए तथा बैकलाग भी पूरा किया जाए। यही मेरा कहना है। (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद): आपने पिछले 80 मिनट के दौरान मुझे बोलने का एक भी मौका नहीं दिया है

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन में नहीं बोल रहा हूं। सदस्य सदन में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि सदन में कैसा आचरण करना चाहीए। आप चाहें तो आप सदन से जा सकते है।

(इस समय श्री मोरेश्वर सावे सदन छोड़ कर चले गए)

2.27 म० प०

(हिन्दी)

श्री ताराचन्द खडेलवाल (चांदनीचौक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अंबाला कैंट में जो अत्याचार हुए हैं, इनकी ओर दिलाना चाहता हूं। 4 सितंबर 1991 को अंबाला कैंट में सेना के जवानों ने 17 मकान बुल्डोजरों से गिरा दिए। इनका नेतृत्व कर्नल भिन्डर, लेफ्टीनेंट कर्नल इन्दर सिंह कर रहे थे। मैं सरकार से पूछता चाहता हुं कि 17 साल बाद, 1975-76 की इमेंरजेंसी के बाद अब फिर क्या हरियाणा में बुल्डोजर सरकार स्थापित हो गई है। यह बिल्कुल अवैधानिक था, क्योंकि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन लोगों के पास राशन कार्ड हैं और वे वहां पर 45 परिवार कुछ 22 वर्ष से और कुछ 47 वर्ष से वहां पर रह रहे हैं। इट इज आलसो ए कटेंप्ट आफ कोर्ट वहां के केंटोनमेंट बोर्ड के पृथ्वी सिंह ने 1924 के केंटोनमेंट एक्ट की धारा 274 के अंतर्गत अपील की हुई है। वह अपील अभी तक पैंडिग है। इसलिए उस अपील के पैंडिंग होते हुए ये मकान गिराना अवैधानिक है। आज भी 40 परिवार 14 दिन से खुली छत के नीचे पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका सामान सारा बरबाद हो गया है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनको दोबारा मकान बनाकर रीहेब्लीटेट किया जाए उसी जगह पर उनको मकान बनाकर दिए जाएं या प्रत्येक परिवार को 300 गज के प्लाट दिए जाएं। इस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। यह बात सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। ट्रिब्यून और जनसत्ता की प्रति यदि आप चाहें तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सितंबर 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय की एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमें गौरव है कि गाजीपुर के धामपुर ग्राम में श्री अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। श्री अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 को भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे।

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में अभी बात हो गई है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय

श्री अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

(व्यवधान)

मरणोपरान्त परमवीर चक्र अब्दुल हमीद को मिला था। अब्दुल हमीद साहब राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। ग्रिनेडियर चौधी युनिट के वे हवलदार थे। खेमकरण सैक्टर के चीमापुर गांव में पाकिस्तानी सैनिक जब कसूर चौकी से 100 अमेरिकन पैटन टैंक ले कर जम्मू काश्मीर व पंजाब के कुछ हिस्सों को भारत से अलग कर देने की योजना बना रहे थे ....

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, इसकी जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को मालूम है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: जरूरत है अध्यक्ष महोदय। जब वे बढ़ रहे थे तो सतलुज और व्यास नदी के पुल को उड़ा कर वे हिन्दुस्तान को दो टुकड़ों में विभक्त कर देना चाहते थे। अब्दुल हमीद ने गन्ने के खेत में छिप कर उनके चार पैटन टैंक तोड़े।

खेमकरण में जब उनकी याद में वीर अब्दुल मैमोरियल सोसायटी ने शहीदी दिवस मनाने के लिए गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा तो गृह मंत्रालय ने उनको जवाब दिया कि आप लोग वहां पर शहीदी दिवस मनाएं, हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। 31 अगस्त को गृह मंत्री जी ने भी उनको अपनी ओर से आश्वासन दिया। 22 अगस्त को प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आप लोग वहां पर अब्दुल हमीद का, शहीदी समारोह स्थल पर समारोह मनाना चाहते हैं तो आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। श्री मान्, देशभर से 100 के करीब स्वतन्त्रता सैनानी जाकर अमृतसर स्टेशन पर मौजूद थे। लेकिन गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, वहां पर एक आदमी भी उन लोगों को खेमकरण से समारोह स्थल तक ले जाने वाला नहीं था। बाद में मिलिटरी के लोग आए और स्वतन्त्रता सैनानियों को वहां ले गए। लेकिन आते हुए उन लोगों को इतनी कठिनाई हुई, वे सारे के सारे लोग वहां पर भूखों 12 घण्टे तक पड़े रहे। आज अब्दुल हमीद के तीन बच्चे हैं, जो देश के लिए शहीद हुआ है, जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया है, उसके तीन बच्चे हमारे देश में बहुत मुश्किल से सिलाई और मजदूरी कर के अपना जीवनयापन कर रहे हैं। श्री मान्, उनकी पत्नि को मुश्किल से 100 रूपये के लगभग पेंशन मिलती है। अब्दुल हमीद की मां मर चुकी है। उसका बाप बहुत बुजुर्ग है और बुरी परिस्थिति में है, भीख मांगने की स्थिति में है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देश के इतने बड़े राष्ट्रभक्त को, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उसके लिए आप भारत सरकार को निर्देश दें कि उसकी पत्नि के लिए, उसके बच्चों के लिए और उसके बूढ़े बाप के लिए, जिसके बेटे ने परमवीर चक्र प्राप्त किया है, उचित व्यवस्था करें। मैंने आपको एक सप्ताह से लिख कर दिया हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर आप जरूर कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाईये। मुझे इसके उपर बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूं कि सोनकर जी ने जो यहां पर मामला उठाया उसकी सत्यता को जान लें। मुझे मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस

मामले में कुछ मदद दी जा सकती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: अध्यक्ष जी, केवल उसकी पत्नि को कुछ सहायता मिलती है। इस संबंध में पूरी मदद दी जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सोनकर जी, आप बैठ जाईए। मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप उठ कर खड़े हो रहे हैं। आपको यह भी समझ नहीं आ रहा कि कौन आपकी मदद कर रहा है,कौन नहीं। मैं कह रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मदद होती है या सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मदद होती है। आप जो कह रहे हैं कि उसकी हालत खराब है, तो जांच पड़ताल कर के, अगर रूलस में भी प्रावधान नहीं है तो स्पेशल केस बनाकर उसे मदद दी जाए।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री सोम नाथ चटर्जी(धोलपुर): मैं आशा करता हूं कि सरकार में शामिल कोई व्यक्ति इस पर ध्यान देगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे नोट कर लिया गया है और सरकार इस पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, जब समय आप देते हैं, इम्पार्टेंट मैटर के लिए, ये बहुत इम्पार्टेंट मैटर होते हैं, तो कोई न कोई मिनिस्टर ऐसा रहना चाहिए हाऊस में जो इस बात को नोट करे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा): श्रीमान दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति से जिस तरीके से निबटा जा रहा है वह बहुत ही परेशान और क्षुब्ध करने वाला है। भारत की राजधानी में जीवन एक दु:स्वपन हो गया है। दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित प्राय: सभी कालोनियों से लोगों के प्रतिनिधि मण्डल संसद सदस्यों के पास शिकायतें लेकर आ रहे हैं कि-आप एक परिवार की सुरक्षा के लिए सारे नियम संशोधित कर सकते हैं, आप मंत्रियों और संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपने कानून बनाते हैं, लेकिन हमारी ओर से बात करने वाला कोई नहीं है, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है।

यह शर्म की बात है कि गत नब्बे दिनों के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में छोटी छोटी चोरियों से लेकर अपहरण और डकैती की घटनाओं तक अपराधों की संख्या में लगभग 150 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। कोई बस्ती, यहां तक कि नई दिल्ली नगर पालिका का क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। यह खेद की बात है कि इस विषय पर जब मैंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से चर्चा की तो उसने

बताया कि उनका अधिकांश समय मूहत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में ही लग जाता है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ तक सत्य है, इसका मतलब यह है कि लोगों की इस मांग में दम है कि उनकी चिन्ता करने वाला मुश्किल से ही कोई है।

इस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि केवल आतंकवादी ही नहीं बल्कि चारों ओर से हर प्रकार के अपराधी दिल्ली के आस-पास इकट्ठा हो गए हैं और गम्भीर समस्यायें पैदा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से इस संबंध में वक्तव्य देने, और दिल्ली में आपराधिक स्थिति पर कढ़ाई से नियंत्रण करने के लिए तुरन्त उपचारात्मक कदम उठाने का निवेदन करता हूँ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, आज अखबारों में यह आया है कि चार लोगों का अपहरण कर लिया गया है जो कि बम्बई से बिजनैस के लिए आए थे। परसों, मायापुरी के एक इंडस्ट्रीयलिस्ट का अपहरण कर लिया गया, उसका भी पता नही है। मुझे, पुलिस आफिसर ने बताया कि पहले दस लाख रूपये मांग रहे थे और अब वे पांच लाख रूपए मांग रहे हैं। इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको याद होगा कि इस सदन के अन्दर गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली के एम०पीज० की लॉ एंडआर्डर के बारे में मीटिंग की जाए। उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। मैं, आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ कि इसके बारे में इस सदन की चिंता को देखते हुए दिल्ली की लॉ एंड आर्डर के बारे में बहुत जल्दी मीटिंग बुलायी जाए और दिल्ली की लॉ एंड आर्डर के बारे में विवेचना करें।

श्री अयूब खां (झुंझुनू):- जनाबे सदर मोहतरम्, सन् 1965 की लड़ाई के समय अब्दुल हमीद शहीद हुए और जिनको परमवीर चक्र मिला। मैं भी उसी लड़ाई में था। लेकिन फर्क इतना है कि मेरे को उस लीड लड़ाई में वीर चक्र मिला और अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला। मगर, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र मिला, लेकिन उनकी विधवाओं और उनके परिवार को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। वे आज बेसहारा हैं। मैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि देश की सेना के मोराल के लिए, उन लोगों के लिए जो देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, देश की एकता और अखण्डता की खातिर कुर्बानी देना चाहते है। उन सब के लिए मोराल बूस्ट अप हों। आपने जो व्यवस्था दी है, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने यह बताया है कि यह जो परमवीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं, जिनको दिए जाते हैं तो उनको कुछ रकम देने की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट ने की है और कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में चर्चा चल रही थी। आपने जो कहा है, वह दुरूस्त है, उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): श्रीमान् विगत में यह मामला सदन में इस आशा से उठाया गया था कि संबंधित मंत्री इस पर ध्यान देंगे और कार्यवाही करेंगे। यह मामला हमारे देश मे दो बड़े तेल भंडारों के बारे में है जिनका दोहन नहीं किया जा रहा है।

एक क्षेत्र मध्य गुजरात में है जिसका नाम खतना-कलमासार है और जहां अनुमानत: लगभग

865 मिलियन मीट्रिक टन अपरिष्कृत तेल उपलब्ध है। यह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कार्य कर रहे एक वैज्ञानिक श्री के० सी० राय चौधरी जो कि अब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। उनके जोर देने के कारण ही तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने उस क्षेत्र में तेल की खुदाई की अनुमति दी। एक कुयें में तेल पाया गया जिसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बड़ी उपलब्धि बताई थी। लेकिन उसके बाद आज तक उसकी उपेक्षा की गई है।

दूसरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है–बंगाल डेल्टा। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह पाया गया है कि यहाँ बंगाल की घाटी के 'यूसीन कार्बोनेट प्रस्तर भण्डार' में 60 मिलियन वर्ष पुराना लगभग 28.5 बिलियन मीट्रिक टन का तेल भण्डार है। उन के जोर देने के बावजूद उस क्षेत्र में अभी तक कोई खुदाई नहीं की गई। वह निरन्तर लिखते रहे और यह एक अनोखी लड़ाई है। यह मामला हमने सदन में उठाया था। हम तेल के आयात में करोड़ों रूपये की विदेशी मुद्रा खर्च करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय:– एक तरफ वैज्ञानिकों का एक दल है और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक अपनी सलाह दे रहा हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: श्रीमान जी, यह एक विचार है। दूसरा विचार भी हो सकता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और उसके विचार से यह सत्य नहीं है। लेकिन यह निर्णय कैसे किया जाये? वह मंत्री महोदय को लिखते रहे हैं, हम इस मामले को सदन में उठाते रहे हैं। हमने अनुरोध किया कि सरकार वैज्ञानिक से बात करे। अन्य वैज्ञानिक भी इस विचार का समर्थन कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इस विषय पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी हुई थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: एक प्रख्यात वैज्ञानिक ने भी इस विचार का समर्थन किया था। पेट्रोलियम विभाग के सचिव ने इस विषय पर उनसे चर्चा करने के लिए उन्हें समय देने का वायदा किया था। परन्तु अभी तक यह बैठक नहीं हो पाई।

यदि आप थोड़ा इतिहास देखें तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने जब यह मामला उठाया तो उसे तंग किया गया और उसे स्थानान्तरित कर दिया गया। मैं नहीं जानता कि क्या रहस्य है। हमें इसका पता लगाना चाहिए। इस के पीछे कोई निहित स्वार्थ है। इस सदन में कुछ रूचि लेने वाले सदस्य हैं और इस मामले की जांच करने के लिए तीन, चार अथवा पांच सदस्यों की समिति गठित की जा सकती है। यदि यह सच है तो हम एक तेल निर्यातक देश बन सकते है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई अन्तर्राष्ट्रीय चाल हो, मुझे नहीं पता।

इसलिए मेरी मांग है कि इस सदन के रूचि रखने वाले सदस्यों को लेकर एक समिति गठित की जाये। श्रीमान्, आप एक वैज्ञानिक रूझान वाले व्यक्ति हैं। **(व्यवधान)** वह समय समय पर हमारे पास आते रहे हैं। मैं भी, यहाँ बैठे अन्य सदस्यों को तरह ही जनता का प्रतिनिधि हूं और यदि हम महत्वपूर्ण मामलों

पुर कार्यवाही की पहल न कर सकें तो इसका क्या उपयोग है? हमें बताया गया है कि ये वैज्ञानिक खोजें हैं। बंगाल की घाटी में किसी खास क्षेत्र में, खुदाई कराई गई थी। लेकिन उन्होने कहा कि उस क्षेत्र में तेल नहीं मिल पाया और आप इसे किसी दिशा में 38 अंश तक मोड़ दीजिए। वहाँ तेल का पता लग सकता है। किन्तु यह विघटन नहीं हुआ। क्यों? मैं यह जानना चाहता हूँ। काफी धन व्यर्थ खर्च किया जा रहा है किन्तु उपयुक्त क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य नहीं हो रहा है। इसी कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभा की एक छोटी सी समिति बनाई जाये जिसके समक्ष इन वैज्ञानिकों की समस्त खोजों को रखा जा सकता है। जो लोग इन खोजों के निष्कर्षों से असहमत हों, उन्हे उस समिति के सम्मुख बुलाया जाये। वे किसी निष्कर्ष पर तो पहुँचे। यह हमारी अर्थ -व्यवस्था के स्वास्थ्य तथा विदेशी मुद्रा की बचत से संबंधित एक अति गम्भीर मामला है।

आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। आपका वैज्ञानिक रूझान है। आप विज्ञानविद हैं। आप देश की भलाई चाहते हैं । मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप संबंधित मंत्रालय को निर्देश दें कि इस मामले को वे अत्यन्त गंभीरता से लें ताकि यह सदन इस मंत्रालय को सही दिशा में अग्रसर होने में सहायता दे सके।

श्री चित्त बसु : महोदय, हमने पहले भी यह मामला उठाया था।

(व्यवधान)

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी): महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले,, उड़ीसा के गंजम जिले के बरहामपुर शहर में सैन्यदल तथा स्थानीय पुलिस के बीच एक बर्बर तथा खूँखार मुठभेड़ का प्रयास हुआ। उसकी शुरूआत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्योग से हुई जिसमें एक फौजी प्रशिक्षु अधिकारी पर पुलिस द्वारा एक सिनेमा हाल के निकट बर्बरतापूर्ण हमला किया गया, जिससे सैनिक रेजिमेंट में अत्यधिक तनाव और क्रोध व्याप्त हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, सेना और पुलिस बल हथियारों और गोला बारूद से लैस होकर सड़कों पर उतर आये, और एक दूसरे को मारने को तैयार थे। रेजीमेंट के आर्मी जनरल ने सैन्य जांच का आदेश दिया है। किन्तु अभी तक पुलिस प्रशासन तथा उड़ीसा सरकार कानूनी जांच कराने तथा पुलिस आन्दोलन में भाग लेने वाले पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के मामले में बड़े उदासीन तथा मूक रहे हैं।

इसी प्रकार, पुलिस दस्तों ने उड़ीसा राज्य स्थित मेरे गृह नगर, फुलबनी में हिंसा फैलाई है तथा निर्दोष लोगों की एक शान्तिपूर्ण रैली पर लाठी-चार्ज किया है।

मैं गृह मंत्री जी से नगर में फिर से विश्वास तथा शान्ति की स्थिति स्थापित करने हेतु इस मामले में दखल देने का अनुरोध करता हूँ।

श्री जी०एम०सी० बालयोगी (अमालापुरम): महोदय, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला स्थित काकीनाड़ नगर अपने दो उर्वरक संयत्रों तथा अन्य संबंधित लघु इकाइयों के साथ तेजी से एक औद्योगिक केन्द्र बनता जा रहा है। मछली पकड़ना इस क्षेत्र के अधिकांश लोगो का प्रमुख व्यवसाय है। इनके अतिरिक्त,

वहां पर एक इंजीनियरिंग कालिज तथा एक मेडिकल कालिज भी है। इन औद्योगिक इकाइयों तथा कालिजों के कारण इस नगर में आने जाने वाले लोगों की संख्या भी काफी है। दुर्भाग्यवश, परिवहन सुविधाओं के संबंध में यह नगर किसी कारण उपेक्षित रहा है। अभी तक यहां कोई उपयुक्त रेल सुविधा नहीं है। यह नगर रेलवे की मुख्य लाईन से नहीं जुड़ा है। लोगों को मुख्य लाईन की रेलगाड़ियां पकड़ने के लिये समलकोट पहुँचने हेतु शटल सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है।

हाल ही में, रेल विभाग ने समलकोट तथा काकीनाड़ के मध्य स्थानीय रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। नयी रेलगाड़ियों लगाने के स्थान पर ये रेलगाड़ियां भी उन्होने रद्द कर दी हैं तथा उस क्षेत्र के लोगों के लिये अनेक समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं। अतः, मैं आपसे समलकोट और काकीनाड़ के बीच स्थानीय रेलगाड़ियों को तुरन्त फिर से शुरू कराने का अनुरोध करूंगा लोगों की सुविधा हेतु, काकीनाड नगर को रेलवे की मुख्य लाइन से जोड़ा जाये। काकीनाड-कोटीपल्ली के बीच रेलवे लाइन जो काफी समय पहले बन्द कर दी गयी थी, को यदि फिर से चालू कर दिया जाये, तो उससे इस जिले के बहुत से लोगों को लाभ होगा।

काकीनाड़ स्थित बन्दरगाह अभी भी अल्प विकसित है। यदि इस बन्दरगाह का विकास करने हेतु तुरन्त कार्यवाई की जाये, तो इससे व्यापारी समुदाय को अपनी वस्तुओं का निर्यात और आयात करने में मदद मिलेगी।

गोदावरी नदी पर पोलावरम बहुद्देशीय परियोजना अभी भी लम्बित पड़ी है। यदि इस परियोजना को तुरन्त स्वीकृति मिल जाये, तो इस क्षेत्र के बहुत से लोग लाभान्वित होंगे।

अन्ततः मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जिले का एक व्यक्ति बी० एस० राजू असम में उल्फा गतिविधियों के कारण मारा गया था। इसका सारा परिवार जिसमें वृद्ध माता-पिता तथा बहनें शामिल हैं उसी पर निर्भर था। मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री से श्री राजू के परिवारजनों को उपयुक्त मुआवजा देने का अनुरोध करता हूं।

(हिन्दी)

श्रीमति भावना चीखलिया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, आज 44 साल की आजादी के बाद भी हमारे ही देश में हमारी भारतीय वेश-भूषा का कहीं-कहीं अपमान हो रहा है जबकि विदेशों में हमारी संस्कृति और हमारी वेशभूषा का आदर हो रहा है। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। हम भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन् के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में 5 सितंबर, 1991 को गुजरात के जामनगर शहर के एक स्कूल सेंट ऐन्स में छात्राओं ने जब भारतीय वस्त्र धारण किए, भारतीय साड़ी, हाथ में गंगन, माथे पर बिन्दी लगाकर गईं..

अध्यक्ष महोदय: आप एक स्कूल की ड्रेस का प्रश्न यहां उठाएंगी!

श्रीमती भावना चिखलिया: यह उस शिक्षक दिवस का मामला है। उस दिन जब छात्राएं भारतीय वेश में गईं तो उनको प्रिन्सिपल ने बुलाया और अपमानित किया और समारोह में हिस्सा लेने से मना किया और सबके सामने अपमानित किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे स्कूलों का सरकार अधिग्रहण करे और शिक्षा मंत्री महोदय इस बारे में बयान दें तथा ऐसे स्कूल अधिकारियों पर संविधान तथा कानून के अंतर्गत कार्रवाई करें।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, आज इस सत्र के अन्तिम दिन मैं आप के माध्यम से इस अवसर पर सरकार को देश के अल्पसंख्यकों को दिए गए एक महत्वपूर्ण आश्वासन के बारे में याद दिलाना चाहूंगा।

आश्वासन यह था कि अल्पसंख्यक आयोग को संविधिक मान्यता प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 जनवरी, 1978 को भारत सरकार के एक संकल्प के आधार पर किया गया जिसमें चेयरमैन सहित पांच धार्मिक अलपसंख्यक समुदायों अर्थात् इसाईयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसीयों और मुस्लिमो में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को नियुक्ति किया गया था। फिर 30 मार्च, 1988 को एक संशोधित संकल्प के आधार पर इस आयोग को भारी उत्तरदायित्व सौंपे गये जिनमें राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में किए जाने वाले उपयुक्त विधिक एवं कलयाणकारी उपायों के बारे में सुझाव देना भी शामिल था। अतः जब तक ऐसे आयोग का सांविधिक मान्यता प्रदान नहीं कि जाती, तब तक इसके लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना आसान नहीं होगा। देश के सभी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देते हुए अल्पसंख्यक आयोग के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भी सरकार से इस आयोग को सांविधिक मान्यता देने का अनुरोध किया गया था। इस आयोग के सार्थक ढंग से कार्य करने के लिए इसे सांविधिक मान्यता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करेगी।

श्री मोहम्मद युनुस सलीम (कटिहार): जनाब स्पीकर साहब, बिहार स्टेट के अक्सर हिस्सों में तुग्रयानी और फ्लड आया हुआ है और वहां के दरिया बाढ़ पर हैं। मैं इस हाउस में कटिहार कांस्टीट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे पास दो-तीन दिन से बराबर टेलीफोन से इत्तिला आ रही है कि वहां की दरिया महानन्दा बाढ़ पर है और कटिहार, बारसोई, मनिहारी, बरालपुर और कोड़ा के इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। गांव के रहने वाले जो फूस के मकानों में रहते हैं, वह बरबाद और तबाह होकर रेलवे स्टेशनों पर और सड़कों पर दिनों से पड़े हुए हैं। न उन के खाने का कोई इंतज़ाम है और न उनके लिए कपड़ें का कोई इंतजाम है। न उन के लिए छत का साया है और न उनके लिए दवाओं का कोई इंतजाम है, इस बात का डर पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कॉलेरा बड़े पैमाने पर वहां फूट पड़े। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को मुतवज्जह किया है, पर उनके पास काफी मसाएल नहीं है। मैं आपके ज़रिए से सरकार को, मरकज़ी सरकार को मुतवज्जह करना चाहता हूं कि वह इस ओर फौरन तवज्जह करें और गिज़ा, कपड़ा, और दवाएं वहां पहुंचाएं और ऐसा इंतजाम करें कि वहां बीमारी न फैलने पाए और उन लोगों को बसाने के लिए मुनासिब तदबीर अख्तियार करें ताकि उनके परिवार को आराम मिल सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): अध्यक्ष जी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यहां परमवीर चक्र विजेता श्री अब्दुल हमीद की उपेक्षा के बारे में आपसे बताया लेकिन सवाल केवल अब्दुल हमीद की उपेक्षा का ही

नहीं है। सवाल राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खिलाड़ियों की उपेक्षा का है। इस संबंध में, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि तमाम गोल्ड मैडलिस्ट राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नारकीय जीवन जी रहे हैं। आज ग्रामीण खेल और खिलाड़ियों तथा शहरी खेल और खिलाड़ियों के बीच में एक लम्बी खाई हो गयी है। ग्रामीण खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा इस कदर हो रही है कि शहरी खेलों, जैसे टैनिस, क्रिकेट, बैडमिन्टन आदि का तमाम प्रचार प्रसार होता है जब कि ग्रामीण खेल खिलाडियों का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता। ग्रामीण खेल और खिलाड़ियों के लिये जो सैन्टर खुला करते थे, अखाड़े खुला करते थे, मैदान हुआ करते थे, उनके प्रचार प्रसार और सुविधाओं के सभी काम बंद होते जा रहे है। कुछ दिन पहले अनेक पहलवान मुझसे मिलने आये थे और एक ग्रामीण खेलों का खिलाड़ी होने के नाते, मैंने उनके दर्द को पहचाना, व्यथा को जाना कि वास्तव में उनका दर्द क्या है।

अत: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि भारत में ग्रामीण खेलों और खिलाड़ियों की उपेक्षा अब बंद होनी चाहिये। एक ही देश में खिलाड़ियों के दो स्तर बनाये जाते हैं, इससे बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा, एक खिलाड़ी होने के नाते, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह स्थिति में सुधार लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये, व्यवस्था करे।

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया, इसके लिये आपको धन्यवाद। मैं ऐसा समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से को-आपरेटिव्ज, जो बड़ी फैक्टरीज़ हैं और निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, उनकी ओर से ग्रामीण खिलाड़ियों को मदद दी जा सकती है, उसका पूरा प्रावधान कानून में भी होना चाहिये।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का आखिरी दिन है और मैं एक बहुत महत्व का सवाल आपके समक्ष रखना चहता हूं। सवाल यह है कि 12 तारीख को बोफोर्स काण्ड के सिलसिले में, जब यहां सवाल छेड़ा गया, उस समय इस सदन में और सदन के बाहर भी, सरकार की ओर से यह कहा गया कि * जो भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि -

(अनुवाद)

समय आ गया है कि बोफोर्स मामले को भुला दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: नाम का उल्लेख कार्यवाही वृतान्त में नहीं किया जाएगा।

(हिन्दी)

श्री रवि राय: उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया कि वह असत्य है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, सदन जानता है, सारा देश जानता है कि रेडियो स्वीडन के जरिये बोफोर्स काण्ड के सिलसिले में सारी दुनिया को जो खबर मिली, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि यदि सरकार कोई असत्य बात कहे तो आप कैसे सरकार को माफ कर सकते हैं। सारे तथ्य इस बारे में स्वीडन के प्रिंट मीडिया और रेडियो के जरिये जो आये हैं, उन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वे तथ्य यह है कि

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

स्वीडन सरकार के जो वार मैटीरियल इंस्पैक्टर हैं, जिनका नाम हैडमैन है, उनका कहना है कि इस तरह की खबर.... (व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: मेरा सादर निवेदन है कि यदि हमारे देश के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार पर विश्वास किया जाना एवं कार्यवाही करना आवश्यक है, तो इसे सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि इसमें कुछ सत्य का अंश विद्यमान है। यदि किसी विदेशी समाचार-पत्र में अथवा किसी विदेशी रेडियो पर कोई बात कही गई है, तो क्या उसे यहां उठाना चाहिए? समाचार-पत्रों में ऐसे लेख लिखे जा रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि सदन से बाहर प्रकाशित किसी बात को सभापटल पर नहीं लाया जाना चाहिए। यदि कोई मामला देश से बाहर किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है, तो सभा के समक्ष उसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः मेरा सादर निवेदन है कि हम लोग कृपया इन बातों पर अवश्य ध्यान दें।

(हिन्दी)

श्री रवि राय: सवाल है और मेरी आपसे यह सबमिशन है कि मान लीजिये बोफोर्स काण्ड के मामले में जो सारी जानकारी हिन्दुस्तान के अखबारों और हिन्दुस्तान के दूरदर्शन से नहीं मिली वह सूचना स्वीडन के प्रिंट मीडिया व स्वीडन रेडियो से मिली, उसी के ऊपर यहां सारी बहस चली जिस पर सरकार की ओर से कहा गया कि इस तरह का नहीं हुआ है लेकिन वहां के अखबारों में सारा छप चुका है और जो कुछ वहां कहा जा रहा है, कहा गया है, यहां सरकार की ओर से उसका खण्डन तक नहीं किया गया, सरकार उसका कोई खण्डन नहीं कर रही है।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: समाचार-पत्र वास्तव में ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें जो प्रकाशित होता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन समाचार-पत्र में जो बात प्रकाशित होती है वह जब तक प्रमाणित न हो जाये, उसे न्यायालय और सभा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई भी न्यायालय किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित बात को स्वीकार नहीं करेगा अथवा संसद या विधान मंडल स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि सदस्य द्वारा यह न कहा जाये कि उसका इस बात पर विश्वास है तथा मैं यह गारंटी देता हूं कि यह एक सत्य कथन है। अब यह कार्यपालिका पर निर्भर है कि वह इसे कार्यान्वित करे।

(हिन्दी)

श्री रवि राय: अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप जो राय दे रहे हैं, उससे तो मैं सहमत हूं लेकिन अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि सरकार की जो सिंसियोरिटी बोफोर्स की इस सारी चीज को सामने लाने के लिए है या नहीं क्योंकि हमको यह ठर लग रहा है जब कि मिस्टर कुमार मंगलम यहां बैठे

हैं और उन्होंने ही उस दिन सदन को आश्वासन दिया था कि हम बोफोर्स के सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सारी चीजें करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोगों के सामने एक चीज यह आई है-फिर सरकार 400 हॉवित्जर तोपें और अन्य चीजें खरीदना चाहती है जो लगभग 3500 करोड़ की हैं, तो इन चीजों को खरीदने में क्या फिर ऐसी चीज नहीं होगी? क्योंकि जो चीजें पहले इस कम्पनी के सम्बंध में हुई हैं वह आप जानते हैं, तो फिर सरकार बोफोर्स के साथ करार करने जा रही है यह खबर दुनिया के सारे अखबारों में छप रही है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक बोफोर्स को ले कर तो अभी तक सारे तथ्य देश के सामने नहीं आ पाए हैं, तो अब जब आज सत्र समाप्त हो रहा है सरकार की तरफ से बाकायदा बयान आना चाहिए कि वह सचमुच इस मामले में प्रयत्नशील है कि नहीं और जो रिश्वत रेसिपियेंट्स हैं, उनके नाम देश के सामने रखने में इंटरेस्टेड है। यह चीज साफ तौर से सरकार की तरफ से आनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, आज सदन के इस सत्र का अंतिम दिन है और मैं इसको काफी गम्भीरता के साथ कह रहा हूं और खासतौर से जब हमारे कुमारमंगलम् साहब यहां हैं, तब तो और भी जरूरी हो जाता है, जब ये अपोजीशन में थे, तो बेल तक पहुंचते थे और जब ये सरकार में हैं, तो लगता है कि ये सब कुछ भूल गए हैं। ईवेन कि लेबर तक को भी भूल गए हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग अपने समय में यह मामला कई बार उठा चुके हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो। मैंने संसद में यह मामला उठाया है कि प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी हो और आज जो प्रबन्ध का काम चल रहा है, उसमें मजदूर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो घाटा होता है वह मजदूर के जिम्मे हो जाता है और जो मुनाफा होता है, वह मालिक के जिम्मे हो जाता है। हमने इस सम्बन्ध में अपनी सरकार के समय में, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, शुरू में ही, जनवरी में ही, ज्योंही हमने लेबर मिनिस्टर के रूप में ओथ ली थी, त्यों ही दो दिन का सेमीनार कर के तमाम जितने भी लेबर लीडर थे और जो भी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, जो इसमें इंटरेस्टेड थे, सब लोगों का एक सेमीनार दो दिन तक कर के, सर्वानुमति से एक बिल तैयार किया था और उस बिल को मई के महीने में दूसरे सदन में पेश करने का भी काम किया था। हम लोगों ने दो-तीन बार बातें भी की और भी इसमें जो संशोधन हो वह किया जाना चाहिए था और फोर्थ क्लास के लैवल से लेकर के ऊपर के लैवल तक, बोर्ड के लैवल तक, के मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। जो नयी सरकार बनी है, उस नयी सरकार ने अपने घोषणा पत्र से लेकर के प्रैसीडेंश्यल एड्रेस तक, इस बात का जिक्र किया है कि हम मजदूरों के लिए काफी चिन्तित हैं, लेकिन पिछले दिनों जो देखा, उससे ऐसा लगता है खास कर के सरकार की जो औद्योगिक नीति है उससे हमें ऐसा लगता है कि सरकार मजदूरों से बहुत दूर जा रही है और मजदूर विरोधी काम कर रही है। इसलिए हमें सरकार की नीयत पर डाउट होने लगा है। अतः हम सरकार से साफ-साफ जानना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसके लिए कोई नया बिल लाने की जरूरत भी नहीं है। बिल आलरेडी पेश है, आप उसमें अगर कुछ जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने का काम कीजिए मजदूरों के हित में, नहीं तो जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाईड वाली बात हो जाएगी। आज देश को आजाद हुए 44 साल बीत गए, यदि आपने आजादी के तुरन्त बाद ही मजदूरों को प्रबन्ध में

भागीदारी दिए जाने का काम किया होता, तो मैं समझता हूं कि उद्योग धंधों की इतनी दुर्गति नहीं होती। लेकिन जब एक बिल दूसरे सदन में पेश है और बार-बार सरकार कह रही है कि हम तो मजदूरों के हितैषी हैं, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी का जो बिल हमने पेश किया हुआ है उसको पास क्यों नहीं करना चाहती है, क्यों उसके प्रति उपेक्षा की नीति अपनाए हुए है? सरकार क्या इस मामले में सीरियस है या नहीं और सरकार क्या इसको लागू करना चाहती है या नहीं? यदि लागू करना चाहती है, तो कितने दिन के अंदर इस बिल को पास करेगी और इसको लागू करने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार का इस पर अवश्य रिएक्शन होगा।

(अनुवाद)

श्री वसुदेव आचार्य: यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और विधिन्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) वह इस मुद्दे को सत्र के अंतिम दिन उठा रहे हैं

श्री राम विलास पासवान: कृपया उन्हें सही जानकारी दें कि मैं इस मुद्दे को पहली बार नहीं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप शायद सत्र के अंतिम दिन तक इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि क्या इस विधेयक को पुन:स्थापित किया जा रहा है

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या सरकार ने इसके बारे में तभी सोचा है जबकि इस मुद्दे को माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी ऐसा मामला नहीं है जो किसी एक दल से संबंधित हो। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सदन में सभी दल एकमत है और हम सभी एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। सरकार प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं, और माननीय भूतपूर्व श्रममंत्री श्री राम विलास पासवान को उन समस्याओं की जानकारी है जो जब यह विधेयक राज्य सभा में था उस समय खड़ी हुई थीं और इसे तत्काल लोक सभा में लाकर परित क्यों नहीं किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्रावधान के दौरान हम सब दलों के साथ मिलकर बैठेंगे और अंतत: इन बिखरे सूत्रों को एक कर देंगे और मुझे आशा है कि अगले सत्र में हम इसे पारित कर पायेंगे।

एक और मामले के बारे में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा, बोफोर्स के मामले को अनावश्यक रूप से दोहराया जा रहा है, इससे पहले मैं कह चुका हूं कि सरकार बोफोर्स के मामले में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है और इस मामले पर ध्यान तेजी से दिया गया है। ऐसा कहने के बाद, मुझे यह समझ में नही आता कि विरोधी पक्ष के सदस्य, विशेषकर वरिष्ठ सदस्य इसे बार-बार क्यों उठा रहे हैं और हर बार वे इसे एक नए कोण से कहने की कोशिश करते हैं, यह सही नहीं है, यह सब व्यर्थ है।

श्री रविराय: इसके कारण स्पष्ट है

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: इसमें राजनीतिक कारणों के सिवा कोई अन्य कारण नहीं है।

(हिन्दी)

श्री शिवचरण वर्मा (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मछलीशहर जौनपुर, उत्तर प्रदेश गोमती नदी, पीली नदी, सई नदी, वसुही नदी तथा बकुलाही आदि बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा घिरा हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा वीरापुर प्रतापगढ़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग उमरन ताल, चनवा ताल, रामापुर ताल, भवानी गढ़ताल, कहला भुजइनी, खाखापुर, कमासिन तथा लपकन (सेखूपुर) प्रलयंकारी तालों से घिरा हुआ है। सारी खरीफ की फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो गई हैं। बकुलाही नदी से धीरपुर क्षेत्र का पश्चिमी भाग अत्यन्त प्रभावित है।

पट्टी नाला, सई नदी तथा वसुही नदी, सरसी ताल तथा दाउदपुर झील के भयंकर बाढ़ से विधानसभा पट्टी वीरापुर प्रतापगढ़ का उत्तरी भाग, विधान सभा गड़वारा तथा मछलीशहर, जौनपुर के सैकड़ों गांव सई नदी तथा वसुही नदी के भयंकर बाढ़ से जलमग्न हैं। गोमती नदी व पीली नदी के बाढ़ से ब्लाक बदलापुर तथा खरहन के सैकड़ों गांव बुरी तरह से जलमग्न होकर प्रभावित हैं खरीफ की सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, मनुष्यों तथा पशुओं में भुखमरी पैदा हो गई है, अभी तक दमदम ताल की उमरन ड्रेन, चनवी ताल की सुल्तानपुर ड्रेन तथा अन्य ड्रेनों में जलनिकास की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है, इन ड्रेनों के जल निकास की फुल केपिसिटी के लिए अभी 3 फीट और चौडी तथा 3 फीट गहरा करने की नितांत आवश्यकता है।

मैंने जनपद जौनपुर व प्रतापगढ़ के जिलाधिकारियों, सम्बन्धित उच्च अधिकारियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया है किन्तु अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। खरीफ की सारी फसल नष्ट हो गई है। किसानों तथा पशुओं में भुखमरी उत्पन्न हो गई है। छोटी नदियों में अभी तक सई नदी के वेलचार घाट के पुल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को 28 पत्र लिखे हैं। उन्होंने ऐसे पत्रों पर अभी तक गंभीरता के साथ विचार नहीं किया है मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों मे तत्काल भारत सरकार द्वारा उचित कार्यवाही कराएं।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

(अनुवाद)

श्री थाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर): मणिपुर के लोग खाद्यान्न अर्थात चावल की भारी कमी के कारण कष्ट उठा रहे हैं। राज्य में चावल की कमी है। विशेषकर मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहां खाद्यान्न न पहुंचने के कारण इसका अभाव झेलना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 100,00 मीट्रिक टन चावल रोका हुआ है। क्या इसे किन्हीं राजनीतिक विचारणों के आधार पर नहीं भेजा जा रहा है? इसलिए मैं इस मामले को यहां उठा रहा हूं। यह एक अत्यंत गंभीर मामला

है। मैंने इसे कल भी उठाने का प्रयास किया था।

मेरे पास हमारे मंत्री महोदय द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को लिखे गए पत्र की एक प्रति है जिसमें अगर ऐसा राजनीतिक विचारणों से किया जा रहा है तो लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय: वहां चावल भेजा जाना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं ना।

श्री याइमा सिंह युमनाम: महोदय मणिपुर सरकार ने 16 प्रतिशत ब्याज पर भारतीय खाद्य निगम को 3,70,00,000 रुपये राशि का भुगतान किया था। अब पिछले चार महीनों से, जून के बाद से हमें खाद्यान्न की सप्लाई नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: अब सदन के पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

1.10 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

विद्युत और गैर - परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)

मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा -परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 697/91)

दूरसंचार विभाग का वर्ष 1989-90 के लिये लाभ तथा हानि लेखा तथा तुलन-पत्र

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू):

मैं श्री राजेश पायलट की ओर से, दूरसंचार विभाग के वर्ष 1989-90 के लाभ तथा

हानि लेखा तथा तुलन-पत्र (प्रोद्भवन आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 698/91)

इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेसन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती व्ही० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा एक के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं -

(1) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 699/91)

1.11 म० प०

विधेयक पर अनुमति

महा सचिव : महोदय, मैं 30 अगस्त, 1991 को सभा को पिछली बार सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (सं० 4) विधेयक, 1991 को सभा पटल पर रखता हूं।

1.11½ म० प०

राज्य सभा से संदेश

महा सचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसारण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि

राज्य सभा 14 सितंबर, 1991 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 11 सितंबर 1991 को पारित किये गये, विशेष संरक्षा ग्रुप विधेयक, 1991 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(ii) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 10 सितंबर, 1991 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :-

"यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा द्वारा अपनी 26 जुलाई, 1991, को हुई बैठक में अंगीकृत किये गये प्रस्ताव में उल्लिखित उद्देश्यों हेतु दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसे लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति कहा जाये, का गठन किया जाये और यह प्रस्ताव करती है कि यह सदन उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, इस सदन के सदस्यों में से पांच सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति के लिये निर्वाचित करे।''

2 मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव का पालन करते हुए, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिये विधिवत चुन लिया गया है :-

1. श्री ई० बालानन्दन
2. श्रीमती कैलाशपति
3. श्री सोमपाल
4. श्री संतोष कुमार साहू
5. श्री सुब्रहमण्यम स्वामी।

1.12 म० प०

याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण

(एक) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में संशोधन करने की आवश्यकता

(दो) (क) जीवन स्तर, साक्षरता तथा मृत्यु दर के मामले में शहरी और ग्रामीण जन संख्या के बीच विषमता को दूर करना और

(ख) 'कृषि को उद्योग' के रूप में माना जाना

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन): महोदय, मैं भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में श्री डी० टी० जयकुमार, पूर्व विधान सभा सदस्य, कर्नाटक और श्री चिक्कामादू जिला परिषद सदस्य, हुनासुर, जिला मैसूर द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम पाल सिंह (डूमरियागंज): महोदय, मैं (एक) जीवन स्तर, साक्षरता तथा मृत्यु दर, के मामले में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच विषमता को दूर किये जाने तथा (दो) "कृषि" को "उद्योग" के रूप में माना जाने, के बारे में श्री भानु प्रताप सिंह, गांव तथा डाकघर सोहना, जिला सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश) तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

1.13 म० प०

(अनुवाद)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान पिछले पक्ष के दौरान सिक्किम संग्राम परिषद के दो संसद सदस्यों-श्रीमती दिल कुमारी भंडारी के पिछले 18 जुलाई को लोकसभा में तथा 19 जुलाई को राज्य सभा में श्री कर्मा तोपदन द्वारा मेरे विरुद्ध दिए गए दो अलग-अलग दुखद वक्तव्यों की ओर बार-बार आकृष्ट किया गया है। दोनों लोगों ने कुर्सियोंग-जो कि मेरे दार्जिलिंग चुनाव क्षेत्र का एक भाग है- की एक आम सभा में मेरे कथित वक्तव्य के आधार पर मुझ पर आक्रमण किया है मेरे बारे में कहा गया कि मैंने घोषणा की थी नेपालियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है।

मित्रों, सदन के माननीय सदस्यों में से कुछ ने दोनों टिप्पणियों को नजरअन्दाज करने की सलाह दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इन साथी सदस्यों और इनके संरक्षकों ने उनके वक्तव्यों का औपचारिक खण्डन न करने के मेरे निर्णय का अनुचित लाभ उठाया है। अध्यक्ष महोदय, देश के अनेक भोले-भोले और अच्छे लोग इससे भ्रमित हुए हैं जिस कारण मुझे आपकी अनुमति लेकर आज यह वक्तव्य देने तथा कार्यवाही वृतान्त को ठीक करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मैं सभी के समक्ष यह बात हमेशा के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने वह बात कभी नहीं कही जिसे मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है। जिस कथित वक्तव्य को मेरे द्वारा दिया गया बताया गया है वह झूठा और मन गढ़न्त है। यह मुझे बदनाम करने और मेरी छवि खराब करने की सोची समझी साजिस है। क्या ही अच्छा होता यदि संबंधित सदस्यों, ने एक साथी सदस्य होने के नाते उक्त कथन की सत्यता परखने में थोड़ी सी सदाशमता बरती होती श्री टापडेन ने राज्य सभा में एक बार कहा था कि "इस प्रकार वक्तव्य यदि सत्य है तो....." उन्हें मुझपर बरसने के पहले इसके बारे में मुझसे जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए थी।..... **(व्यवधान)**

श्री अटल विहारी बाजपेयी (लखनऊ)-श्रीमान राज्य सभा में जो कुछ कहा गया उसे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा के एक सदस्य ने उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाया है। वह वहां जाकर वक्तव्य नहीं दे सकते। इसीलिए वह यहां वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): बाहर कही गई किसी बात के लिए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मत दीजिए

(व्यवधान)

श्रीमान ! वह प्रेस में जा सकते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विनिर्णय पढ़ता हूं उसमें कहा गया है

"यदि लोक सभा के सदस्य के खिलाफ राज्य सभा में कोई आरोप लगाया जाता है, तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जा सकती है। "

श्री इन्द्रजीत: धन्यवाद, महोदय

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह राज्य सभा के किसी सदस्य के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे हैं। वह तो केवल अपने विरूद्ध लगाये गए आरोप का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वह राज्य सभा में नही जा सकते। यदि उन्हें यहाँ भी वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो इसे संसद के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाता। इसीलिए उन्हें अनुमति दी गई है। **(व्यवधान)**

(हिन्दी)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसका नतीजा क्या होगा ? आज इन्द्रजीत जी यहाँ जो कुछ कह रहे हैं, राज्यसभा में कही गयी बातों के जवाब के रूप में, तो कल राज्य सभा में, इन्होंने आज जो कहा है, उसका जवाब दिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, असल में.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह जवाब और सवाल का सिलसिला कब खत्म होगा?

अध्यक्ष महोदय: यहां के मेम्बर को वहां के मेम्बर के खिलाफ इस हाउस में बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कही ऐसा कुछ रिकार्ड पर आया है तो वह उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

(अनुवाद)

यदि वह उनके खिलाफ कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जायेगा। आरोप लगाने और स्पष्टीकरण देने में अन्तर है और विनिर्णय में यही व्यवस्था है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। लेकिन ये विनिर्णय हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, बात यह नहीं है कि हम लोक सभा के सदस्य के विरुद्ध राज्य सभा में कही गई बात का समर्थन कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि इससे किस प्रकार निपटा जाए?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यही मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। यदि लोक सभा के सदस्य के विरुद्ध राज्य सभा में आरोप लगाये जाते हैं तो लोकसभा के सदस्य को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जा सकती है। यह 30 अगस्त, 1969 को दिया गया विनिर्णय है। 1 अप्रैल, 1970 को भी एक ऐसा ही विनिर्णय दिया गया था और एक तीसरा विनिर्णय 4 अप्रैल, 1970 को दिया गया था। और भी बहुत सारे विनिर्णय हैं।

श्री इन्द्रजीत महोदय: न्याय करने के लिए धन्यवाद

(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन - (बडागरा) राजनैतिक दबावों के संबंध में आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गत कुछ वर्षों से श्रीमती भंडारी को करीब से जानता हूं और इसी तरह श्री तोपदन से भी परिचित हूं जिनसे मेरी प्रथम भेंट गंगटोक में सिक्किम के मुख्य मंत्री के सचिव के रूप में हुई। मैं जानता हूं कि उनकी कुछ व्यक्तिगत व राजनैतिक मजबूरियां हैं। दार्जिलिंग समझौता सम्पन्न कराने में मैंने मध्यस्थता की जो भूमिका निभाई थी उससे वे दोनों ही परिचित हैं वे भली भांति जानते हैं कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों के शानदार लोगों से मैं स्नेह करता हूं और इन लोगों को चिरविलम्बित न्याय दिलाने के लिये भरपूर प्रयास करने के लिये मैं वचन बद्ध हूं। दोनों यह भी जानते हैं कि दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के प्यार व स्नेह के परिणामस्वरूप ही मैं दो वर्षों में दो बार वर्ष 1989 में और फिर पिछली मई में भारी बहुमत से लोक सभा के चुनाव में जीत सका हूं।

भारत-नैपाल समझौता भारत में रह रहे नैपालियों तथा नैपाल में रह रहे भारतीयों को आवास व्यापार व रोजगार इत्यादि के संबंध में कुछ पारस्परिक अधिकार प्रदान करता है। नैपालियों को भारत में रहने और पारस्परिक आधार पर इन अधिकारों तथा विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि बहुत से नैपालियों ने अंग्रेजों के जमाने से भारतीय सेना में सेवा की है और अब भी गोरखा रेजिमेन्टों मे वीरता पूर्वक सेवारत हैं। हम भारतवासी उनके बलिदानों व सेवाओं के लिये उनके आभारी हैं। विश्व में उनकी वीरता में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे गोरखा भाई भी अधिक संख्या में अपनी मातृ भूमि की सेवा करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। इन जवानों की निष्ठा पर

मेरे द्वारा कभी कोई लांछन लगाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मुझपर एक करोड़ नैपाली-भाषी लोगों को विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। यह बात सच्चाई से बिल्कुल परे है यह सत्य है कि मैं भारतीयों और गैर भारतीयों में भेद करता हूं। अतः भारत में भारतीय भी रहते हैं और नैपाली भी, भारत में दोनों का अपना-अपना स्थान है। एक वे जो भारतीय नागरिक हैं और दूसरे भारत-नैपाल समझौते के अन्तर्गत यहां रहने वाले नैपाली हैं इसमें किसी प्रकार की भ्रान्ति की कोई गुंजाईस नहीं है।

मेरा श्री कर्मा तोपदन और श्रीमती दिल कुमारी भंडारी, दोनों से तथा उनके समर्थकों से अनुरोध है कि वे मुझे बदनाम न करें।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि आपने इन्हें बोलने की अनुमति दी, परन्तु वह अपने स्पष्टीकरण में भारत -नैपाल संबंधों पर वक्तव्य नहीं दे सकते मैं नहीं जानता कि वे किस संबंध में बोल रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि यह एक ऐसा नाजुक मामला है कि माननीय सदस्य हमें नहीं निपटा सकते। उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिये और कहना चाहिए कि उनके मन में नैपालियों के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है। पर उन्होंने भारत-नैपाल समझौते इत्यादि का उल्लेख किया है वह जो कुछ सभा में कह रहे हैं क्या वह उसमें अन्तर्ग्रस्त बातों को जानते हैं? क्या आपने उनके वक्तव्य में अन्तर्ग्रस्त बातों पर विचार किया है? और मैं नहीं जानता कि यह स्वयं के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत कैसे आता है? मैं अपना स्पष्टीकरण देने के अधिकार को मानता हूं। सदस्य को सम्पूर्ण भारत-नैपाल संबंधों और भारत में नेपालियों के स्थान के विषय में बोलने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह इतना नाजुक मामला है कि इस अंश को रिकार्ड में नहीं रखा जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के उन मानदण्डों को नहीं अपना रहे हैं जिनका अनुसरण इस सदन में होता आया है।

श्री चन्द्र शेखर: उन्होंने एक बात कही है कि उन्हें नैपालियों की निष्ठा पर सन्देह नहीं है। इसका क्या अर्थ है?

अध्यक्ष महोदय: भारत में रहने वाले नैपालियों की निष्ठा पर।

श्री चन्द्र शेखर: नहीं इन्होंने एक वाक्य कहा है कि 'नैपालियों की निष्ठा में उन्हें कोई सन्देह नहीं है।' आपको यह वाक्य रिकार्ड से हटा देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत: मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री चन्द्र शेखर: आपने यही कहा।

श्री इन्द्रजीत: मेरा विचार है कि मेरे मित्र श्री चन्द्र शेखर भूतपूर्व प्रधान मंत्री मैं जानता हूं कि नेपाल और नेपाली मित्रों के प्रति उनकी कुछ भावनाएं हैं मैं यह ....

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर: महोदय, इनके कहने का क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय वह क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि वे क्या कह रहे हैं। वह नहीं जानते कि वह क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

मध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं।

श्री चन्द्र शेखर: बात यह है कि वह नहीं जानते कि वह क्या कह रहे है।

अध्यक्ष महोदय: इन्द्र जीत जी, केवल एक छोटी सी बात जिस की आशा की जाती है.

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, नेपालियों से संबंधित कोई भी बात रिकार्ड में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत: अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्टीकरण भारतीय सेना में नेपालियों तथा गोरखों का उल्लेख करते हुए इन दोनों सदस्यों ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में है। उन्होंने मुझपर हमला किया। उन्होंने कहा कि में चाहता हूं कि नेपालियो को बाहर निकाल दिया जाये। यदि श्री चन्द्रशेखर राज्य सभा में श्री कर्मा तोपदन और लोक सभा में श्रीमती भंडारी द्वारा दिए गए बयान के पूरे पाठ को पढ़ लें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी मैंने तो केवल उस प्रश्न का उत्तर मांगा है जिनका उन दोनों ने इन दोनों सदनों में अपने बयानों में उल्लेख किया है।

श्री चन्द्रशेखर: एक बार जब आपने कह दिया कि यह कपोल कल्पित है, तो वह यहीं पर समाप्त हो जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि श्री चन्द्र शेखर जी ने जो कहा है, उसकी अति सावधानी पूर्वक जांच की जाये और यदि किसी समझौते का संदर्भ दिया जाता है और इससे यह मामला जटिल बनता है, तो हम इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

श्री,सोमनाथ चटर्जी: उनके वैयक्तिक स्पष्टीकरण का उपयोग इस मामले में उनके राजनीतिक दृष्टिकोण प्रकट करने के रूप में किया जाता है। (व्यवधान) उनका कार्य केवल खंडन करना अथवा इसे स्वीकार करना होता है। ऐसा उनके कारण हुआ है और उन्होंने कह दिया 'मैंने ऐसा

नहीं कहा'। उनके निजी सिद्धांत हैं जो वे इस सदन को दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय: यदि उन्होंने किसी विद्यमान समझौते का उल्लेख किया है....

श्री सोमनाथ चटर्जी: किस लिए? इसके लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई व्यक्ति किसी कानून अथवा विद्यमान समझौते का उल्लेख करता है तो इसे आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता। किन्तु, यदि श्री चन्द्रशेखर जी ने कोई बात कही है, तो मुझे इसकी अति सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और मैं इसकी अति सावधानीपूर्वक जांच करूंगा।

श्री इन्द्रजीत: अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष महोदय: इस मामले को जटिल न बनायें। अब इसे रहने दें। आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अब ऐसा क्यों आवश्यक है ?

श्री बूटा सिंह (जालौर): जो कुछ अब तक यहां कहा गया है, उसे में और अधिक बढ़ाना नहीं चाहता। दार्जिलिंग के मसले पर जिस प्रकार विचार किया गया है, मैं बिना किसी विरोध के भय के केवल एक बात कह सकता हूं कि यह समझौता भारतीय मूल के गोरखाओं और नेपाली मूल के गोरखाओं के बीच अन्तर रखने के लिए कि यदि श्री इन्द्रजीत जी ने नेपाली समझौते का उल्लेख उस सन्दर्भ में किया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल यही बात है जो मैंने कही है। किन्तु, इसके बाद यदि कोई आशंका प्रकट की जाता है, तो हमें इसकी अति सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह निर्णय बूटा सिंह जी द्वारा दिया गया है।

(हिन्दी)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, नेपाल के साथ जो संधि हुई है, उसका उल्लेख करने पर आपत्ति नहीं है आपत्ति इस बात पर है कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के अन्तर्गत ये सारी चीजें कैसे आईं।

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यही मेरा कथन है।

(हिन्दी)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, एक बार व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को लेकर माधवराव सिंधिया की मुसीबत हुई थी।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल यही बात है, इसी के कारण मैंने वक्तव्य देने को कहा। मैंने सावधानीपूर्वक इसकी जांच की है, कार्यालय से भी इसकी जांच कराई गई और हमने पत्र में से कुछ बातों को हटा भी दिया। हम इसे कर चुके हैं। लेकिन मानलो कि चन्द्र शेखर जी ने कुछ कहा है तो मैं बड़ी सावधानीपूर्वक उसकी जांच करूंगा कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन सामान्यतया किसी कानून के सन्दर्भ में या किसी सन्धि के सन्दर्भ में जोकि मैं जानता हूं कि सार्वजनिक दस्तावेज है। यह इस तरह का काम नहीं है क्योंकि मैंने उक्त सन्धि का अध्ययन नहीं किया है। मैं इस सन्धि के प्रत्येक उपबन्ध तथा प्रत्येक पहलू को जानने का दावा नहीं करता हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा। और यदि कुछ आपत्ति जनक पाया गया तो उसे उसमें से निकाला जा सकता है।

(हिन्दी)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, यह बात केवल ट्रीटी की नहीं है उसको मेंशन करने की नहीं है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, उस इलाके में पिसिंग साहब और नेपाल के लोगों में विवाद चल रहा है। उस में श्रीमान सदस्य महोदय ने जो कह रहे हैं, एक प्वाइंट आफ व्यूह एसर्ट कर रहें हैं, जिससे मिसअंडरस्टेंडिंग की काफी गुंजाइश है। मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

(अनुवाद)

श्री इन्द्रजीत : महोदय मुझे इस बात को स्पष्ट करने की अनुमति दी जाये। जो कुछ मेरे विरूद्ध कहा गया वह यह है कि मैंने सभी नेपालियों को भारत छोड़ने को कहा था। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि भारत-नेपाल सन्धि के अन्तर्गत नेपाली सन्धि के अनुरूप ही यहां रह सकते हैं। महोदय, निष्कर्ष स्वरूप मेरा आप से अनुरोध है कि श्री कर्मा तोपदन द्वारा राज्यसभा में तथा श्रीमती भण्डारी द्वारा इस सभा में दिये गये वक्तव्य के सन्दर्भ में मेरा वक्तव्य पढ़ा जाय। दुर्भाग्यवश मेरे मित्र श्री चन्द्रशेखर और श्री सोमनाथ चटर्जी को मेरे विरूद्ध दिए गये वक्तव्यों की पूरी जानकारी नहीं है। मैंने जो कुछ मेरे विरूद्ध कहा गया था उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है। उन्होंने मुझ पर नेपालियों के विरूद्ध होने का आरोप लगाया कि मैं सभी नेपालियों को यहां से निकलवाना चाहता हूँ। मैंने केवल प्राथमिक स्थिति को ही स्पष्ट किया है और मैं श्री बूटा सिंह जी का भी आभारी हूं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब हम अगले विषय को लेंगे। कार्यसूची में अगले विषय को लेने से पहले मैं विनम्रतापूर्वक उन सभी माननीय सदस्यों की जिन्होंने मेरे साथ तथा अन्य सभी सदस्यों के साथ बहुत बढ़िया ढंग से पूरा सहयोग किया है जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा, कि आज सभा उठने से पहले शायद इन दो विषयों पर, ये दो या तीन हो सकते हैं यदि एक

और जीरो विषय चर्चा पूरी हो जानी चाहिए। इसलिए एक विषय के लिए नियत समय एक घण्टा है और दूसरे विषय के लिए एक घण्टा और है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय तीसरा विषय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : तीसरे विषय के बारे में अभी हमने निर्णय नहीं किया है। इसलिए, क्या अब मैं इस मामले को पूरा करने का अनुरोध कर सकता हूँ।

अब नियम 377 के अधीन के मामले लिये जायेंगे। मैं इसे अन्त में नहीं उठाना चाहूंगा क्योंकि इसके लिए चार या पांच व्यक्तियों को पूरे दिन भर बैठना पड़ेगा। यह उचित नहीं है। इसलिए मैं इसे अभी उठा रहा हूं।

1.27 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

मध्य प्रदेश सरकार को बिलासपुर जिले में हैजा और आंत्रशोथ पर काबू पाने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है

(हिन्दी)

श्री खेलन राम जांगड़े (बिलासपुर): बिलासपुर जिले (मध्य प्रदेश) में भयंकर बीमारी हैजा एवं (गैस्टोइंटाटिस) आंत्रशोथ का प्रकोप है। प्रदेश सरकार साधनों के अभाव में इन बीमारियों के रोकथाम के लिए उचित कार्यवाही नहीं कर पा रही है। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर उचित माध्यम से अनुदान देकर दवाइयों की व्यवस्था कराये, जिससे कि उक्त जिले में हैज़ा तथा आंत्रशोथ से लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके।

1.28 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(ii) कित्तूर की रानी चेन्नेमा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग): महोदय, सार्क द्वारा इस वर्ष को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, विगत की महिलाओं के इतिहास पर प्रकाश डालना तथा आज की उन महिलाओं में जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, नैतिक साहस का संचार करना अत्यावश्यक हो गया है। नारी

अबला नहीं है। वह किसी साहस पूर्ण कार्य में कभी पीछे नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, अनेक क्षेत्रों में वह पुरूषों को पीछे छोड़ गयी है। ऐसा एक उदाहरण हमारे समक्ष किट्टर की अमर रानी चेन्नेमा की वीरतापूर्ण कहानी है, जिनके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति तथा उसके संरक्षण के लिये दिखायी गयी वीरता और दिया गया बलिदान सदा स्तुत्य हैं। रानी चेन्नेमा जिन्होंने स्वतंत्रता के बीच बोये और 1824 में अंग्रेजों को पहली बार हरा कर उन्हें घोर अपमान का स्वाद चखाया, निश्चय ही राष्ट्र की अग्रेसर नारी रही हैं। वह प्रति वर्ष 23 अक्तूबर को मनाये जाने वाले, महिला दिवस, की प्रेरणा- स्रोत हैं।

चेन्नेमा, जो भारतीय स्वतंत्रता के अग्रदूत प्रभाव के सितारे की तरह रही हैं, की गणना भारत के चन्द स्मरणीय स्वतंत्रता सेनानियों में होती है।

यद्यपि, कुछ वर्षों पूर्व एक डांक टिकट जारी किया गया था, फिर भी यदि उनकी स्मृति में एक रंगीन डाक टिकट दूसरी बार भी जारी किया जाये तो वर्तमान संदर्भ में यह समीचीन रहेगा।

मैं संचार मंत्री माहेदय से 2 फरवरी, 1992 को जो किट्टर की रानी चेन्नेमा की 163 वी बरसी है, एक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(iii) राजस्थान के किसानों को उनकी ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋणों को भुगतान से छूट देने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तथा चंबल क्षेत्रों में परियोजना प्राधिकरण द्वारा कृषकों की ओर से जल आपूर्ति नालियों का निर्माण 1974 से किया जा रहा है। जबकि कुछ मामलों में वाणिज्यक बैंकों द्वारा कृषकों को सीधे ऋण दिये गये थे, अधिकांश मामलों में, राजस्थान भूमि विकास निगम ने कृषकों के नाम पर ये ऋण लिये हैं। कृषकों को ये ऋण ब्याज सहित वापस करने होते हैं। इससे उन कृषकों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है। पडौसी राज्यों, हरियाणा और पंजाब में कृषकों को ऐसे प्रभारों से विमुक्त रखा जाता है। उनसे जल आपूर्ति नालियों की लागत वसूल नहीं की जाती है। अतएव, राजस्थान के कृषकों के मामले में भी समान नियम लागू होना चाहिये। इस संबंध में अनेक संगठनों द्वारा अभ्यावेदन किये गये हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चरण II क्षेत्र में जल आपूर्ति नालियों की लागत राज्य सरकार वहन करती है।

जलआपूर्ति नालियों तथा अन्य फार्म विकास के कार्यों के कारण कुल देनदारियां ब्याज सहित लगभग 200 करोड रूपये हो गयी हैं। चूंकि इस क्षेत्र को लगभग प्रति वर्ष घोर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये राज्य सरकार इस देनदारी दायित्व को वहन करने की स्थति में नहीं है।

अतएव, मैं भारत सरकार से इस उत्तरदायित्व में हाथ बटाने और कृषकों को उस ऋण

से विमुक्त करने की अपील करता हूं जो परियोजना प्राधिकरण द्वारा उनके नाम पर लिया गया है।

(iv) जयपुर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्पवूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, विश्व भर के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। जयपुर का नया मास्टर प्लान अगले दस वर्षों के लिए अभी तैयार होने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार के वित्तीय साधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए केन्द्र के नगरीय विकास मंत्रालय को केन्द्र से समुचित वित्तीय सहायता प्राप्त करानी चाहिए, जिससे कि पर्यट्न एवं व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस नगर का सर्वांगीण विकास हो सके।

(v) उड़ीसा में चिल्का झील को गाद से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता -

(अनुवाद)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, भारत की सर्वोतम झील अर्थात उडीसा की चिल्का झील जो एशिया की सबसे बडी झील भी है में अधिकाधिक गाद जमा होता जा रहा है। इस बारे में सरकार ने तुरन्त ध्यान देना है। इसकी अद्वितीय सुन्दरता के कारण प्रति वर्ष यहाँ पर हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। झींगा तथा अन्य प्रकार की मछलियों का निर्यात कर के प्रति वर्ष यहाँ से करोड़ों रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावनाएं भी है। शीत ऋतु मे यहा लाखों साइबेरियाई पक्षी शरण लेते हैं। देश की यह मूल्यवान सम्पदा अपना प्राकृतिक सोन्दर्य खोती जा रही है और समुद्र की ओर इसका मुहाना बन्द हो जाने के कारण यह गाद जमा होती जा रही है। समुद्र की ओर इसका मुहाना खोलने के लिए तुरन्त कदम उठाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने भारत सरकार को स्थिति से अवगत करा दिया है तथा इसके लिए आवश्यक धन के आवंटन का अनुरोध किया है।

(vi) काजारा-भागल पुर सेक्सन में कियोल से काजारा तक रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री ब्रहमानन्द मण्डल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण

विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

कजरा-भागलपुर दोहरीकरण योजना को कियुल- भागलपुर योजना के रूप में परिवर्तित किया जाए। कियुल से भागलपुर वाली लाईन को कजरा से दोहरीकरण करने की कोई तुक नहीं है। सिर्फ 15 किलोमीटर लाइन सिंगल रहेगी तो इस दोहरीकरण का उद्देश्य ही चौपट हो जाएगा। अत: कियुल से कजरा तक लाईन का दोहरीकरण किया जाना चाहिएं।

दूसरी बात यह कि जमालपुर से रतन पुर के बीच पहाड़ी की सुरंग के कारण भी संभवत दोहरीकरण को छोड़ दिया गया है। अगर पहाड़ी की सुरंग के कारण दोहरीकरण थोडा अधिक खर्चीला अथवा असुविधाजनक हो तो जमाल पुर मुंगेर लाईन से ही सफिया सराय तक पूरव सराय के बीच इसे रतन पुर से जोड़ा जा सकता है एंव कियुल भागलपुर का पूर्ण दोहरी करण कर इस क्षेत्र के विकास को अवसर दिया जा सकता है। मैं मांग करता हूं कि इसका काम शीघ्र शुरू किया जाए।

(vii) मुम्बई में अन्य राज्यों से आये लोगों का पुर्नवास सुनिश्चित करने और उनके मूल राज्यों पर उनके पुर्नवास का खर्च करने की लागत वहन करने का आग्रह करने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): श्रीमान, यह गणना की गई है कि मुम्बई शहर में लगभग 4 से 5 लाख फेरी वाले हैं जो कच्चे नारियल से लेकर घरेलू सामान, कपड़े और जूते चप्पल आदि हर तरह के सामान बेचकर अपनी जीविका चला रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से आये हैं। उनमें से कुछ ऐसे परिवारों के लोग हैं जो कई पीढ़ियों से मुम्बई में रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश लोग कई दशकों से वहां पर रह रहे हैं।

मुम्बई महानगर क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और नये बाजारों और बिक्री केन्द्रों के अभाव में वे एक उपयोगी सामाजिक कार्य कर रहे हैं और साथ ही स्वरोजगार चला रहे है।

मुम्बई नगर निगम और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ लोगो के लिए पुर्नवास कार्यक्रम की घोषणा की है जिसमें केवल वही लोग फेरी लगा सकते हैं और धमकी दी है कि अन्य लोगों को शहर और राज्य से बाहर कर दिया जायेगा। इन प्राधिकरणों ने एक योजना बनाई है कि जिसमें अन्य राज्यों से आए लोगों की पुनर्वास लागत वे राज्य वहन करेंगे जहाँ के वे अथवा उनके पूर्वज मूल निवासी हैं।

लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने से सम्बद्ध राज्य सरकारों का जिन्हें लागत वहन करने के लिए कहा गया है कोई लेना देना नहीं है, न ही उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है और न ही वे संवैधानिक रूप से उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं अथवा इसे

रोक सकते हैं।

मैं इस सभा का ध्यान नागरिकों के एक वर्ग के प्रति की जा रही उस गम्भीर असंवैधानिक कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं। जो हमारी आम नागरिकता की अवधारणा पर कुठाराघात है और मौलिक अधिकारों का, जिनकी भारत के संविधान के अध्याय तीन में गारंटी दी गयी है, उल्लंघन है।

मेरा प्रधान मंत्री अथवा गृहमंत्री से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और घोषणा करें कि पुनर्वास के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय कोई राज्य इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा अथवा किसी नागरिक के अधिकारों पर कोई दबाव नहीं डालेगा।

(viii) क्योंझर, बारबिल और कोइरा होते हुए पणीकली से राजामुंडा तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : महोदय, मैं उड़ीसा की जनता की यह मांग प्रस्तुत करता हूं कि पणिकली से राजामुंडा तक क्योंझर, बाइबिल और कोइए से होकर गुजरने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

उड़ीसा द्वारा की गइ न्यायोचित मांग के अनुसार लगभग 3,000 किलोमीटर तक का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना था जिसमें से आजादी के बाद पिछले 43 वर्षों के दौरान केवल 1626 किलोमीटर तक की सड़क पूरी कर ली गई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त सड़क को अविलंब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

(ix) महाराष्ट्र के बंसतगढ़ और सागरेश्वर क्षेत्रों में कम शक्ति वाले टी वी ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी चव्हाण (कराड़): महोदय, सतारा और सांगली में स्थित निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर महाराष्ट्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कराड़ तथा इन जिलों के पश्चिमी भागों तक दूरदर्शन के कार्यक्रम पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं कर पाते हैं। यह क्षेत्र विशेषत: पाटन और शिराला,पर्वतीय तथा आर्थिक दृष्टि से अल्पविकसित है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण वहां के लोग विस्थापित कर दिये गये हैं। इस वंचित क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए नए निम्नशक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता है। इन ट्रांसमीटरों को जिले के ऊँचाई वाले स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सभी घाटियों तक सिग्नल पहुंच सकें। निर्वाचित प्रतिनिधि और स्थानीय लोग काफी दिनों से यह मांग कर रहे हैं कि सतारा जिले के लिए बसंतगढ़ में तथा सांगली जिले के लिए सागरेश्वर में निम्नशक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर इस मांग को तत्काल स्वीकार करना चाहिए।

(x) बरेली को रेल द्वारा मुंबई तथा दक्षिण भारत के अन्य भागों के साथ जोड़ने और बरेली से रेलगाडियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है, कई औद्योगिक संस्थानों सहित यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। पिछले काफी समय से इस क्षेत्र के नागरिक बरेली को बम्बई व दक्षिण भारत के प्रान्तों से जोड़े जाने तथा विभिन्न ट्रेनों पर जो बरेली से गुजर रहीं हैं, में आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। मैंने स्वयं भी इस संबंध में कई बार लिखा है इस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दें।

(xi) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के पर्यटन स्थल, देवगढ़ का पर्याप्त विकास करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद का 'देवगढ़' क्षेत्र गुप्तकालीन स्मृतियों का अवशेष एवं प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र है। देवगढ़ क्षेत्र करीब 10 कि० मी० के दायरे में है। जहां प्राकृतिक सुन्दरता समेत गुप्तकालीन स्मृतियें के 10-11 अनूठे स्थल हैं। देवगढ़ जैन समाज का प्रमुख तीर्थ केन्द्र है। हजारों की संख्या में भव्य जैन मूर्तियां मौजूद है। आज देवगढ़ एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है यह केन्द्र बेतवा नदी के तट पर बसा है। सात एकड़ का अभ्यारण्य (जंगल) बेतवा नदी से घिरा है।

देवगढ़ में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। एक साल में तीन बार जैन समाज द्वारा कार्यक्रम होते हैं जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं देवगढ़ में मौजूद स्मृति-चिन्हों और अवशेषों की देखरेख भारत सरकार का पुरातत्व विभाग कर रहा है। लेकिन कुछ केन्द्र ऐसे हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन नहीं लिया:- जैसे रणढोड़ महाराज का स्थान। देवगढ़ की तुलना खजुराहो या अजन्ता एलोरा की गुफाओं से कम नहीं है। यह एक ऐतिहासिक विरासत की रक्षा का सवाल है। इस क्षेत्र में पर्यटको के रात्रि विश्राम के लिए होटल, आम लोगों के लिए रैन बसेरों, पक्की सड़कों एवं बेतवा के मध्य स्थित जंगल में पार्क का निर्माण कराया जाना अनिवार्य है। बिजली एवं पानी का मुकम्मल इन्तजाम भी देवगढ़ क्षेत्र में होना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में लोक सभा सदस्यों की एक समिति बनाई जाए, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं, जिससे देवगढ़ को समुचित विकास का स्वरूप प्रदान कराया जा सके।

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक

1.44 म० प०

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरी मद पर विचार करें।

(हिन्दी)

विद्युत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाने हेतु लोक सभा में 9 सितम्बर, 1991 को प्रस्तुत "विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक 1991 (विधेयक सं० 1991 का 152)" नामक विधेयक पर इस गरिमामय सदन में विचार किया जाए।

विद्युत की लगातार बढ़ती हुई मांग और संसाधनो की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में अपना समुचित योगदान न दिये जाने को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के माध्यम से विद्युत उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में क्षमता संवर्धन किए जाने संबंधी कार्यक्रम हेतु संसाधनों मे बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधी नीति के बारे में सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से विचार किया जाता रहा है। जून, 1988 में, तत्कालीन सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता को "सिद्धांत रूप में" स्वीकार कर लिया गया था। इस समय कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में निजी क्षेत्र का केवल चार प्रतिशत का योगदान है, यद्यपि विद्युत की सप्लाई एवं वितरण हेतु 57 वितरण कंपनियों की लाइसेंस दिया गया है, तथापि, अब तक की नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र के विद्यमान लाइसेंसधारियों को केवल क्षमता संवर्धन और क्षमता प्रतिस्थापन हेतु अनुमति दी जाती रही है। संसाधनों में वृद्धि किए जाने संबंधी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नई नीति तैयार की गई है जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश की भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाया गया है।

नई नीति में, निजी क्षेत्र की यूनिटों के लिए और अधिक उदार आर्थिक अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है और इस नीति के संघटकों में ये शामिल हैं।

लाइसेंसधारी कंपनियों अर्थात विद्युत की सप्लाई एवम वितरण करने वाली कंपनियों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों का प्रावधान है: 1- वर्तमान में लाइसेंस की 20 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि तथा उसके बाद 10 वर्ष की नवीकरण अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष तथा 20 वर्ष करना। 2- इस समय विद्यमान 2 प्रतिशत की लाभांश दर को बढ़ाकर भारतीय रिजर्व बैंक की दर से पांच प्रतिशत अधिक करना। 3- निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) का पूंजीकरण वास्तविक लागत पर करना जबकि इस समय यह रिर्जव बैंक की दर से एक प्रतिशत अधिक दर पर किया जाता है और 4- ऋण सम्बन्धी दायित्वों को पूरा किए जाने के लिए विशेष विनियोजन। इसके अलावा, लाइसेंसधारी कम्पनीज को केवल परिवर्धन अथवा प्रतिस्थापन हेतु अनुमति दिए जाने सम्बन्धी नीति

के स्थान पर अब नए लाइसेंसों पर विचार किया जाएगा।

निजी क्षेत्र उद्यमी, चाहे वे लाइसेंसधारी नहीं हैं, अब विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापित कर सकते हैं जोकि अब तक केवल केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या दोनों द्वारा स्थापित की जा सकती थी। इस प्रकार की विद्युत उत्पादन कंपनियों को सरकार द्वारा निर्धारित नारमेटिव पैरामीटर्स पर आधारित लाभकारी कीमत पर ग्रिड के लिए विद्युत की बिक्री किए जाने की अनुमति दी जायेगी इससे प्रचालन कार्य अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा।

निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं के आकार एवम स्वरूप के मामले में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। दूसरे शब्दों मे निजी क्षेत्र द्वारा अब किसी भी साइज और क्षमता की ताप-विद्युत परियोजनाओं, (कोयला/लिग्नाइट या गैस आधारित) जल-विद्युत परियोजनाओं, पवन/सौर ऊर्जा सैट और डी.जी. सैट परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है। नई नीति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा स्वीकृति दिए जाने के संदर्भ में 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है और इसे ज्यादा लचीला बनाया गया है।

जबकि उपर्युक्त प्रावधानों के लिए बिजली कानूनों में संशोधन किया जाना अपेक्षित होगा, नई नीति के अंतर्गत कानूनी उपायों के साथ-साथ प्रशासनिक उपाय किए जाने का प्रावधान है। विद्युत क्षेत्र के सभी निजी क्षेत्र यूनिटों के लिए 4:1 तक के ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति दी जाएगी। जहां तक विदेशी निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किए जाने का सम्बन्ध है, एक उदार विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वित्तीय पैकेज सरकार को स्वीकार्य हो। इसके अलावा, नई नीति के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सिंगल पाइंट क्लीयरेंस प्रणाली स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिवों को शामिल करते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसमें राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित किया जाएगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होंगे। बोर्ड द्वारा सांविधिक स्वीकृतियां की मानीटरिंग की जायेगी और इस सम्बन्ध में लम्बित मामलों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हल किया जायेगा। परियोजनाओं स्वीकृतियों सम्बन्धी मोडेलिटीज आदि के बारे में उद्यमियों को सूचना प्रदान करने एवम उनकी सहायता करने और उनके प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात विद्युत विभाग में एक निवेश प्रोत्साहन सैल (आई. पी. सैल) को क्रियाशील बनाया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस नीति को कार्यरूप देने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 में संशोधन किये जाने अपेक्षित होंगे। विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक 1991 में ये संशोधन निहित है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इन संशोधनों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। 6-9-1991 को हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा न केवल नई नीति और विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक 1991, में प्रस्तावित संशोधनों के प्रति आम सहमति व्यक्त की गई थी बल्कि यह अनुरोध भी किया गया था कि इन संशोधनों की यथाशीघ्र

सम्बन्धित कानूनों में शामिल किया जाए।

मुझे विश्वास है कि विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक 1991 को आम सहमति से और शीघ्र पारित किया जाएगा ताकि विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी के माध्यम से देश को अधिक से अधिक लाभ हो।

महोदय, मैं उक्त विधेयक को विचारार्थ और पारित किए जाने हेतु प्रस्तुत करता हूं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

"कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 में और (संशोधन) करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: विचारणीय प्रस्ताव में कुछ संशोधन आए है।

(हिन्दी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को उस पर 20 दिसम्बर, 1991 तक राज्य जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दाऊदयाल जोशी.....अनुपस्थिति हैं।

श्री राजेन्दे अग्निहोत्री (झांसी): मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): में प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को उस पर 18 दिसम्बर 1991 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जायें।"

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक के लिए आबंटित एक घंटे में से कांग्रेस (इ) को 24 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 13 मिनट, जनता दल को 6 मिनट, कम्यूनिस्ट (मार्क्स०) को 4 मिनट, और माकपा को 1 मिनट आबंटित किया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जान लें कि इस विषय के लिए कितना समय आवंटित किया गया है दूसरे हमें मालूम हो कि ऐसे कितने लोग है जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लेने के लिए अपने नाम दिये हैं जिन्हें पहले अवसर मिलता है वे बाद के वक्ताओं का कृपया ध्यान रखें। केवल इसी प्रयोजन से मैंने आपको विभिन्न दलों को आवंटित समय की जानकारी दी है।

अब मैं श्री वसुन्धरा राजे से बोलने के लिए कहता हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये

धन्यवाद। मैं अपनी बात यथा संभव संक्षेप में कहूंगी। यह मेरा प्रिय विषय रहा है तथा में विद्युत मन्त्रालय के पक्ष में विभिन्न मंत्रालयों से यदा-कदा संघर्ष भी करती रही हूं। मैं महसूस करती हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां राज्य अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस असफलता का स्पष्ट उदाहरण विद्युत क्षेत्र के कुल उत्पादन में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी निरन्तर जहां आवश्यक हो, उदारीकरण, नियंत्रण हटाने और गैर-सरकारीकरण के विचार का समर्थन करती रही है। और यही कारण है कि मैं नि:संकोच इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करती हूं।

सरकार इस विधेयक के माध्यम से जो उपाय करना चाहती है, उनके ब्यौरे का उल्लेख करने से पूर्व मैं विद्युत क्षेत्र में व्याप्त अत्यधिक गंभीर स्थिति की रूप रेखा आपके सामने पेश करना चाहती हूं। हमें शुरू में ही इस बात को मान लेना चाहिए कि पर्याप्त बिजली के अभाव में हमारी नई औद्योगिक नीति कार्य नहीं कर सकती। किसान फसल नहीं उपजा सकता, यदि पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध नहीं है और यदि पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है तो यह भी असंभव है। हमारी नई व्यापार नीति जिसमें निर्यात में अत्यधिक वृद्धि करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। यह भी तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास बिजली न हो।

मैं नहीं समझती कि भारत में इस समय ऐसा कोई शहर है जहां बिना किसी व्यवधान के चौबीस घंटे बिजली की सप्लाई की जाती हो और न ही इस देश में ऐसा कोई क्षेत्र है जहां बिजली की सप्लाई में उतार-चढ़ाव नहीं होता तथा व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। बिजली की समस्याएं उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में विद्यमान हैं और यह स्थिति इतनी विकट है कि लगभग सभी राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। में इस सदन का अधिक समय नहीं लूंगी। किन्तु, मैं अखिल भारतीय सन्दर्भ में कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में बिजली की मांग और सप्लाई में कमी की स्थिति 16.7 प्रतिशत है। इसमें निम्न बारंबारता और वाल्टेज स्थितियों को नहीं लिया गया है। आठवीं योजना में ताप बिजली, पन बिजली और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन लक्ष्य 38,369 मेगावाट रखा गया है। इस लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त कर लेने के बाद भी आठवीं योजना के अन्त में स्थिति 7.7 प्रतिशत घाटे की रहेगी।

इस लक्ष्य को प्राप्त करना इस समय न तो व्यावहारिक दिखाई देता है और न ही संभव जान पड़ता है। इसका कारण यह है कि इस 38,369 मेगावाट बिजली उत्पादन से संबंधित अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 1990-91 के लिए 4,212 मेगावाट का एक अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु इसके स्थान पर इनमें विलम्ब, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, अपर्याप्त धन राशि की प्राप्ति एवं सामान की सप्लाई में विलम्ब के कारण हुआ। सिफारिश की गई 38,369 मेगावाट की परियोजनाओं में से कुल लगभग 13,000 मेगावाट की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को नौवीं योजना में सरका दिया गया है इसके परिणाम स्वरूप केवल 27,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को ही चालू किया गया और पूरे भारत के

लिए बिजली की सप्लाई में 16.6 प्रतिशत की कमी होगी। 27,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता में लगभग 4,000 मेगावाट की ऐसी योजनायें शामिल है जो अब तक लम्बित पड़ी है। यदि यह मंजूरी समय पर नहीं मिलती है तो अतिरिक्त उत्पादन केवल 23,000 मेगावाट का होगा। और इसके कारण सप्लाई की स्थिति में जो कमी विद्यमान है वह बढ़कर 20.3 प्रतिशत हो जायेगी। देश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की इस कमी का देश के औद्योगिक, कृषिपरिवहन, व्यापारिक एवं घरेलू क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पडेगा। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान से संबंधित आंकड़ों को उद्धृत करना चाहूंगी। अभी हाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रधान मंत्री को लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है:-

"राजस्थान राज्य संघ का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऊर्जा के क्षेत्र में विलय के समय राजस्थान को जो अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त हुई थी वह मात्र 13 मेगावाट थी।

यह राज्य ऊर्जा के विभिन्न सम्भावित संसाधनो से सम्पन्न नहीं है। इसके पास कोयला अथवा पेट्रोलियम संसाधन नहीं हैं इसके पास कहने के लिए मात्र थोड़ी सी पनबिजली क्षमता ही है। विवश होकर, राजस्थान को भागीदारी के आधार पर पड़ौसी राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है ताकि उन राज्यों में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का दोहन किया जा सके। भाखड़ा, ब्यास और चम्बल पनबिजली परियोजनाएं इसी तरह के उद्यम हैं अत: राज्य में बहुत समय से बिजली का अभाव रहता आया है।

राजस्थान की उत्पादन, आबंटित/भागीदारी क्षमता में निरन्तर वृद्धि होने से राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता इस समय 2721 मेगावाट है लेकिन उक्त क्षमता अपेक्षित मात्रा से काफी कम है और राज्य में बिजली का 1980 से ही अभाव चला आ रहा है क्योंकि राज्य की मांग हमेशा इसके बिजली स्टेशनों द्वारा सप्लाई से अधिक बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को विशेषकर सर्दियों के महीनों में जब कृषि कार्यों हेतु बिजली की अत्यधिक मांग रहती है, उद्योगों पर बिजली की 80 से 100 प्रतिशत तक कटौती करनी पड़ती है। और ऐसे समय में यहां तक कि ब्लाकों में कृषि क्षेत्र में भी 8 घंटे तक बिजली की सप्लाई बनाये रखना बहुधा मुश्किल हो जाता है। जबकि 31-3-1991 तक राजस्थान में 3,88,000 नलकूपों को पहले से ही विद्युतीकरण कर दिया है जिनमें बिजली की वार्षिक खपत कुल राज्य की खपत का 32 प्रतिशत भाग होता है। नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए 2,02,000 आवेदन पत्र और लम्बित पड़े हैं और राज्य में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के अभाव में उक्त आवश्यकता को पूरा करना अत्यन्त कठिन है। यदि सभी 2 लाख आवेदन पत्रों को बिजली के कनैक्शन के लिए मंजूर कर लिया जाए तो इसके लिए लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी।"

महत्वपूर्ण पहलू जो मैं बताना चाहती हूं वह पेयजल के लिए राजस्थान की बिजली पर निर्भरता के बारे में है। इस समय लगभग 13000 पेयजल कनैक्शनों को लगभग 155 मेगावाट विद्युत क्षमता से जोड़ा गया है और प्रति वर्ष पेयजल प्रयोजन के लिए 800 से 1000 तक नए कनैक्शन जारी किए जाते हैं और यह संख्या भी पुन: विद्युत अभाव के कारण पूरी नहीं हो पाती

है अकेले नई, पी.एच.ई.डी. योजनाओं के लिए ही जो निर्माणाधीन हैं और जिनको निकट भविष्य में कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है, 105 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी।

राज्य में औद्योगिक विद्युत भार बढ़ता जा रहा है और इस समय विद्युत कनैक्शनों के लिए 10,000 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं जिसके लिए लगभग 250 मेगावाट विद्युत भार की आवश्यकता होगी। यदि इन आवेदन पत्रों को समय पर नहीं निपटाया जाता है जो अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के अभाव में बहुत कठिन हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाएगा।

संक्षेप में, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि आने वाले वर्षों में बिजली की मांग की पूर्ति में कितनी कमी आयेगी। वर्ष 1990-91 में यह कमी 25.2 प्रतिशत होगी, 1991-92 में 31.4 प्रतिशत, 1992-93 में 36.8 प्रतिशत, 1993-94 में 41.7 प्रतिशत और 1994-95 में मांग की पूर्ति में 44.9 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। हर तरीके से देखा जाय तो मैं समझती हूं कि यह काफी अधिक है। कुछ दबाव है, जिनके कारण हमें इस भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अड़चने तो पर्याप्त धनराशि को अभाव तथा संगठनात्मक एंव वित्तीय खामियां है जो सभी राज्य विद्युत बोर्डों में आती है।

2.00 म. प.

ईंधन के अन्य साधन कोयला, आदि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं निसन्देह, परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में पर्यावरण मंत्रालय, हमेशा एक बड़ी अड़चन के रुप में सामने आ जाता है

राजस्थान में इस समय, कई योजनाएं मुख्यत: पर्यावरण मंत्रालय के अवरोध के कारण वर्षों से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है। एक कोटा ताप विद्युत केन्द्र है जिसकी लागत मंजूरी के समय 217 करोड़ रुपए थी, मार्च 1991 में इसकी संशोधित लागत 403 करोड़ रुपए हो गई है। सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र की मौलिक लगात 493 करोड़ रुपए थी और आज 1991 में इसकी लागत 1084 करोड़ रुपए हो गई है। इसे सात वर्ष बाद, मई 1991 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी मिली थी। चित्तौड़गढ ताप विद्युत केन्द्र पर जिसकी प्रारम्भिक लागत 451 करोड़ रुपये थी आज हजारों करोड़ रुपये की लागत आ रही है। 599 करोड़ रुपये की लागत के मन्डलगढ़ ताप विद्युत केन्द्र पर अब 1600 करोड़ रुपये की लागत आ रही है जोधपुर में 30 मेगावाट के सौर ताप विद्युत केन्द्र पर जिसकी मूल लागत 90 करोड़ रुपये थी आज 180 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। 372 करोड़ रुपये लागत की अन्त चरण द्वितीय परियोजना पर आज 781 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। इस परियोजना के लिए गैस ईंधन उपलब्ध कराने संबंधी योजना काफी समय से लम्बित पड़ी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुजरात और मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस ईंधन उपलब्ध कराने हेतु "गैस लिंकेज" की मंजूरी दे दी है। लेकिन

अभी तक उन्होंने हमें राजस्थान में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना उचित नहीं समझा है।

हमारे लिए गैस का मूल्य निर्धारण जैसलमेर जिले में हमारी मनहार' टिबा परियोजना के लिए एक अन्य समस्या बन गई है। इस सब के अन्त में, मैं वापिस धौलपुर विद्युत परियोजना की चर्चा करती हूं जो 574 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक परिव्यय से शुरू की गई थी। आज इस पर लगभग 1600 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। पिछले 7 वर्षों में मैंने स्वंय इस परियोजना को बड़ी बारीकी से कई चरणों में देखा है। अन्त में एक वर्ष पहले राज्य सरकार के आमन्त्रण पर विद्युत सचिव और पर्यावरण सचिव दोनों धौलपुर गए और उक्त स्थल का निरीक्षण किया, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की और अपने विभाग में स्पष्ट रूप से एक बात रखकर वापस आए कि इस परियोजना को मंजूरी दे देनी चाहिए। लेकिन सब बातचीत होने के बाद पूरी लिखत पढ़त किए जाने के बाद अर्थात ऐसा सब कुछ होने के बावजूद पर्यावरण मंत्रालय ने हमारे सामने वही चार प्रश्न खड़े कर दिए जिनको वह पिछले 6 वर्ष से खड़ा करता आ रहा था।

वास्तव में, पर्यावरण मंत्रालय अब कुछ आगे बढ़ गया है। असल में हमें यह इस हद तक बताने लगा कि हमें कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए, हमें विद्युत परियोजना कहां स्थापित करनी चाहिए। वे यहां तक कहने लगे कि राजस्थान को पड़ौसी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करनी चाहिए। वास्तव में, मैं तो समझती हूं कि पर्यावरण मंत्रालय अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है। इसलिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम सबको इस बारे में एक जुट होकर पर्यावरण मंत्रालय को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर चलने के लिये बाध्य करना चाहिये।

अगर उनके प्रश्नों का पहले ही उत्तर दे दिया गया है तो मेरी समझ से उन्हें फिर से उन्हीं प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें इस बारे में छः महीनों, आठ महीनों अथवा एक वर्ष की समय सीमा अपनानी चाहिए। लेकिन इस अवधि के भीतर परियोजना को मंजूरी दे दी जानी चाहिए। इन्हें मंजूरी देने में इतना लम्बा समय नहीं लिया जाना चाहिए।

मैं आपका ध्यान ली जाने वाली अनुमतियों की संख्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यह अत्यंत हैरानी की बात है कि आज की स्थिति के अनुसार अगर कोई विद्युत केन्द्र के लिए मंजूरी लेना चाहता है तो उसे सांविधिक लागत अनुमानों, तकनीकी आर्थिक मंजूरी, प्रकाशनों, पानी की उपलब्धता, राज्य विद्युत बोर्ड की मंजूरी, प्रदूषण मंत्रालय की मंजूरी, और प्राकृतिक वन मंजूरी के अलावा सत्रह अन्य मंजूरी लेनी पड़ती हैं। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है।

हम सरकार की इस कानून को लाने की प्रशंसा करते हैं। यह नई विद्युत नीति और मूलतः एक नए युग की शुरूआत है। यह एक ऐसी सम्पूर्ण नीति नहीं है जिससे शायद आप भी सहमत होंगे। यह सही दिशा में केवल पहला कदम है। हम जानते हैं कि हमारी सभी समस्याएं एक रात में ही समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी इस नीति में समाहित बाते प्रशंसनीय हैं। उदाहरण के लिए लाइसेंस शुदा कम्पनियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को और आकर्षक बनाना

स्वागत योग्य है। बिना लाइसेंस वालो को भी जेनरेटिंग कम्पनियों की स्थापना की अनुमति देना स्वागत योग्य है। परियोजना के आकार और प्रकार पर कोई भी प्रतिबंध न लगाना सही कदम हे। किसी ऊपरी आर्थिक सीमा का न होना एक अच्छा विचार है। शीघ्रता से मंजूरी देना एक ही स्तर पर मंजूरी तंत्र और एक उच्च ऋण ईक्विटी अनुपात के साथ एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना भी स्वागत योग्य है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले कुछ और बाते हैं जो मुझे परेशान करती हैं और जिनके बारे में आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले में उन्हें सुझाव दूंगा कि वह पहले अपने घर को व्यवस्थित करें। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक के सभा में पेश किए जाने से पहले दिन उसके बारे में हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का 16 सितम्बर को अर्थात कल शिमला में यह कहना था कि वह गैर सरकारीकरण का समर्थन करते हैं लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में और विद्युत क्षेत्र मुख्य क्षेत्र होने के कारण गैर सरकारीकरण के अधीन नही होना चाहिए। यह समझना बहुत मुश्किल है कि एक तरफ तो आप यहां बैठकर विधेयक पर बहस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी का एक सदस्य ऐसे संदेश भेज रहा हैं। ऐसे वक्तव्यों से मूल संदेश का अर्थ बदल जाता है और वे निवेशकों में उत्साह पैदा नहीं कर पाते हैं तथा वे नीति विषयक कदम उठाने को निरूत्साहित करते है।

सब कुछ कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। कोई भी कानून अच्छा नहीं है अगर नौकरशाही जो कि आजकल दूसरे भगवान हो गए हैं की कठोरता उसके कार्यान्वयन में बाधा ठालती है अन्य जो भी संशोधन कानूनों और नियमों को समाप्त करने संबंधी जो भी आवश्यकता हो उस पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है इनको लम्बा खीचने में कोई अर्थ नहीं है। अंत में यह कृपया सुनिचित करें कि संघ के सभी राज्य इन नीति संबंधी प्रयासों की प्रशंसा करें और उन्हें अपनाने पर जोर दें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हमें असफल नहीं होना चाहिए अगर हम इसमें असफल होते हैं तो भविष्य में हम निश्चय ही अंधकार में होंगे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं आपको इस विधेयक के बारे में विचार विमर्श करने का अवसर देने और मुझे अपनी बात कहने का मौका देने के लिए धन्यवाद देती हूं मुझे आशा है कि यह विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा और हम विद्युत उत्पादन के एक नए युग में प्रवेश करेंगे।

श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं वास्तव में काफी समय से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने की मांग की जा रही थी। गैर सरकारी क्षेत्र को इस क्षेत्र को सौंपना कोई सुखद स्थिति नहीं है। लेकिन इसमें एक बाध्यता है। यह बाध्यता क्या है?

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमने काफी कार्य किया है और इस देश में अभूतपर्व उपलब्धियां रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1947 में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब

हमारा विद्युत उत्पादन केवल 360 मेगावाट था। समय बीतने के साथ-साथ आज हमारा विद्युत उत्पादन 65000 मेगावाट हो गया है। हांलांकि विद्युत उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी भी विद्युत उत्पादन हमारी आवश्यकता से काफी कम है।

इस आधुनिक युग में विद्युत और ऊर्जा ही प्रगति और समृद्धि की कुंजी है। बिना विद्युत और बिना ऊर्जा के विकास का पहिया एक इंच भी नहीं सरक सकता है। इसलिए हमें यह देखना कि सप्लाई और मांग की स्थिति में सन्तुलन बना रहे। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महान और अद्भुत प्रगति के बावजूद विद्युत की इतनी कमी है कि विभिन्न राज्यों में बिजली कम मात्रा में उपलब्ध है। कुछ एक राज्यों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में बिजली की कमी है। कम से कम गर्मियों के मौसम में तो कमी होती ही है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करें। ऐसा कैसे किया जा सकता है?

आठवीं योजना में हमारा 38 हजार मेगावाट बिजली की अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन का कार्यक्रम था लेकिन स्रोतों की कमी और स्रोतों के अभाव के कारण हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। धन की पूर्ति घटाई गई थी और धनराशी के आंवटन में भी कमी की गई थी। अस्तु 38 हजार मेगावाट बिजली के स्थान पर इसे घटा कर 26 हजार मेगावाट कर दिया गया। इस प्रकार बिजली उत्पादन में 12000 मेगावाट की कमी आई। ऊर्जा मंत्रालय ने 127 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन मांगा था। लेकिन उन्हें केवल 69 हजार करोड़ रुपये दिए गए। इससे भी हमारे देश में बिजली की कमी की समस्या में वृद्धि हुई। इससे अधिक परेशानी की बात यह है कि नौवीं योजना में हम अपनी आवश्यकतानुसार बिजली उत्पादन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि बताया गया है हम केवल 35 प्रतिशत ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर पाएंगे, इस प्रकार बिजली की 66 प्रतिशत अतिरिक्त कमी होगी।

बिजली की सप्लाई में 7 प्रतिशत की कमी आम है जो अधिक खपत की अवधि में बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो जाती है। इस प्रकार अब अधिक खपत की अवधि के दौरान बिजली की 7.9 प्रतिशत कमी हो रही है।

आइए अब विभिन्न जोनों की बात करें, उत्तरी जोन में 11.3 प्रतिशत औसत कमी की तुलना में अधिक खपत की अवधिमें बिजली की कमी बढ़कर 30.3 प्रतिशत हो जाती है। इसी प्रकार दक्षिण जोन में ये आंकड़े क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत हैं, इस स्थिति को देखते हुए, 100 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी की अनुमति देने, गैर सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन, सामान्यत: संबन्धित कानूनों को संशोधित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप धन जुटने की आशा है।

इस स्थिति के अधीन हम सभी क्षेत्रों के लिए बिजली चाहते हैं। हम अपनी प्रगति और समृद्धि के लिए बिजली चाहते हैं। लाखों करोड़ों मनुष्य और गरीब मनुष्य जो मिट्टी के तेल के लैंपों पर निर्भर करते हैं अब बिजली के बल्ब जला रहे हैं, हम बिजली तो चाहते हैं लेकिन

संसाधन न होने के कारण हम बिजली का आवश्यक मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास अपना कोई धन अथवा साधन नहीं है। इसलिए कोई अन्य रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि निजी क्षेत्र को इसमें भागीदार बनाया जाए। लेकिन सरकार को लोगों को लाइसेंस देते समय सावधान भी रहना होगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि 17 बड़े औद्योगिक घराने इस क्षेत्र में उतरने के इच्छुक हैं। जब माननीय मंत्री महोदय वादविवाद मे उत्तर दें तो वे कृपया यह भी बताएं कि तत्सम्बंधी वास्तविक स्थिति क्या है। इस बारे में यह जानने के बाद कि निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा रहा है हमारे उद्योग पतियों की प्रतिक्रिया क्या है। उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि संसाधनों की कमी के कारण हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं अन्यथा विद्युत क्षेत्र में उद्योगपतियों को आमंत्रित करना हर्ष की बात नहीं होगी। यदि वे विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, विद्युत गृहों के निर्माण के लिए फिर बैंक ऋण पर निर्भर करते हैं तो यह अतिक्रमण होगा और धनराशि के इस आबंटन को दूसरे उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और सरकार ऐसा कर सकती है। इसलिए उद्योगपति जो बैंक ऋण पर या संस्थागत ऋण पर निर्भर किए बिना अपने धन पर निर्भर करते हैं, अपने खुद के धन का निवेश करते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि वे सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं अथवा यदि वे बैंक ऋण लेते हैं वे इस क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। इसलिए सरकार को इस बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए।

हम सभी जानते है कि विद्युत बोर्डों-राज्य बिजली बोर्डों की दशा में सुधार की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। निःसन्देह, उपभोक्ता के हित में यह अच्छी बात होगी। यहां तक कि अब भी उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में एकाधिकार है। मनमानी विद्युत दर वसूली के कारण उनका शोषण हो रहा है।

मेरा एक सुझाव है। जब नए औद्योगिक घराने बड़े उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिए आते हैं तो उन्हें बिना किसी शर्त के उन्हें लाइसंस नहीं दिए जाने चाहिए। उन पर एक शर्त इसके साथ लगा देनी चाहिए। शर्त क्या है? उनके पास अपने संयंत्र विद्युत संयंत्र होने चाहिए। बड़ा संयन्त्र स्थापित करते समय, यदि औद्योगिक घरानों को भारी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता हो तो उन पर अपने स्वयं के संयत्र स्थापित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे सामान्य क्षेत्र से भारी मात्रा में विद्युत खर्च होगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कई विद्युत संयंत्रों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। उनकी अपनी कार्यशैली है। परन्तु मुझे उनकी कार्य शैली को देख कर बहुत दुःख होता है जो अब तक बहुत अच्छी रही थी इसमें धीरे-धीरे निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, पक्षपात इत्यादि का समावेश होता जा रहा है। माननीय मंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि वे ठीक ढंग से कार्य करें।

अब में उड़ीसा पर आता हूं। यह एक पिछड़ा राज्य है और इसमें सदैव विद्युत की भारी कमी रहती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तालचेर में एक विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण में तेजी लाई जानी चाहिए, तालचेर में भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। उसमें ठीक प्रगति नहीं हो रही है। वहां प्रबन्ध द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र में न होकर निजी क्षेत्र में है। वे कुछ ही लोगों का कहना मान रहे हैं। इसलिए वहां कार्य प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने पूरे देश का दौरा किया था। इसने नए ताप, जल जब तथा अन्य विद्युत गृह स्थापित करने के लिए कुछ स्थानों का चयन किया था। जब इस क्षेत्र में प्रवेश हेतु औद्योगिक घराने आ रहे हैं तो सरकार को उन्हें इन चुने हुए स्थानों पर अपने विद्युत गृह निर्मित करने हेतु राजी करना चाहिए। उन्हें जहां वे चाहें वहीं ऐसे केन्द्र स्थापित करने हेतु पूर्ण छूट नहीं दी जानी चाहिए, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात इन जगहों का चयन किया गया था इसलिए उन्हें यह सुझाव भी दिया जाना चाहिए।

उडीसा में झाडसागोडार के निकट हिरका में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 3000 मे० वा० का एक प्रमुख विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसकी स्थापना के कार्य में भी तेजी लाई जानी चाहिए।

यह एक स्वागत योग्य कदम है। इससे नहीं बचा जा सकता है। हमें बहुत तीव्र गति से विद्युत का उत्पादन करना है। अन्ततः हम इस क्षेत्र में प्रगति कर रहें हैं। हमारी प्रगति के बावजूद भी हमारे पास विद्युत की कमी है। हमें इसे संतुलित करना है। समस्त विश्व आगे जा रहा है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बहुत कम है। हम बहुत पीछे हैं। फिर विकसित देश और आगे प्रगति कर रहे हैं। विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं। यदि हम साथ- साथ विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है। साथ ही विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश देते समय यथा सावधानी बरतनी होगी।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय मैं बहुत अपबादों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, आपको याद होगा कि विद्युत का राष्ट्रीकरण किया गया था और औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन इसे आर्थिक कार्य-कलापों में शामिल किया गया था जिन्हें राज्य के कार्य क्षेत्र में रखा गया था। इसे हमारी योजनाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल किया गया था, मैं इस विधेयक के उद्देश्यों के विरूद्ध नहीं हूं। मेरे विचार में विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्वीकार करने हेतु परिस्थितियों ने हमें बाध्य कर दिया है। परन्तु मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वह इसे देखे कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विद्युत क्षेत्र के मुख्य विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के पास होने चाहियें। इसमें कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। मैं निजी क्षेत्र की भूमिका के विस्तार के विरूद्ध नहीं हूं। वास्तव में यह नए उदारीकरण उपायों के अनुरूप है। जो सरकार ने अपनाए हैं। और जैसा कि मैंने कहा यह स्थिति की अनिवार्यता हो सकती है जिसका हम सामना कर रहे हैं परन्तु हमें विद्युत अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्र को हावी नहीं होने देना चाहिए। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

दूसरे विद्युत उत्पादन कम्पनियों की परिभाषा के सम्बन्ध में उनकी सीमाओं को परिभाषित करने के अधिकार को सरकार ने अपने पास रख लिया है। इसने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली निजी कम्पनियों के सम्बन्ध में सीमाओं को परिभाषित कर दिया है। मैं छोटे से क्षेत्र यहां तक कि एक पंचायत के क्षेत्र में संवाएं उपलब्ध कराने वाली लघु उत्पादक कम्पनियां की आसानी से कल्पना कर सकता हूं। और मुझे इसमें कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों तक ही सीमित रखा जाए। सहकारी समितियों तथा ग्राम पंचायतों को अपने अपने क्षेत्रों में सीमित उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन की अनुमति देने की दृष्टि से उत्पादन कम्पनियों की परिभाषा में विस्तार क्यों नहीं किया जा सकता है।

महोदय, विद्युत की राष्ट्रव्यापी कमी है जो एक प्रमाणित तथ्य है और इस बारे में आंकड़े उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि विद्युत एक सघन पूंजी उद्यम है और हम आबंटित धनराशि लगाने में भी सक्षम नहीं रहे हैं जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने कहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जबकि विद्युत की कमी है, विद्युत की भार का विस्तार समान नहीं है। कई लोग और कई क्षेत्र विद्युत कमी से प्रभावित है। परन्तु लोग हैं, कुछ क्षेत्र हैं, कुछ महा नगर है, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र हैं जो आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं। यदि विद्युत की कमी है तो इसमें सभी लोग सभी नगर भागीदार क्यों नहीं होते? मुझे आशंका है कि यदि माननीय मंत्री एक भी राज्य में विद्युत वितरण प्रणाली की जांच करायें तो वह पायेंगे कि ऐसे जिले हैं जहां विद्युत की आपूर्ति न के बराबर है और ऐसे जिले हैं जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। में चाहता हूं कि इस विद्युत कमी का भार समान हो और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे।

मेरी जाकारी में ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अन्दर से विद्युत आपूर्ति लाइनें गुजरती है।

2.22. म०प्र०.

(श्री राम नाईक पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। हम भूटान स्थित चुखा बिजली घर से कुछ बिजली लेते हैं और उसका एक भाग बिहार को भी सप्लाई किया जाता है। यह लाइन तीन जिलों के ऊपर से तथा उनके बीच से होती हुई गुजरती है किन्तु उन्हें इसका कोई भाग नहीं मिलता। मेरे विचार से यह पूर्णत: अनुचित है। मुझे निश्चित रूप से यह पता है कि मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी है। मंत्री महोदय को यह भी विदित है कि अब हमारे प्रत्येक गांव में पाठशालाएं हैं। कभी-कभी मुझे पता चलता है कि परीक्षाओं के समय पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं के बराबर है। इस प्रकार बच्चों को परेशानी होती है इसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ता है।

उनके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली को उत्पादित बिजली

का वाजिब से अधिक हिस्सा क्यों मिले। मैं दिल्ली को केवल एक उदाहरण के रूप में उद्धृत कर रहा हूं।

मेरी तीसरी बात यह है कि जहां निवेश की पूंजी प्रधान प्रकृति के कारण स्थापित क्षमता अपर्याप्त हैं, हमारी क्षमता का उपयोग अत्यल्प बना हुआ है। राष्ट्रीय औसत भी बहुत कम है। ऐसे राज्य और क्षेत्र भी हैं जहां क्षमता उपयोग और भी कम है। मुझे बिहार की विशेष चिन्ता है। जहां क्षमता उपयोग लगभग 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत ही है। मेरा विचार है कि सरकार ने कुछ उपचारात्मक उपाय किये थे। मैं सुझाव दूंगा कि मंत्री महोदय को उन उपचारात्मक उपायों के प्रभाव के बारे में हमें बताना चाहिये और यह भी कि क्या वर्तमान संयंत्रों के क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिए कुछ अन्य कदम उनके विचाराधीन हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं कि नयी औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में विद्युत सप्लाई को उस औद्योगिक इकाई के एक भाग के रूप में विकसित किया जा सकता है। शायद इससे हमें लाभ पहुंचे।

अब, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के बारे में जिसका वित्त पोषण लगभग पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। मैं पाता हूं कि विभिन्न राज्यों के मध्य ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु धन के वितरण में भी समानता नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर पूरे देश में बराबरी पर लाने के लिये, उन राज्यों को धन की अधिक मात्रा आबंटित की जानी चाहिये जिनमें विद्युतीकृत गांवों का कम अनुपात है और इसी प्रकार जब राज्य उपलब्ध धनराशि का विभिन्न जिलों में वितरण करते हैं तो निम्नतर स्तर के जिलों को धनराशि का उच्चतर अनुपात मिलना चाहिये ताकि एक समयावधि में एक जिले तथा दूसरे जिले और एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच विषमता को कम कर सकें।

महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम ने अनेक शिकायतों को जन्म दिया है। निश्चय ही मंत्री महोदय को ऐसी शिकायतें हर समय मिलती रहती होगी। ऐसी भी लाइनें हैं जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं है, ट्रांसफार्मर विहीन लाइनें भी है। ट्रांसफर्मर फुक गये और उनके स्थान पर दूसरे ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये। कभी-कभी कागजों में तो काम पूरा हुआ दिखाया जाता है, किन्तु वास्तव में लाइन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। मैं यह सुझाव दूंगा कि जब किसी खास क्षेत्र अथवा खास पंचायत के विद्युतीकरण के संबंध में काम पूरा होने की बात दर्ज की जाये, तो उस पंचायत के मुखिया अथवा सरपंच से कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिये।

उप-घरों में उपकरणों और ट्रांसफार्मर की कमी इस कार्यक्रम को बिल्कुल निरर्थक बना देती है।

अन्त में, मैं भ्रष्टाचार के पहलू पर आता हूं जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। विद्युत विभाग, व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस, लोक निर्माण विभाग तथा चकबंदी जैसे

पुराने विभागों से होड़ कर रहा है। मुझे निश्चय है कि मंत्री महोदय बिजली की उस चोरी के प्रति सचेत हैं जो विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत अथवा उकसावे से होती है। यह चोरी केवल गांवों मे ही नहीं बल्कि शहरों में भी की जा रही है। निश्चय ही राजस्व आय बढ़ाने का एक उपाय इस विद्युत चोरी को रोकना है।

निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूंगा कि निकट भविष्य में ऊर्जा का स्रोत, मंत्री महोदय चाहे कुछ भी करें, परंपरागत स्रोत ही रहेगा। वह तेल, गैस तथा पानी ही रहेगा। हमारे पास तेल और गैस के सीमित संसाधन है। पानी के संबंध में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान हमारे नेपाल तथा भूटान जैसे पड़ौसी देशों के साथ गहन वार्ता करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहूंगा ताकि हिमालय पर्वत श्रंखला के उस विपुल जल-विद्युत संसाधनों का दोहन किया जा सके जिसके बिना इस उप-महाद्वीप में सदैव बिजली का अभाव बना रहेगा।

(हिन्दी)

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि निजी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन होगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप निजी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की बात कह रहे हैं, जैसा कि बिल में कहा गया है, बिजली का उत्पादन करेंगे और फिर उसकी सप्लाई होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा पैसा हमारे बैंकों से बड़ी बड़ी कंपनियां लेंगी और उसकी गारन्टी सरकार देगी। जहां तक प्राइवेट लोगों का ताल्लुक है, मैं देख रहा हूं कि जितने उद्योगपति हैं वे सारे का सारा पैसा खत्म करके बैंकों के कर्जाई हैं और उन्होंने एक पैसा भी हमारी सरकार को वापस नहीं किया। आज करोड़ों रुपया हमारा उनकी तरफ बचा हुआ है और राष्ट्र को इन्होंने बड़ा भारी कमजोर किया है। एक तो प्राइवेट लोग मजदूर और लेवर का शोषण करते हैं इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैंने अभी देखा कि हिमाचल प्रदेश में यह प्रथा चल गई है कि प्राईवेट लोगों को यहां पर चाहे वे सीमेंट के कारखाने हैं चाहे बिजली का उत्पादन हैं, सब प्राइवेट क्षेत्र को दिए जाने के लिए बात की जा रही है, अब यहां जिक्र आया कि वहां के मुख्य मंत्री ने बयान दिया, आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो हमारे साथ, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है वह यह है कि जब हमारा विभाजन हुआ, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा बना उस वक्त हमारे साथ गवर्नमेंट आफ इण्डिया का समझौता हुआ था। उसके अनुसार हमको 7.19 परसेंट बिजली की रकम दी जानी चाहिए थी वह हमारी सरकार को नहीं मिली और उससे करोडों रुपया हमारा पंजाब की तरफ बकाया है। अगर इससे हमारी सरकार को वह पैसा मिलता है तो उसके अलावा हमको 2.19 परसेंट वह पैसा दिया जाता है। जब कि एग्रीमेंट इस तरह का था, उससे हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब आप उत्तर देंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिए जो यह रिआर्गेनाइजेशन हुई, जब यह पंजाब, हिमाचल और हरियाणा बना। (व्यवधान) हमारे एग्रीमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। हिमाचल राज्य में तमाम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर मीसा और सुरक्षा एक्ट का इस्तेमाल करके उनको जेलों में डाला जा रहा है और कोई सरकार उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश की सरकार एक तरफ प्राइवेट लोगों के साथ सौदा करके अपनी उदरपूर्ति, अपना चुनाव मुहिम शुरू करता है और दूसरी तरफ गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है, में नहीं समझता कि आपके साथ क्या एग्रीमेंट हिमाचल सरकार ने किया है, वह दोष देती है भारत सरकार को कि भारत सरकार ने हमसे जबरदस्ती एग्रीमेंट कराया, मैं नहीं समझता जबरदस्ती एग्रीमेंट होता है। आप हमारे नेता के साथ, राजीव जी के साथ नाथपाझाखड़ी में उद्घाटन करने गए और मैं जानता हूं कि आप कानून मंत्री हैं, हिन्दुस्तान में आपके बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े प्रयत्न किए हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारी भारत सरकार को हमारी सेंट्रल सरकार को बदनाम करने के लिए राज्य सरकार इस तरह की वहां पर लोगों में यह प्रचार कर रही हैं कि भारत सरकार ने हमसे यह कहा, में समझता हूं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा।

मैं समझता हूं कि हिमाचल के इंजीनियर, हिमाचल के लोगों को, हिमाचल के जो मजदूर हैं उनकी आप रक्षा करेंगे और इस बिल को आप इस तरह से पास करेंगे कि इसमें हमारे लोगों का फायदा हो और जो पचास करोड़ रुपया हमने यू० पी० गवर्नमेंट से लेना है, जो बिजली हमने भेजी है उसका पैसा भी हमको दिया जाना चाहिए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। (व्यवधान) जो हिमाचल प्रदेश के लीडर हैं जिसके साथ ज्यादती हुई है उनको आप राहत दिलाएं और हिमाचल सरकार को हिदायत दें कि वे कम से कम उनको आने पास टेबल पर बुला कर उनके साथ समझौता करें।

(अनुवाद)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : विद्युत विधि (संसोधन) विधेयक नियो-साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा बतायी गई सरकार की संशोधित आर्थिक और औद्योगिक नीतियों, जो आम जनता की भलाई के लिए अहितकर है की नकल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

विचाराधीन विधेयक का उद्देश्य विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी की परिभाषा में संसोधन करना है। इस संशोधन से सरकार विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना चाहती है। हम निजीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि कारण सीधा सा है निजी प्रबन्ध और स्वामित्व गरीब जनता के, जिनकी हमारे देश में बहुत अधिक संख्या है, हितों की देखभाल नहीं करते हैं। विद्युत क्षेत्र में वास्तविक धन अपर्याप्त है। में इस बात को समझता हूं।

मुझे इस तथ्य की जानकारी है क्योंकि मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1,27,000 करोड़ रुपये की मांग की थी परन्तु योजना आयोग ने इसमें कटौती कर के केवल 69,000 करोड़ रुपये आवंटित किये है। विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागेदारी से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु इसके सहवर्ती परिणाम इस सामान्य कारण की वजह से कि अधिकांश लोगों का शोषण किया जाएगा जनता के लिए लाभकारी नहीं होंगे। विद्युत शुल्क को न्यायसंगत बनाने के परिणामस्वरूप शुल्क में वृद्धि होगी और किसानों को रियायती दर पर जो विद्युत मिल रही है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार कृषि उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

विधेयक के खण्ड ग्यारह में विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी की विद्युत की बिक्री दर निर्धारित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया है। परन्तु में इस बात की व्याख्या की गयी है कि यदि विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है तो केन्द्रीय सरकार ही विद्युत शुल्क निर्धारित करेगी। परन्तु जिन मामलों में विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है तो केन्द्रीय सरकार ही शुल्क निधारित करेगी।

यह बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति है यदि किसी राज्य में विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी पर केन्द्र सरकार का स्वामित्व है तो इसके शुल्क में और राज्य सरकार द्वारा विद्युत का उत्पादन करने वाली कम्पनी के, जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है, निर्धारित शुल्क में अन्तर होगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का अतिक्रिमण होगा वहीं दूसरी तरफ बड़ी गडबड़ी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को शुल्क निर्धारण का कार्य राज्य सरकारों की सहमति से करना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि शुल्क निर्धारित करते समय विभिन्न राज्यों को उपभोक्ता संघों और ट्रेड यूनियनों से परामर्श किया जाना चाहिए। सरकार विद्युत क्षेत्र में ज्ञात प्रतिशत विदेशी साम्य के साथ विदेशी पूंजी निवेश का प्रस्ताव कर रही है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र से ऋण इक्विटी अथवां 4:1 की छूट का प्रस्ताव किया जाता है। इससे इक्विटी पर लाभ की दर 12 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो जाएगी। इसके फलस्वरूप ब्याज पूंजी में बदल जाएगी।

इस विधेयक में पूंजी पर लाभ की गारंटी देने की व्यवस्था की गयी हे। इससे बहुत अधिक पूंजीकरण होजायेगा। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ेगा। क्या सरकार ने उत्पादकों के दावों के सही मूल्यों की जांच करने के लिए किसी तंत्र का गठन किया है? मेरे विचार से सरकार ने ऐसे किसी तंत्र को नहीं बनाया है।

इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि विधेयक में विदेशी इक्विटी और ऋण के बीच संतुलन बनाए रखाने की व्यवस्था नहीं गी गयी है। यदि विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाएगी और घरेलू दृष्टि से ऋण में वृद्धि होगी तो संयंत्र और उपकरणों के आयात

पर विदेशी मुद्रा का निर्गम होगा। इस स्थिति का जांच की जानी चाहिए और इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुधीर गिरि : मुझे दो अथवा तीन मिनट का समय और दिया जाए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्रीनिर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जो भी समय निर्धारित किया गया हो परन्तु यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए आप इस के लिए और अधिक समय दीजिए।

सभापति महोदय : इसके लिए केवल एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके अतिरिक्त कुछ भी निर्णय किया गया हो लेकिन यह औद्योगिक नीति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें कुछ नरमी बरती जानी चाहिए।

सभापति महोदय: समय निर्धारित करते समय इस पर विचार किया गया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इस बात को जानता हूं। हर बार हम ऐसा ही करते हैं। हमें सब कुछ याद रहता है।

श्री सुधीर गिरि: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। निजी प्रबन्ध के प्रत्येक मामले में श्रम बल की क्षति होती है। कर्मचारियों की छटनी की जाती है। मशीनों को लगाया जाता है। समूची कार्यवाही लाभ कमाने से प्रेरित होती है। रोजगार क्षमता में सुधार नहीं होता है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो जाएगी कि 1976-77 से लेकर 1986-87 तक के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि निवेश में 303 बिलियन रु० से 977 बिलियन रु० तक की वृद्धि हुई है। परन्तु रोजगार में केवल 0.3 मिलियन की शुद्ध वृद्धि हुई है।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित शीर्ष क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार सरकार अपने उद्देश्य के अनुसार विकास का पूंजीवादी तरीका अपनाती है। परन्तु यह याद रखा जाना चाहिए कि इससे आम जनता का भला नहीं होगा।

(हिन्दी)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, देश के सामने ऊर्जा के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अभाव के कारण आज इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी हो गयी है कि जहां से हम चले थे फिर वहीं पहुंच रहे हैं। हमने आजादी के पहले और आजादी के तत्काल बाद बिजली

पैदा करने वाली जिन निजी संस्थाओं को अपने हाथ में ले कर विभिन्न राज्यों में बिजली बोर्ड बना कर स्वायत्तता प्रदान की थी बिजली उत्पादन की, आज हम उल्टे जा कर प्राइवेट लोगों के हाथें मे वही काम सौंपने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे नीतिगत दोष के कारण यह बात पैदा हुई है। कुछ त्रुटिया अवश्य पैदा हुई है। जिसके कारण आज ऊर्जा का संकट खड़ा हो रहा है। देश के अन्दर ऊर्जा संकट है प्रत्येक राज्य में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो या महाराष्ट्र हो। सभी राज्यों में यह बात कही जाती है कि हमको जितनी ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए उतनी बिजली उत्पादित नहीं हो रही है। कहीं- कहीं निजी स्रोत आज भी विद्यमान हैं, महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में हैं बाकी अन्य स्थानों पर इस प्रकार के निजी बिजली के संस्थान नहीं है। कुछ स्थानों पर इस प्रकार के संस्थान हैं, लेकिन वे इतने कम हैं या उनकी उत्पादन क्षमता इतनी थोड़ी है कि वे आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं।

मैं एक और कारण मानता हूं, जितने स्टेट के बिजली बोर्ड हैं, विद्युत मण्डल हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा सरकारी नियंत्रण है, इतना ज्यादा हस्तक्षेप सरकार के मंत्रालयों का है जिसके कारण वे स्वतन्त्र रूप से काम करने पर अक्षम हो गए है। ट्रांसमिशन लास भी काफी है। दूसरा कारण यह भी रहा कि उनका इतना ओवर-स्टाफिंग है जिसके कारण बिजली बोर्ड अक्षम हो गये और भारी घाटे के अन्दर रहे उनका घाटा करोड़ों में है। चाहे बिहार का बिजली बोर्ड हो, राजस्थान का बिजली बोर्ड हो या किसी अन्य प्रदेश का बिजली बोर्ड, वे आज भारी घाटे की स्थिति में पहुंच गए है।। आज हम न उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ा पाए हैं और न ही उनके घाटे को कम कर पाए हैं। और इस तरह से आज निजी लोगों के हाथों में इसका उत्पादन सोपने जा रहे हैं उत्पादन व वितरण के बारे में सही नीति नहीं रही। मैं समझता हूं कि देश की आवश्यकता की दृष्टि से यह ठीक कदम है और हम जैसे भी हो इसको पूरा करें ताकि देश के सामने जो बिजली का उत्पन्न संकट है उसे पूरा कर सकें। वर्तमान में विभिन्न स्रोत हैं हमारे सामने बिजली उत्पादन के, उनकी भी हम ठीक से टैप नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हम कोयले के आधार पर बिजली उत्पादित करते हैं, पानी से बिजली उत्पादित करते हैं, सौर ऊर्जा का बहुत थोड़ा भाग है, जो इसके अन्दर नगण्य है, लेकिन यह बात जरूर है कि गैस पर आधारित बिजली घर बना कर भी हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में बहुत थोड़ा प्रयत्न हुआ है।

मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देगें। एक विषय, क्योंकि इससे संबंधित है, जिसका माननीय मंत्री जी भी समर्थन करेंगे, कि मध्य प्रदेश के अन्दर 550 किलोमीटर गैस की पाईप-लाईन जाती है, लेकिन वहां पर गैस पर आधारित एक भी बिजली घर नहीं है जबकि इस बात की स्वीकृति दी गयी थी कि गैस पर आधारित बिजली घर मध्य प्रदेश व अन्य प्रदेश में लगाए जाएं। मध्य प्रदेश में बिजली की निश्चित रूप से कमी है और वहां पर 550 किलोमीटर लम्बी गैस बेसड लाईन जा रही है तो कोई कारण नहीं कि मध्य प्रदेश को उससे वंचित रखा जाए। मैं समझता हूं कि वहां पर इस प्रकार बिजली घर स्थापित कर दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश की बिजली की कमी की पूर्ति होगी। साथ ही जहां जहां से ग्रिड बना कर क्षेत्रीय आधार पर, अन्तरक्षेत्रीय

आधार पर जिस प्रकार बिजली का वितरण करते है, उस दृष्टि से पड़ोसी राज्यों को भी लाभ मिल सकता है, मध्य प्रदेश को तो मिलेगा ही। इस दिशा में आप विचार करें।

एक और बात की ओर ध्यान दिला कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे केवल पांच मिनट में समाप्त करना है। यह जो जगह-जगह पर टैरिफ की असमानता है उसको भी दूर करने की आवश्यकता हैं। जहां आज बिजली का उत्पादन निजी हाथों में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिजली उत्पादन के अन्दर लगने वाले जो संयंत्र है उनका उत्पादन अभी हमारी भेल जैसी बड़ी-बड़ी फैक्टरियां करती हैं या इस प्रकार के संस्थान करते हैं, इस दिशा में उनके साथ निजी स्रोतों को लेकर उनको भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करेंगे तो आप उत्पादन बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि दोनों तरह से आप इसको बैलेंस करने की कृपा करेंगे।...

मैंने कोयला, पानी और गैस पर आधारित विद्युत के सुझाव दिए हैं। इस नीति को लेकर बढ़ेंगे तो ठीक होगा। जो उत्पन्न संकट है उसको दूर करने की दृष्टि से हमने 1910, 1948 के अधिनियम बिल के अंदर जो संशोधन किए हैं, मैं समझता हूं कि इस स्थिति के अन्दर हमारे लिए सहायक होगा। मैं इस बिल का विरोध नहीं करता लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं कांप्रिहोन्सिव बिल लाइए। विद्यमान हालत सुधारें, यह जरूर है कि मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बोर्ड किस प्रकार सक्षम बन सकते हैं। उनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार सुधारी जा सकती है। केन्द्र या राज्य सरकारों का हस्तक्षेप कम हो। इस प्रकार की नीति निदेशक बातें आपको बनाने की आवश्यकता होगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद)-: माननीय सभापति जी, भारतीय विद्युत अधिनियम और विद्युत (प्रदाय)... अधिनियम संशोधन विधेयक पेश किया गया है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऊर्जा संकट को देखते हुए हड़बड़ाकर यह बिल लाए हैं। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि एक तो प्राईवेट सैक्टर में ले जाना चाहते हैं। पहले इनको चाहिए था कि जो हमारे उत्पादन में कमी हो रही है, ज्यादा खर्चा बढता जा रहा है, घाटे में हम जी रहे हैं तो इसमें क्या नुक्स है कि जिसके चलते हम घाटे में जा रहे हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस जांच में मजदूरों के नेताओं की भी राय लेनी चाहिए। बहुत चीजों की जानकारी मजदूर लोगों को हैं और उनके नेताओं को भी है। कमी होने का कारण क्या है। अगर जांच करवा कर देखते तो सारे नुक्स ठीक हो सकते हैं। इसके बारे में देखते कि उत्पादन में जो कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति में यह बिल लाया जा सकता था। बगैर जांच किए आप प्राइवैट सैक्टर में देने के लिये बिल लाये हैं। इससे क्या होगा, इससे मजदूरों का शोषण और छंटनी होगी और बिजली के रेट बढ़ेंगे। उससे किसानों को भी काफी नुकसान होगा। गरीब किसान बिजली नहीं ले सकते हैं तो कृषि के उत्पादन में कमी हो जायेगी। ज्यादा से ज्यादा कारखाने वाले लेते थे और आज भी लेंगे। यह देखा गया है कि किसान मजदूर जब लेते हैं तो प्रति यूनिट पचास पैसे लेते हैं। अगर कोई बिजनैस वाला लेता है तो आप पांच पैसे लेते हैं। यह 'दुरंगी' नीति आपकी

है। इससे पता चलता है कि नयी उद्योग नीति किस रास्ते पर देश को ले जा रही है, वह सबकी झलक है। संविधान बनाने वाले लोगों ने इस देश को समाजवाद के रास्ते पर चलने की बात कही है। समाजवाद रास्ते का मतलब यह है कि पब्लिक सैक्टर को खत्म करके प्राईवेट सैक्टर में दे देंगे, यह समाजवाद का विरोध है इसलिए संविधान का भी यह बिल विरोध करता है। ऐसी स्थिति में आप इस बिल को न लाएं, वापिस लें और इसकी जांच पहले करवा लें कि कारण क्या है। यह जरूरी नहीं है कि प्राईवेट सैक्टर की आप बात करते हैं। प्राईवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में हमारे बहुत से कारखाने हैं। बिहार में प्राईवेट सैक्टर वाले वही सब कुछ करने वाले हैं। डालमिया नगर का प्राईवेट सैक्टर का कारखाना खत्म हो गया, वह क्यों बंद हो गया और सारे मजदूर बेकार हो गए, कितनों ने फाँसी लगा ली और जहर खाकर मर गए। इसलिए उनको इस काम का रास्ता नहीं मिला। यह जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सैक्टर वाले लोगों के कल्याण के लिए भी काम करें क्योंकि वे तो अपने मुनाफे के दृष्टिकोण से ही काम करते हैं। उनका मकसद तो शुद्ध लाभ कमाना होता है। हमारा काम लोगों का कल्याण करना है, हमारी वेलफेयर स्टेट है और ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार हो। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि इस तरह से आप यह काम न करें। इससे मजदूरों में असंतोष होगा, मजदूर छंटनी से बेकार हो जायेंगे और वे वह रास्ता पकडेंगे जो असम, पंजाब और कश्मीर में लोगों ने पकड़ा हुआ है। फिर आप कहेंगे कि क्या कारण है कि इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं।

इसलिए इस स्थिति में इस बिल को लाना उचित नहीं है। इसकी जांच पड़ताल करवायें, अगर उत्पादन में बढ़ोत्तरी न हो तब आप इस बिल को ला सकते हैं और हम इसका समर्थन करेंगे।

श्री एस०एम० लालजन बाश (गुन्दूर) : सभापति महोदय, जो बिल यहां पर लाया गया है हम उसका विरोध नहीं करते हैं, समर्थन ही करते है।। क्योंकि देश को आज बिजली की अत्यन्त आवश्यकता है। हमारे देश में इसका उत्पादन कम हो गया है। सरकार के पास जो प्रोजेक्टस हैं उनको पूरा करने के लिए भी फण्डस नहीं हैं इसलिए इसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जाइंट सेक्टर बनाकर राज्य सरकारों को भी साथ रखें और उनके हाथ में दें। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है। हम इस बिल के माध्यम से ऐसे ठोस कदम उठायें जिससे लोगों को लाभ पहुंचे और जहां बिजली नहीं गई है वहां विद्युत पहुंचें।

इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को न देकर जाइंट सेक्टर को दिया जाये तो अच्छा रहेगा और ज्यादा फायदा होगा। इससे यह प्रोजेक्ट डवलप होगा और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : जनावे मोहतरम चेयरमैन साहब, मुझे खुशी है कि आप इस महान कुर्सी पर बैठे हैं । जो यह कुर्सी है इससे इन्साफ होता है और ईश्वर करे कि आपके मन

में भी इन्साफ करने की भावना इस कुर्सी के साथ पैदा हो। जिससे आप भी हम सब के साथ इन्साफ कर सकें।

सभापति महोदय : यह मेरे लिये अच्छे शब्द हैं, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री अयूब खां : मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी को सबसे पहले मुबारकवाद देना चाहता हूं कि वह यह बिल यहां लेकर आये हैं। आज हमारे मुल्क में सबसे घोर संकट बिजली का है और इस संकट को दूर करने के लिए आपने जो यह कदम उठाया है यह स्वागत योग्य है। आप इस सैक्टर को प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जितना अच्छा कदम है उतना ही आपको इसमें गहराई से सोचना होगा कि प्राइवेट सैक्टर वाले किस तरीके से बिजली का वितरण करेंगे। वह कैसे इसकी योजना बनायेंगे कि इसका वितरण किया जाये यह आपको देखना होगा। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान की सरकार के बारे में मैं नहीं कह सकता कि वह किसानों के पक्ष में है या विरोध में हैं क्योंकि हमारे साथी नाराज होंगे, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि किसी जमाने में 25 रुपये में बिजली की फाइल खुलती थी, आज 25,000 रुपये में खुलती है। एक साधारण किसान कहां से इतना पैसा दे सकता है। आप अन्दाजा लगाइये कि एक साधारण किसान, गरीब से गरीब व्यक्ति कैसे अपनी फाइल खुलवा सकता है और कैसे अपने बाल बच्चों का पेट भर सकता है। वह सरकार जो 25 रुपये और 25,000 रुपयों मे फर्क नहीं कर सकी, मुझे दुःख है कि कैसे वह किसानों को बिजली दे पायेगी। राजस्थान दूसरे नम्बर का राज्य है व बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास एक डिमांड रखी है कि उनकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है, उनको पूरा किया जाये, राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए शीघ्र से शीघ्र और सहायता दी जाये। हमारे प्रोजेक्ट पैंडिंग पड़े हैं जिनमें धौलपुर, सूरतगढ़, चित्तौड़गढ़, माण्डलगढ़ को अति शीघ्र क्लीयरेंस दिया जाये। राजस्थान के नेबरिंग राज्यों में बिजली पैदा करने के साधन हैं लेकिन राजस्थान में लोग पानी के लिए तरस रहे है। राजस्थान के पास न पानी का बन्दोबस्त है और न बिजली है जिससे कि वहां के क्षेत्रों का विकास हो सके।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि आज जो बिजली की चोरी होती है, ऐसा कानून बने कि चोरी न हो सके। हमारे एक साथी ने सुझाव दिया था कि बिजली बोर्डों में अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज है। एक एस०ई० के नीचे एक्सीएन, एक्सीएन के नीचे एइएन और एइएन के नीचे जेइएन और पता नहीं उसके नीचे कितने अधिकारी होंगे। इस प्रकार जो आपके बिजली बोर्ड बने हुए हैं, उसमें काम कम है करप्शन ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि इसकी एक लिमिट बनायी जाये कि इससे अधिक अधिकारी उन बोर्डों में नहीं होंगे। इससे हमारा करप्शन कम होगा। हमारे यहां कुओं पर कनेक्शन दिया जाता है, यदि अधिकारी चाहे तो काफी खर्चा पानीलेकर जल्दी कनेक्शन दे सकता है और यदि न चाहे तो काफी दिनों मे दे सकता है। राजस्थान में किसान बारिश पर डिपेंडेंट रहता है यदि विद्युत सप्लाई जल्दी हो तो किसानों को कुओं पर कनेक्शन जल्दी मिल जाये

और वह अपना काम चला सकता है। इसलिए राजस्थान में चाहे कोई भी सरकार हो, किसानों के लिए बिजली जल्दी और ज्यादा मुहैय्या करनी चाहिये ताकि अपनी काश्त में बिजली की मदद से वह खेती करके उत्पादन को बढ़ा सके। अभी जो बिजली के प्रोजेक्ट हैं, उनमें पानी का जो प्रोजेक्ट है, उसको शीघ्र पूरा किया जाये और बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा कीमत पर बिजली देकर इन किसानों को सस्ती दरों पर बिजली मुहैय्या की जाये।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इन बातों पर सरकार गौर करेगी क्योंकि राजस्थान के पास न कोयला है, न गैस है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश की सरकार हमारी राजस्थान सरकार के साथ दुर्व्यवहार कर रही है क्योंकि जितना हमारा हिस्सा है वह नहीं दे रही है जबकि दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है। इसलिए हमारा राजस्थान विकास नहीं कर रहा है। हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने अपने आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्टस के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है यदि उन प्रोजेक्टस को क्लीयरेंस मिलता है तो राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। यही मेरा मानना हे। धन्यवाद।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सरकार और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिजली उत्पादन में जो देश में संकट आया हुआ है, उससे सारे आर्थिक संकट बढ़ते हैं। उस संकट को सही पहचान कर अपने निजी क्षेत्र को भी बिजली उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने का जो निर्णय लिया है और वह बिल लाये हैं मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लगभग सभी बोर्ड घाटे में चल रहे हैं इसमें अरबों रुपये का घाटा है...

सभापति महोदय : आपके पास चार मिनट हैं ..

प्रो० प्रेम धूमल : मैं चार मिनट में ही खत्म कर दूंगा। मैं इस बिल का तो समर्थन करता ही हूं परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहता हं कि हि० प्र० में बिजली उत्पादन की क्षमता 20 हजार मेगावाट है लेकिन साधनों की कमी के कारण केवल मात्र 17 प्रतिशत इसका दोहन हो सका है। मैं जानता हूं कि न तो प्रदेश सरकार के पास साधन थे और न केन्द्र की ओर से इतनी सहायता मिलती थी। जो प्रदेश 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता हो, अगर उसको साधन पूरे मिलें तो उत्तरी भारत की बिजली संबंधी सभी समस्यायें खत्म हो सकती हैं।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त कोयले से बनने वाली बिजली की स्थिति भयंकर है, क्योंकि वह सीमित है और दूसरे साधनों से हम बिजली बनाते हैं उससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है लेकिन जो पन बिजली प्रोजेक्टस हैं, उनसे न तो पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव होता है और न वे मंहगे पड़ते हैं।

देश की आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की जो मांग है, उस को पूरा करने के लिए 38,369 मैगावाट की संस्थापित क्षमता का संवर्धन करना आवश्यक है। और केन्द्र की सरकार के संसाधनों को देखते हुए इसको कर पाना संभव नहीं है। वित्तीय साधनों की कमी के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए निजी क्षेत्र को इस कार्य में सम्मिलित करने का हम स्वागत करते हैं और इस बिल का भी समर्थन करते है।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मै तहेदिल से इस विद्युत विधेयक का विरोध करती हूं। सरकार की नीतियां क्या हैं और उसकी करनी क्या है, दोनो के बीच सामंजस्य बैठा नहीं पाते। इस विधेयक के द्वारा बिजली का उत्पादन आप कुछ व्यक्तियों को देना चाहते हैं और इस प्रकार ऐसा लगता है कि देश में कुछ व्यक्ति विशेषों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि और स्पष्ट कर दें कि किन-किन को फायदा देना चाहते हैं तो अच्छा होता सब लोग समझ जाते कि सरकार की मंशा क्या है और वह क्या करना चाहती है। हम अंधकार में नहीं हैं। बिजली विभाग ही नहीं, पूरी सरकार और पूरा देश आजकल एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि विदेशों से ऋण लिया जा रहा है, बंधक रखा जा रहा है इत्यादि बातें सुनते सुनते पुरानी हो गई हैं और हमें ऐसा लगता है कि आदत भी पड़ गई है। उसकी परिणति अब यह हो गई है कि बहुत से डिपार्टमेंटस जो सरकार के हैं, हम लोग जब से पैदा हुए हैं, तब से हम यह देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा वह चलाए जाते हैं। उन विभागों में ऐसी कौन सी खामी आ गई कि उनमें इतनी घाटे की स्थिति आ गई? उनकी उत्पादकता में इतनी कमजोरी क्यों आ गई? यहां कहा जाता है कि ये थर्मल पावर आधारित हैं और इससे बिजली की सहूलियत हो जाएगी। बिजली के चलते भी हम अंधकार में हैं, अब व्यक्तियों को सौंप देने से आगे बिजली का भविष्य हमें अंधकारमय दिखाई देता है। भले कुछ लोगों का भविष्य प्रज्जवलित हो जाये इससे मैं असहमति नहीं रखती हूं। इसी मंशा के साथ मैं तहेदिल से इस विधेयक का विरोध करती हूं और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूं।

(अनुवाद)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, बिजली की उपलब्धता ही आर्थिक विकास का स्तर मापने का सही मानदण्ड है। अपने देशवासियों का जीवन स्तर उपर उठाने के हमारे प्रयासों में हमारी योजना में बिजली उत्पादन को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तथापि इस क्षेत्र में संसाधनों की कमी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा रही है।

3.04 म० प०

श्री पी.एम. सईद : (पीठासीन हुए)

श्रीमान : अब समय आ गया है जब हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने में नया नजरिया अपनाना चाहिए जहां लोगों की आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को शामिल किया जा सके। मुझे प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यह महसूस किया है कि बिजली क्षेत्र ऐसा ही क्षेत्र है कि हमें यही समय है अपनी विभिन्न समस्याओं के प्रति हठधर्मिता और हठीलेपन के दृष्टिकोण से छुटकारा ले लेना चाहिए। मुझे अपने विपक्ष के मित्रों द्वारा इस विधेयक का इस आधार पर विरोध करने और आपत्ति उठाये जाने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इससे कामगारों के हितों की हानि होगी। मुझे खेद है यह कपट पूर्ण तर्क मैं नहीं समझ सका क्योंकि जब वें ऐसा कहते हैं तो वे इस आधारभूत तथ्य की अनदेखी कर देते हैं कि बिजली घरों को स्थापित करने से लोगों को और रोजगार ही मिलेगा। इससे बेरोजगारी की समस्या ही हल होगी। मुझे उनका यह दृष्टिकोण जानकर दुःख हुआ है कि वे उनको इससे वंचित करना चाहते हैं। वे ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जहां हम अपने देशवासियों का जीवन स्तर उपर नहीं उठा सकते। परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र को कुछ देने की बात उनको अभिशाप लाती है। यदि सरकार सरकारी क्षेत्र की कुछ चीजों को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने के लिए कदम कोई कदम, उठाती है तो आपत्ति में समझ सकती हूं इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि इस विधेयक में एक शर्त है कि निर्धारित समय के बाद सरकार या बिजली बोर्ड यदि चाहे तो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए उपकम को खरीद सकते हैं। मेरे विचार से ऐसी शर्त के कारण गैर सरकारी उद्यमो के संचालन में स्थायित्व नहीं आयेगा क्योंकि उनमें यह भय सदैव बना रहेगा कि एक निर्धारित समय के बाद बिजली कोर्ड की कुर्सी पर बैठा कोई अधिकारी उन्हें परेशान कर सकता है या उन्हें और समय देने के लिए पैसों की मांग कर सकता है।

निसंन्देह यह शर्त इसमें दी गई है कि इन गैर सरकारी विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनियों का कार्यकरण 1948 के विद्युत आपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों की सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित होगा और समेकित कोई संचालन के अन्तर्गत हमारी यह धारणा थी कि इसे संचालित किया जायेगा। दूसरी बात यह है कि प्रतिपक्ष में बैठे अपने मित्रों के अनुसार इस प्रकार के उपाय हमारे समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतिकूल होंगे। मुझे इस बात का खेद है कि इस संशोधन के पीछे उनके तर्क को नहीं समझ पाया हूं। मैं इस अवसर पर सरकार की इस कार्यवाही की सराहना करता हूं कि उसने विकास के लिए, उद्योगों को ठीक से चलाने के लिए कृषि में सुधार करने के लिए, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्पतालों को चलाने के लिए और हमारी संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमारे देश में बिजली की भारी कमी को महसूस किया गया है। मझे खुशी है कि सरकार ने इस जरूरी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है।

उदाहरण के तौर पर यदि पंजाब में जिसे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी समझा जाता

है यदि शीघ्र ही बिजली के क्षेत्र में कुछ सुधार नहीं किया गया तो वहां पर भी इसका भविष्य अन्धकारमय है। आगामी पांच वर्षों में पंजाब को 3286 मेगावाट की वर्तमान आवश्यकता के स्थान पर 4482 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। मेरा विश्वास है कि यदि इस शर्त का समाधान नहीं किया गया तो कोई भी व्यक्ति पंजाब जाकर बिजली के क्षेत्र में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करना नहीं चाहेगा। जबकि सरकार अन्यत्र बिजली घर की स्थापना के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों से बात करती है तो यह सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि वह पंजाब की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पंजाब को पर्याप्त धन देना सुनिश्चित करे।

अपनी बात समाप्त करने के पूर्व में केवल आधुनिक शहर राज्य चंडीगढ़ की आवश्यकता का उल्लेख करना चाहूंगा। यद्यपि यह एक छोटा शहर है फिर भी यहां की बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। उद्योग चलाने के लिए लाइसेंस देने और यहां तक कि घरेलू बिजली कनेक्सन के आवेदन पत्र काफी समय तक लम्बित पड़े रहते हैं। दो वर्ष पूर्व हमने निष्ठा पूर्वक सोचा था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की प्रत्येक झोपड़ी में बिजली का एक प्वाइंट जरूर दिया जायेगा परन्तु बिजली की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए ऐसा केवल बिजली की कमी के कारण हुआ है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय एक गतिशील व्यक्ति है जो गरीबों की देख-भाल करते है, जो गरीबों का ध्यान रखते हैं और उन्होंने व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन और सुधार किए है। इसलिए इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे चण्डीगढ़ पर भी ध्यान दें तथा चण्डीगढ़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस संबंध में कुछ करें। इन शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आपकी ओर से मैं भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि.....

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) सभापति महोदय, मेरा विचार है कि में ऐसे विधेयक का समर्थन कर ही नहीं सकता। इसके जरिये एक सिलसिले की श्रीमान शुरू-आत हुई है। आजादी के बाद भारत की जो सबसे पहली उद्योग नीति 1948 में बनी, उसमें कुछ दायरे निर्धारित किए गए जिनमें बिजली भी एक यह सार्वजनिक क्षेत्र का ही विषय होगी। एक सिलसिले की शुरूआत हुई जिसमें सारी निजी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ जो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में थीं। आज 45 वर्ष के बाद सरकार अपने कार्यकलापों की विफलताओं और अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए एक नये सिलसिले की शुरूआत कर रही है कि न तो हमारे पास पूंजी है, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, हमारी इकाईयां बीमार हो जाती हैं। इन तीनों तर्कों के बारे में जो असत्य और थोथे तर्क हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र गरीब

हैं तो क्या इस देश का निजी क्षेत्र इतना धनवान हो गया है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को अपनी कूवत पर अपनी पूंजी पर और अपने भरोसे पर इस देश में चलाने की हैसियत रखता है?. उसकी भी एक सीमा है और उसको भी दौड़कर अन्ततः सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के पास आना ही पड़ता है।

सभापति महोदय, जहां तक घाटे का सवाल है आपने अपनी आर्थिक नीति में और जो इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा है, उसमें कहा है कि निजी क्षेत्र की बीमार इकाइयों के ऊपर वित्तीय संस्थाओं का 7 हजार 74 करोड़ रुपया बाकी है। जो निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, उनके भी उद्योग बीमार पड़ रहे हैं। जहां तक सवाल है चोरी और बेईमानी का, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो भी आपका ट्रांसमिशन लास है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपर एक ही आरोप लगाया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बेईमानी और भ्रष्टाचार तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। यह जिम्मेदारी किसकी है? इसको रोकने का दायित्व किसका है? जो ट्रांसमिशन लास आप विद्युत के क्षेत्र में दिखलाते हैं, उसके संबंध में मेरा तो साफ-साफ कहना है कि इसमें से आधी निजी क्षेत्र की चोरी है जो आपके अधिकारियों से मिलकर निजी क्षेत्र वाले करते हैं। जो उनकी स्थापित क्षमता है, जितनी बिजली आपने उनको उद्योग को चलाने को दी है कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर, उससे एक चौथाई बिजली वह अतिरिक्त जलाता है, उसका उपभोग करता है और वह चोरी आपके विभाग से मिलजुलकर होती है। इसके उपर नियंत्रण स्थापित करने का दायित्व किसका है? इसलिए श्रीमान् मैं कहना चाहता हूं कि ये तीनों तर्क झूठे और अनर्गल हैं। पूंजी निजी क्षेत्र के पास भी नहीं है इसलिए आपको अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। सरकार को दृढ़ता के साथ उसके उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, तभी इन चीजों का हल निकल सकता है।

सभापति जी, इसी के साथ-साथ में एक सुझाव और मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि आप जगह-जगह विद्युत संयंत्र स्थापित करने, केन्द्र खोलने के शिलान्यास करने जाते हैं, तो में आपसे कहूंगा कि जो किसान की मूल्यवान और उपजाऊ भूमि है, यदि उसके मुकाबले पर अनउपजाऊ भूमि उपलब्ध हो, तो किसी भी कीमत पर उपजाऊ भूमि को अधिग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए। इन कार्यों को करने के लिए यदि वह जमीन न उपलब्ध हो तो आप उपजाऊ भूमि भी ले लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यदि ऐसी भूमि उपलब्ध हो जाए, जो किसी काम की न हो, तो फिर उपजाऊ और तीन फसला भूमि को लेने का कोई औचित्य नहीं है।

इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति जी, इस विधेयक पर बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक श्री कल्पनाथ राय जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ है तो मुझे लगा कि मैं इसके लिए उन्हें बधाई जरूर दूंगा। यह कहना ठीक है जैसा हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि घड़ी

की सुई पूरी घूम गई है। इसे आप काल चक्र कह सकते हैं। हम पहले यह तय करके चले थे कि बिजली का उत्पादन, वितरण सरकार के हाथों में होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए। क्योंकि यह बुनियादी उद्योग है। बिजली पर अन्य उद्योग निर्भर करते थे अभी भी हैं। लेकिन अब आप उसमें निजी क्षेत्र को प्रवेश दे रहे हैं। यह आज तक के अनुभवों के परिणामस्वरूप किया जा रहा है। अगर बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में ठीक तरह से उत्पादित होती और उसका सही वितरण होता तो आज देश बिजली के संकट से ग्रस्त न होता। बिजली के उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रवेश दिया जाए। यह मांग तो बहुत पहले से चली है। लेकिन इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया।अब स्थिति ऐसी आ गई है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रदेशों के बिजली उत्पादन बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। क्षमता से कम उत्पादन कर रहे है। वितरण में पड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। कई प्रदेश इस समय बिजली के संकट से ग्रस्त हैं।

मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं और विशेष रूप से मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के गांवों में आज कई-कई दिन तक बिजली नहीं आती है। प्रदेश के मंत्रियों का घेराव शुरू हो गया है। सरकार नई बनी है। उसे उत्तराधिकर में एक स्थिति मिली है। उसके उपर कर्जा है। बिजली बोर्ड पर कर्जा है। केन्द्र सरकार कहती है कि कोयला तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पुराना कर्जा नहीं चुकाओगे। हिसाब साफ नहीं करोगे। कहां से कर्जा चुकाएंगे? कोयला नहीं मिलेगा तो बिजली उत्पन्न नहीं होगी। संकट और बढ़ेगा। कल्पनाथ जी उस संकट से पूरी तरह से परिचित हैं।

अब केन्द्र सरकार भी कह रही है कि हमें ऊंचाहार का ताप केन्द्र दे दो। हम कर्जे के खिलाफ उसको हिसाब में जमा कर देंगे। कोई प्रदेश अपना ताप केन्द्र कैसे दे सकता है। प्रदेश की कठिनाई है मैं जानता हूं केन्द्र की भी कठिनाई है।

हिमाचल में नदियां हैं। नदियों से बिजली बन सकती है। हिमाचल की आवश्यकता पूरी कर सकती है। आस-पास के प्रदेशों की आवश्यकता को भी बहुत हद तक पूरा कर सकती है। लेकिन नए-नए बिजली घर लगाने के लिए पैसा नहीं है। कहां से आए पैसा? उद्योगपति पैसा लगाना चाहते हैं। उन्हें मौका देना चाहिए। हम किसी मतवाद से बंधे हुए नहीं रह सकते। अगर अनुभव के प्रकाश में ऐसा लगता है कि आर्थिक क्षेत्र में नए प्रयोग करने की आवश्यकता है तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए।

सोवियत संघ में, पूर्वी यूरोप के देशों में एक विचारधारा से प्रतिबद्धता के कारण आर्थिक क्षेत्र में जो संकट पैदा हुआ, वह हमारी आंखों के आगे है। हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। एक ओर तो बिजली बोर्ड कर्ज में डूबे हुए हैं और दूसरी ओर मैंने कई प्रदेशों में देखा, जो बिजली बोर्ड के रैस्ट हाउसेस हैं वे इस तरह से सजे हुए हैं कि उनमें प्रवेश करने के बाद कोई चीज़ हाथ लगाने से मैली न हो जाए, यह चिन्ता पैदा हो जाती है।

सभापति महोदय: क्या आपका सुझाव है कि नीलाम करें?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, उनका क्या करें, मैं नहीं जानता। लेकिन किस बेरहमी से पैसा खर्च किया गया है। क्या सार्वजनिक उद्योग का यह मतलब है? क्या सार्वजनिक धन के प्रति यह रवैया होना चाहिए? प्रश्न पूंजी के साथ-साथ मैनेजमैंट का भी है। श्री मोहन सिंह का कहना ठीक है कि निजी उद्योगपति भी सरकार की फाईनेंशल इंस्टीटयूशन के बल पर चले हैं। यह देश की एक विचित्र तस्वीर है। समय नहीं है कि मैं उसके विस्तार में जाऊं लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट अगर हो तो बिजली पैदा करने में घाटा हो, इसका कोई कारण नहीं है। अगर हम निजी उद्योग को मौका दे रहे हैं तो इस आधार पर दे रहे हैं कि वह पूंजी भी लायेगी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी लायेगी। मैं तो चाहूंगा कि एक कदम आगे बढ़कर अगर नये-नये उद्योग खोलना चाहते हैं और आप अपना कैप्टिव प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको छूट दें, वह अपनी बिजली पैदा करें और उद्योग चलायें।

बिजली के संकट की हल करना बहुत जरूरी है। अगर बिजली नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, उद्योग नहीं होगा, शहरों में अंधेरा होगा, अपराध बढ़ेंगे। मैं मनाली गया था। वहां रोज शाम को जब बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ होती है तो बिजली चली जाती है। दुकानदार रोते हैं। मैं सोमनाथ के मन्दिर गया था और सोमनाथ के मन्दिर में मुझे लोगों ने कहा कि जब आरती का समय होता है तब बिजली चली जाती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : इसमें कान्सिपरेसी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं इसमें जोड़ दूं कि श्री नगर में इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली गायब रहती है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मिली-जुली संस्कृति का यह बहुत अच्छा सम्बन्ध हो गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं श्री कल्पनाथ राय जी से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बिजली संकट को हल करने में उस सरकार को मदद करिये। यह धारणा पैदा नहीं होनी चाहिये कि केन्द्र में कांगेस की सरकार है और लखनऊ में भाजपा की सरकार बनी है तो वह थोड़ी मुसीबत में पड़ जाये। मुझे मालूम है कि कल्पनाथ राय जी उस संकट के बारे में चिंतित हैं, लेकिन अगर कोई ठोस सहायता नहीं होती तो बात नहीं बनेगी। हम आपके बिल का तो समर्थन कर रहे हैं, मगर आप हमारी सरकार की भी जरा मदद करिये।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। मैं गैर सरकारी संगठनों को बिजली उत्पादन का उत्तरदायित्व सौंपने का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं क्या ऐसी स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंपा जाना चाहिये?

यदि इसकी आपूर्ति करने वाली एजेंसियों की संख्या अधिक होगी, तो इससे और अधिक समस्याएं उत्पन्न होने की संभवनाऐं हैं और सम्भवत: इस पर आपको और अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं मुम्बई शहर का रहने वाला हूं जहां पर चार आपूर्ति एजेंसियां कार्यरत है। एक तो वहां पर बाम्बे इलक्ट्रिसिटी सप्लाई ट्रांसपोर्ट कम्पनी बिस्ट है, जिसका स्वामित्व मुम्बई महानगर पालिका के पास है जो बिजली की आपूर्ति करती है। दूसरी उपनगरों के लिए एक और गैर सरकारी संगठन है जिस का नाम बाम्बे सब अर्बन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी है। तीसरे टाटा है जो अधिकांश बड़े उद्योगों को बिजली की आपूर्ति करता है और अन्त में महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड है जो कुछेक उपनगरों को बिजली की आपूर्ति करता है। अत: एक ही शहर में बिजली की आपूर्ति करने वाली चार एजेंसियां है। मुम्बई में बेस्ट बहुत ही कार्यकुशल है किन्तु चार कम्पनियों द्वारा चार अलग-अलग दरों पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। घरेलू विद्युत उपयोग के लिए समान दरें नहीं है। अत: यदि वे कुशलतापूर्वक तथा ठीक ढंग से अपने कार्य का निष्पादन कर रहें हैं तो उन्हें आपूर्ति का काम सौंपने में कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। मैं आपूर्ति के कार्य में एक रूपता लाने का सुझाव भी देता हूं ।

बिजली के उत्पादन में किफायत की जा सकती है किन्तु आपूर्ति में किफायत करने की सम्भावना कम है। मेरी बात का आशय यही है।

आप यथोचित लाभ पाना चाहते हैं और पहले यह बैंक की ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक था। अब आप इसे पांच प्रतिशत अधिक करना चाहते है। इस अधिनियम के एक खण्ड के अनुसार उपभोक्ता और विशेषकर घरेलू उपभोक्ता कम्पनियों में जो धन जमा करेंगे, उन्हें उस पर ब्याज मिलेगा। दिल्ली अथवा कलकत्ता में ब्याज की दरें कितनी है मैं नही जानता किन्तु मेरे शहर में यह छ: प्रतिशत है।

यह छ: प्रतिशत की ब्याज दर जिसका जमाराशि पर भुगतान किया जा रहा है और जिसका भुगतान प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा कम्पनी को किया जाना वांछित है, पिछले 20 वर्ष से चली आ रही है। उस समय रिजर्व बैंक की ब्याज दर छ: प्रतिशत थी अब इसमें बहुत वृद्धि हो गई है। किन्तु मंत्री महोदय ने भी उपभोक्ताओं को अपेक्षाओं के बारे में विचार नहीं किया है। अत: मैं उनसे इस खण्ड में संशोधन करने का आग्रह करता हूं ताकि ग्राहक को अपनी जमा राशि पर अधिक ब्याज मिले, वर्ना यह बड़ी कम्पनियों में मुफ्त धनराशि जमा करने की तरह होगा। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिये। आपको इस विधेयक में उपभोक्ताओं को दय ब्याज दर में वृद्धि करने वाला एक नया संशोधन पेश करना चाहिये।

दूसरा मुद्दा यह है कि जहां तक सम्भव हो देश भर में घरेलू बिजली के लिए प्रभार दर समान होनी चाहिए। मेरे शहर में घरेलू बिजली दर दिल्ली में विद्यमान घरेलू बिजली दर से दुगुनी है। कुछ जगहों पर तो उससे भी अधिक है। मिटटी के तेल व रसोई गैस के लिए

हम समान दर बनाये रखने का प्रयास करते है। अत: जहां तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का प्रश्न है, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें बिजली एक ऐसी समान दर पर उपलब्ध कराई जा सकती है जिसको ये लोग वहन कर सकें, चाहे इसके औद्योगिक व अन्य लाभ कितने भी हों। .....(व्यवधान)

(हिन्दी)

नहीं, ऊपर कैसे ले जाएंगे, नीचे लाने के लिए ही यह सुझाव है,

(अनुवाद)

इसलिये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए समान दर लागू की जानी चाहिए।

अब मैं उस अन्तिम बिन्दु पर आता हूं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिजली अधिनियम के अनुसार लाभ यथोचित है। यदि कोई कम्पनी यथोचित लाभ से अधिक लाभ अर्जित करती है तो उसका 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं को वापस किया जाना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है इस दृष्टिकोण से लेखा पत्रों का परीक्षण नहीं किया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुम्बई में मुझे गत वर्ष एक मुद्दमा करना था और मुम्बई सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी ने अपने उपभोक्ताओं को देय 1 करोड़ 30 लाख रुपये वापस कर दिये क्योंकि उन्होंने यथोचित लाभ से अधिक लाभ अर्जित किया था, इसलिये मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कौन-कौन सी कम्पनियां ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं तथा इस दृष्टिकोण से भी इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि उपभोक्ताओं को जो भी देय हो तो उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको बोलनने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं ।

(हिन्दी)

राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़): सभापति जी, मैं कल्पनाथ राय जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये इतना शानदार विधेयक इस हाउस में लाये हैं। जैसा कि अटल जी ने भी कहा कि जो स्टेट आण्डरटेकिंग्स है, मेरे ख्याल से बिजली प्रोडक्शन इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का 60 परसेंट से ज्यादा पावर हाउसेज प्रोडयूस नहीं कर रहें है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसमीशन लासेज हमारे यहां है, हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस में है। इसके अलावा बिजली की चोरी होती है। मेरे हलके में दो तीन उद्योग बिहार हैं इण्डस्ट्रियल टाउनशिप हैं और वह तकरीबन तकरीबन पावर की कमी की वजह से ठप्प हो गये हैं।

इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। सभापति जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक और चीज के लिए मैं कल्पनाथ राय जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बिजली के मामले में कल्पनाथ राय जी ने हमारे दोस्त शाहबुद्दीन साहब को और हमारे बी० जे० पी० के दोस्तों को एक साथ कर दिया, एक साथ मिला दिया और दोनों को एकता की एक लड़ी में पिरो दिया ..

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर): बिजली बन्द करके।

राव राम सिंह : वह हम ख्याल तो बोले, एक सुर में तो बोले। सभापति जी, अगर कल्पनाथ राय जी की मंदिर मस्जिद का चार्ज दे दे तो वह दोनों का हल कर देंगे।

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

सभापति महोदय, सर्व प्रथम मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन करके देश में आर्थिक विकास औरऔद्योगिक विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और हमको प्रोत्साहित किया है।

15.31 बजे (राव राम सिंह पीठासीन हुए)

हमारे मित्र मोहन सिंह जी ने कहा कि इन्डस्ट्रीयन पॉलिसी रिजोलयूशन में प्राइवेट सैक्टर नहीं था अटल जी यहां मौजूद हैं। न कोई पब्लिक सैक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बनाने के लिए यह संशोधन लाया गया है। आप तो पढ़े लिखे आदमी है। अगर आप ऐसे ही बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा। हां, अगर रामाश्रय जी बोले होते, वे बोले होते, तो बात समझ में आ सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यों वे पढ़े-लिखे नहीं है।? .....(व्यवधान) ....

श्री कल्पनाथ राय : हमारे पास साधन की कमी है। इसलिए एडिशनल रिसोर्सेज के लिए प्राईवेट सैक्टर को बुलाया जाए, उनको निमंत्रित किया जाए, ताकि हमारी पावर की समस्या को हल करने में हमारी मदद् करें। आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो देश में 1300 मेगावाट बिजली थी और आज 66 हजार मेगावाट इन्स्टाल्ड केपेसिटी है। मोहन सिंह जी 79 में एक सरकार आई थी और 1985 में जब राजीव गांधी जी की सरकार बनी तो 22,245 मेगावाट बिजली का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को 1989 में पूरा किया गया। उसके बाद 1989 में एक सरकार आई और दो बरस तक न तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार कर पाई न वह सरकार आठवीं पांचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार कर पाई न एक पावर सैक्टर की योजना को मंजूर किया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, संकट क्यों है? इस संकट से निपटने के लिए पूरी दुनिया में आज परिवर्तन का तूफान चल रहा है तो उस परिवर्तन से हिन्दुस्तान अपने को अलग नहीं रख सकता है। हमने जो इन्डस्ट्रीय पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को इम्पलीमेंट करने के लिए पावर चाहिए। हमें खेती सुधारनी है, तो बिजली चाहिए। उद्योग धन्धे कारखाने लगाने हैं तो बिजली चाहिए। एम्प्लायमेंट के अवसर देनें हैं तो बिजली चाहिए। बिना बिजली के कुछ भी नहीं हो सकता है। श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने जो कहा है झालावाड़ के संबंध में हम वचन दिलाते हैं कि उस योजना को हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री कल्पनाथ राय : हमारे माननीय सदस्य, श्री पाणिग्रही जी ने तालचर की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है खुराना जी दिल्ली के नेता हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1985 में दिल्ली की मांग 700 मेगावाट थी। आज 18 प्रतिशत सालाना उसकी मांग बढ़ रही है और आज 1500 मेगावाट बिजली दिल्ली में है। इस प्रकार पांच वर्ष में दुगुनी मांग बढ़ गई है। आप चाहे किसी भी गांव में जायें, किसी मोहल्ले में जायें, किसी भी शहर में जायें, कहीं जायें, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। सारे मैम्बर पार्लियामेंट चुनाव जीत कर आए है। वे जानते हैं कि आज सबसे बड़ी मांग बिजली की है। मोहन जी मैं आपको बताऊं, आज हिन्दुस्तान में सबसे खराब हालत कहां है? सबसे ज्यादा 1300 मेगावाट इन्स्टाल्ड केपेसिटी बिहार में है और वहां सिर्फ 200 मेगावाट यूटिलाइज हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। मैं या बिहार सरकार आप इसका उत्तर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइसेंस बिहार में है। इस लिए आज...(व्यवधान)..... में बिहार राज्य के लिए चिन्तित हूं। मैं ने बिहार राज्य की सबसे बड़ी कोइलकारो योजना मंजूर की है। जिसमें 1338 करोड़ रुपया खर्च होगा और उसकी 710 मेगावाट कैपेसिटी होगी। बिहार की जनता से मेरा कोई विरोध नहीं है।

एक बात अटल जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री उत्तरप्रदेश के विकास के लिए अत्यन्त प्रयत्नशील हैं कोई दिन नहीं होगा, जब उन्होंने मुझसे टैलीफोन न किया हो, अपने प्रदेश के विषय में, मैं आपको वचन देता हूं मैंने कल ही उत्तर प्रदेश के बिजलीकरण के लिए 25 करोड़ रुपया दिया है और यह कहा है कि जब यह रुपया खर्च हो जाय तो फिर दूसरी किस्त 25 करोड़ रुपये लीजिए। फिर खर्च जो जाए तो फिर 25 करोड़ लीजिए। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि वह रुपया खर्च किया जाए। (व्यवधान) आप सुनिए जो पिछली सरकार थी उत्तर प्रदेश में जापान सरकार ने हमको इसके निर्माण के लिए सौ करोड रुपया दिया। केन्द्र की सरकार ने हमको रुपया भेजा, वह सौ करोड़ रुपया अनपारा के अन्दर खर्च करके मनी को डायवर्ट कर दिया, तो हम इसके लिए क्या करें, केन्द्र सरकार इसके लिए क्या करे, यह काम कल्याण सिंह जी की पहले की सरकार के हैं। तो जो वर्तमान सरकार है। अटल जी तो हम सबके गुरू है। अगर कोई बात कहें और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम न करें, तो वह मेरा कान पकड़ सकते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि बिहार या उत्तर प्रदेश से क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार नहीं है तो मैं उसका विरोध करूं। सबसे बड़ी बिहार के लिए हैड्रोइलैक्ट्रीकल योजना, जो मंजूर हुई है पूरे हिन्दुस्तान के 44 वर्ष के इतिहास में और कितनी मेहनत से हुई है, वह 710 मेगावाट कोयले पर आधारित 1338 करोड़ रुपये की, आप क्यों मेरी नीयत पर शंका करते हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए और यह बिल्कुल कोई पब्लिक सैक्टर को प्राइवेट सैक्टर में बदलने के लिए नहीं आया है।

(अनुवाद)

सरकारी क्षेत्र प्रधान व प्रभावशाली बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र एक दूसरी के सहायक व पूरक बन कर काम करेंगे।

(हिन्दी)

यह उसका होगा। हम उसके एडिशनेलिटी ऑफ रिसींसिज़ को बढ़ाने के लिए इस बिल को लाए है।

आदरणीय सभापति जी, हमारे मार्कसवादी, समाजवादी, देश के योग्य नेता, हमारे ज्योतिवसु, उनकी भी सरकार ने हमारे पावर मिनिस्टरी कांफ्रेंस में इसका समर्थन किया। 1990 में हमारी सरकार ने जो पालिसी बनाई, उस सरकार को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने भी विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में उसको स्वीकार किया। फरवरी, 1991 में मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में, इस नीति को स्वीकार किया। अभी 6 सितम्बर को पावर मिनिस्टर की कांफ्रेंस हुई सब ने उसको स्वीकार किया और 10 हजार मेगावाट बिजली बनाने के लिए एप्लीकेशंस सभी प्रदेशों के पावर बोर्ड के पास आ चुकी है।। हमारे पास पांच हजार पांच सौ मेगावाट बिजली बनाने के लिए पत्र आ चुके हैं जब तक एक दफा आप इस कानून को नहीं बनाएंगे तब तक हम एलाउ नहीं कर सकते, पावर जेनरेट करने के लिए, तो पावर जेनरेट तो करेंगे जब हमारी स्टैट का कंट्रोल होगा, स्टेट का कंट्रोल होगा तो स्टेट सैक्टर में बनेंगे, केन्द्र सरकार का कंट्रोल होगा तो केन्द्र सरकार में बनेंगे, उन जेनेरेटिंग कम्पनी का पावर भी हम खरीदेंगे, वह किसी को देंगे भी (व्यवधान) यदि टाटा बिड़ला लोहा पैदा करते हैं तो लोहा खुद ही थोड़ा खा जाते हैं, या वे खुद अपना निजी मकान थोड़ा बनाते में वह लोहा पब्लिक कंजम्पशन में जाता है।

इसी तरह से जो पावर पब्लिक सैक्टर में जेनरेट होगा और जो प्राइवेट सैक्टर में जेनरेट होगा (व्यवधान) वह मास कंजम्पशन के लिए देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र, साथी, जो समाजवादी साथी है।, जो अर्धसमाजवादी साथी हैं और जो नयी दुनिया को समझने वाले साथी हैं वे सभी लोग इस बिल का समर्थन करें और आर्शीवाद दें ताकि हम अपनी आजादी की लड़ाई के इतिहास को उसके मूल्यों को सामने रख कर भविष्य के सामने इस बिल का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुझे इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए कि गैर सरकारी क्षेत्र से आप कितने पूंजीनिवेश की आशा करते हैं? आप आगामी दो वर्षों में सरकार क्षेत्र में किस प्रकार की गैर सरकारी पूंजी के निवेश की आशा करते हैं? इस बारे में आपको कितनी जानकारी है?

श्री कल्पनाथ राय: 19,000 मेगावाट यूनिटों के लिये आवेदन पत्र, लम्बित पड़े हैं। और 5500 मेगावाट सम्बन्धी आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि बंगाल में बजबज परियोजना आ रही है और आपके मुख्यमंत्री ने इसकी सिफारिश की है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केवल तत्सम्बंधी जानकारी चाहता था। मैं इसका

विरोध नहीं कर रहा हूं

(व्यवधान)

श्री कल्नाथ राय : मैंने जब भी श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को सुना उन्हें हमेशा सफेद धन और कालेधन की बात करते हुए पाया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं संसद में चुन कर आने वाले सभी संसद सदस्य क्या 1 लाख रुपये की खर्च सीमा के अंदर चुनाव जीत कर आए हैं।

(हिन्दी)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसा मुसीबत में डालने वाला सवाल मत पूछिए

(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री कल्पनाथ राय : एक दिन सदन में बोलते हुए श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था "यह विधेयक क्यों लाया गया है? इस बारे में एक प्रावधान है कि एक व्यक्ति को चुनाव पर एक लाख रुपये व्यय करने चाहिए ''

श्री सोमनाथ चटर्जी :उसे अपने व्यक्तिगत संसाधनों से एक लाख रुपये व्यय करने चाहिए उसकी पार्टी के अंशदान का क्या होगा? आप क्या कह रहे हैं?

श्री कल्पनाथ राय : सभी राजनीतिक दलों द्वारा दो नम्बर का धन प्रयोग किया जाता है। इसे मत भूलिये। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपनी बात करिये। मैं ने आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ था।

श्री कल्पनाथ राय : तब मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो एक लाख रुपये में ही चुनाव जीत कर आये हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपका प्रणाम स्वीकार करता हूं (व्यवधान) हम बिजली की कमी के बारे में जानते हैं। सभी जानते हैं। मैं वास्तव में यह जानना चाहता था कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किए जाने के सम्बंध में सरकार की क्या अपेक्षा हैं ताकि हम यह जान सकें कि हम इस देश के लिए और कितनी बिजली जुटा सकते है? मैं यही जानता चाहता था कृपया इसका उत्तर दें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : सभापति जी की अनुमति से मैं कहना चाहूंगा कि श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री कल्पनाथ राय द्वारा दिए गए उत्तर को नोट करें जिसमें उन्होंने बताया था कि 19000 मेगावाट से, अधिक के आवेदन पत्र राज्यसरकार के पास लंबित पड़े हैं जबकि 5500 मेगावाट के आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार

के पास लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आप इसके मूल्यांकन के रूप में एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट रख सकते हैं। अगर वास्तव में इन लोगों ने इतने सारे आवेदन दिए हैं तो इसका अर्थ है ,कि उन्हें आशा है कि वे इतने संसाधन नहीं जुटा पायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अपना धन जुटाएंगे या सरकारी वित्तीय संसाधनों से लेंगे? सरकारी वित्तीय संसाधन उन्हें कितनी धनराशि उपलब्ध कराऐंगे?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : इसमें ईक्विटी अनुपात को बनाए रखा जाएगा।

सभापति महोदय : अब सभा प्रस्तावों पर संशोधनों पर विचार करेगी।

श्री भगवान शंकर रावत क्या आप अपना संशोधन रखना चाहते हैं या इसे वापस ले रहे हैं

(हिन्दी)

श्री भगवान शंकर रावत : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं .....

(अनुवाद)

सभापति महोदय : आप अपना संशोधन रखना चाहते हैं या उसे वापस ले रहे हैं?

(हिन्दी)

श्री भगवान शंकर रावत : पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। मैं ,सबसे पहले ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस क्षेत्र में सही कदम उठाया है। आज सारा देश बिजली की कमी से पीड़ित है, लेकिन कुछ बातों में जो उनसे उम्मीद कर रहा था, उनके बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। सारी अच्छी बातें मंत्री महोदय नहीं कह सके, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समूची प्रणाली के अंदर मूलभूत संशोधन करने होंगे। एक तो ट्रांसमिशन लासेस जो होते हैं, वे क्यों होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मात्र 20 प्रतिशत बिजली पैदा होती है और 80 प्रतिशत बिजली एनटीपीसी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आजादी के बाद जितने बिजली घर कायम किए जाने चाहिए थे उतने नहीं किए गए। उसका दुष्परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश को बाहर से बिजली मंगवानी पड़ती है।

सभापति महोदय : आप अपने अमेंडमेंट तक सीमित रहिए।

श्री भगवान शंकर रावत: मैं अमेंडमेंट के बारे में ही कह रहा हूं। सभापति महोदय, ट्रांसमिशन लास बड़ा जबरदस्त होता है, जो 30 परसेंट ट्रांसमिशन लासेस होते हैं, उससे बहुत नुकसान होता। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन लास जो होता है, इससे बोल्टेज फलक्चुएशन होता है, नुकसान होता है, बिजली आपूर्ति फेल्योर होती है। मैं इसलिए सुझाव देना चाहता हूं कि गैस पर आधारित परियोजनाएं चालू की जाएं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप अमैण्डमेंट पर बोलिए।

श्री भगवान शंकर रावत: सभापति जी, मैंने जो पहले अमेण्डमेंट रखा था वह इसलिए रखा था कि जो परिवर्तित पोजीशन आयी है एक्ट की वह सफीशिएंट नहीं थी पब्लिक नीड के हिसाब से। इसलिए मैं चाहता था कि जनता की राय ली जाए। क्योंकि इन्होंने अच्छी घोषणा की है, इसलिए इसमें दो बातें और जोड़ कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गैस पर आधारित बिजली गृह हर मण्डलीय केन्द्र पर स्थापित किए जाएं। जितने छोटे-छोटे बिजली गृह उत्तर प्रदेश में बना दिए जायेंगे ट्रांसमिशन लॉस कम हो जायेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण की उपेक्षा की जा रही है, माननीय मंत्री जी इसका भी ध्यान कीजिए और इसके लिए धनराशि दीजिए।

कोयला आप देते हैं उत्तर प्रदेश के विद्युत गृहों के लिए। उस कोयले की गुणवत्ता की ठीक नहीं है। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् को जो धन नहीं दिया जा रहा है वह धन दीजिए। आनपारा योजना के अन्तर्गत पहले किसी मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ की गलती की, उसके लिए आज आप उत्तर प्रदेश की सरकार को दण्डित कर रहे हो। योजना आयोग ने 700 करोड़ रुपया क्लीयर कर दिया है। क्या आप 700 करोड़ रुपया रिलीज कर रहे हैं?

श्री कल्पनाथ राय : सब पैसा केन्द्र सरकार दे रही है।

श्री भगवान शंकर रावत: आप स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं आपको पुन: बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से। इसके साथ ही आपसे यह अपेक्षा करना चाहूंगा कि गैस पर आधारित बिजलीघरों की घोषणा भी आप अपने मुख से करें तो मैं थी चीयर्स इसके लिए और दे दूंगा। मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

(अनुवाद)

सभापति महोदय: इन सब बातों के उल्लेख के लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। आप लेन-देन कर रहे हैं

(हिन्दी)

श्री कल्पनाथ राय : सभापति जी, ये पेट्रोलियम मिनिस्टरी से गैस दिलवा दें तो हम गैस पर आधारित योजना दे देंगे।

(अनुवाद)

सभापति महोदय: क्या सभा श्री भगवान शंकर रावत द्वारा लाए गए संशोधन को वापस लेने की सहर्ष अनुमति देती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

(हिन्दी)

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, विद्युत मंत्री के भाषण से मैं उत्साहित हो गया हूं कि इन्होंने कुछ प्राइवेट सैक्टर के लिए छोड़ा ही नहीं। पब्लिक सैक्टर इतना मजबूत है और उदारतापूर्वक ये धन भी दे रहे हैं तो प्राईवेट सेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी अमेंडमेंट विदड्रा नहीं कर रहा हूं।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : मैं श्री मोहन सिंह द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 4 पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या - 4 सभा में मतदान के लिये रखा गया गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे, श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा खंड 2 के लिए संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत किया गया है। श्री गिरधारी लाल भार्गव क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

(हिन्दी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने खंड 3 के लिए संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत किये हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव क्या आप उन्हें रख रहें है।

(हिन्दी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : खंड संख्या 4 और 5 के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है : "कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने खंड 6 के लिये संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत किया है । श्री गिरधारी लाल भार्गव क्या आप यहां रख रहे हैं ?

(हिन्दी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं, मूव नहीं कर रहा हूँ ।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 7 से 10 के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है : "कि खंड 7 से 10 तक विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7 से 10 तक विधेयक में जोड़ दिये गए ।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने खंड 11 के लिऐ संशोधन संख्या 9 पेश किया है। श्री भार्गव क्या आप इसे यहाँ पेश कर रहे हैं ?

(हिन्दी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं मूव नहीं कर रहा हूँ।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 11 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 12 से 14 के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है : "कि खंड 12 से 14 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 12 से 14 तक विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभपति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री कल्पनाथ राय: मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"कि विधेयक पारित किया जाऐ"

सभापति महोदय : डा० असीम बाला

डा० असीम बाल (नवद्वीप) : महोदय मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूँ क्यों कि गैर सरकारी करण आम उपभोक्ता के लिए बहुत हानिकारक है। जैसा कि आप जानते है, इस समय बिजली कि मांग बहुत अधिक है और भारत सरकार अर्थात एन० टी० पी० सी० तथा अन्य इकाइयों का उत्पादन मांग पूरी करने में असमर्थ है।

महोदय, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि हम बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्राइवेट क्षेत्र को क्यों सौंप रहे है, यह मंत्री जी की पंसद है लेकिन लोग इसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र हमेशा लाभ अर्जित करने के फेर में रहता है और हर बार कोई न कोई कर लगा देता है इससे आम आदमी, विशेषकर कम आय वाले समूह को नुकसान होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र सरकार को पहले ही कुछ परियोजनाओ विशेषतौर पर जल विद्युत परियोजनाओं, हेतु प्रस्ताव दे चुकी है। कुछ जापानी प्रोद्योगिकीविद भारत आए थे और उन्होंने कुछ परियोजनाओं का अध्ययन किया था। मैं मंत्री महोदय ये यह जानना चाहता हूं कि सागर दिघे परियोजना, बजबज तथा

बालागर परियोजनाओं के संदर्भ में प्रस्तावों का क्या रहा ।

सभापति महोदय : इस विधेयक से इनका क्या सम्बन्ध है ?

डा० असीम बाला : मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करता हूँ कि डी० वी० सी० की आपूर्ति बहुत कम है और उन्हें बिजली की आपूर्ति में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से इन प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : तृतीय पाठ में माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने भाषणों को विधेयक के गुणों-दोषों तक ही सीमित रखें अर्थात इसे पारित क्यों नहीं किया जाए तथा इसे क्यों पारित किया जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उन बातों पर चर्चा न करें जिन पर प्रथम पाठ के समय चर्चा हो चुकी है।

(हिन्दी)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, हमारे नेता वाजपेयी जी ने सिद्धांत के आधार पर इसका समर्थन किया है,हमारा प्रारम्भ से ही कहना है कि हम किसी वाद के चक्कर में नहीं पड़े। वास्तविक स्थिति को देखकर यह समझ आता है कि उपभेक्ता को जो फायदा होता है वह कम्पीटीशन से होता है। मेरा यह कहना है कि जहां हम सरकारी हाथ में बिजली का उत्पादन करें वहां दूसरी ओर हमें प्राइवेट सेक्टर में इसको देने का काम करना चाहिए। सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं इसी सिद्धांत पर दिल्ली में जनसंघ की सरकार ने डी० टी० यू० में प्राइवेट बस सेवा शुरू की थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिसका आपने भी जिक्र किया है, दिल्ली के बारे में मेरा यह निवेदन करना है कि दिल्ली में विशेष परिस्थितियां हैं। यहां पर नेचुरल आबादी बढ़ रही है और अन्य प्रदेशों से लोग भी आकर बस रहे हैं। इसकी नेचुरल आबादी दो लाख बढ़नी चाहिए, लेकिन वह चार लाख बढ रही है इससे बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा बढ गई है। अभी तो हालत यह है कि आप दिल्ली की झुग्गी-झोंपडी में बिजली नहीं दे रहे। मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली के लिए अपना जनरेशन यूनिट हो चाहिए ताकि दिल्ली आत्मनिर्भर हो सके।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : आप चर्चा के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। आपको यह बात प्रथम पाठ के समय कहनी चाहिए थी।

(हिन्दी)

श्री मदन लाल खुराना: मैं दिल्ली के बारे में नहीं बोला इसलिऐ मुझे थोड़ा समय दें। यहां पर महानगर परिषद भी नहीं है। दिल्ली को आत्म निर्भर बनाने के लिऐ जनरेशन का कोई यूनिट नहीं लिया गया उसको पास करें।

4.00 म० प०

दूसरे, जब आप प्राईवेटाइजेशन कर रहे है, इस क्षेत्र के अन्दर तो जो इंडस्ट्रीज़ के लोग अपना जैनरेटर लगाना चाहते हैं, डेसू के लोग लगाने देंगे? वे तो आपकी सहायता करना चाह रहे हैं लेकिन आप उनके ऊपर इतने नियम लादते हैं, इतनी मुश्किल उनके लिए कर देते हैं कि उनसे उलटा पैसा लेते हैं, उसे तो आपका सपोर्ट करना चाहिये, मेरा इतना ही निवेदन है कि इंडस्ट्रीज़ वाले यदि अपना जैनरेटर लगाना चाहते हैं तो उनको अनुमति दी जाये। मैं तो यह कहूंगा कि थोड़ी बहुत सहायता भी करनी चाहिये।

तीसरे, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ियों के लिए बिजली की चिन्ता करते हैं, तो उनके एरिया में भी बिजली चाहिये। मेरी यही निवेदन है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम उनको एक लट्टू तो दे दीजिये।

(अनुवाद)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मंत्री महोदय मैं केवल यह सोच रहा था कि जब कोयला क्षेत्र में निजीकरण आएगा, क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए कोयला ही मुख्य कच्चा माल है, तो क्या अगला प्रयास कोयले का अराष्ट्रीयकरण होगा और अराष्ट्रीयकरण की इस प्रक्रिया में सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में अराष्ट्रीयकरण होगा। हम सभी कुछ उलट पलट कर रहे है। विद्युत उत्पादन तथा विद्युत वितरण राज्य के लिए मुख्य क्षेत्र हैं और इन्हें.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं तृतीय पाठ के समय अनुसरण किए जाने वाले नियमों को पढ़ता हूँ। "इस प्रस्ताव पर कि विधेयक या विधेयक संशोधित रूप में यथस्थिति प्राप्ति किये जाए, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिए दिए गए, प्रतकों तक सीमित होगी। भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक उल्लेख नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतकों के प्रयोजन के लिए, जो कि सामान्य रूप के होंगे आवश्यक हों।" अन्यथा चर्चा का कोई अन्त नहीं होगा। मंत्री पहले ही अपना उत्तर दे चुके हैं। फिर मंत्री दूसरा उत्तर देगे और फिर दूसरी बात होगी इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप तृतीय पाठ के समय विस्तार में न जांए, बाहरी मामले बीच में न लाएं और अपने आपको इस बात तक सीमित रखें कि आपके विचार में विधेयक को क्यों पारित किया जाना चाहिए तथा आपके विचार में विधेयक पारित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं आपकी टिप्पणियों से पूर्णतया सहमत हूँ। मैं ठीक यही बात कह रहा हूँ कि मैं इस विधेयक का क्यों विरोध करता हूँ। (व्यवधान) यह स्वाभाविक है क्योंकि इस दसवीं लोक सभा में कांग्रेस पार्टी पहली बार एक विशेष रुख अपना रही है और यह विशेष रूख लगभग वही है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, (व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ क्योंकि राजनैतिक योजना के कारण..... ..(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री शाहबुद्दीन ने भी इसका समर्थन किया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : वह समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इसका समर्थन किया है। मैं समझ सकता हूँ कि..... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूँ कि विद्युत उत्पादन की विशेषता ताप बिद्युत उत्पादन है। उड़ीसा तथा बिहार में देश के सर्वाधिक कोयला भंडार है। उड़ीसा में गोडवाणा कोयले का 20 प्रतिशत है। उड़ीसा और बिहार विद्युत उत्पादन क्षेत्र को सबसे अधिक कोयला सप्लाई कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश बिहार तथा उड़ीसा में कोई सुपर ताप विद्युत स्टेशन नहीं है और इस दोषपूर्ण नियोजन के कारण विद्युत उत्पादन तथा ताप विद्युत निगम को भारी घाटा हो रहा है।

सभापति महोदय : मेरे विषय में क्योंकि यह अन्तिम दिन है इसलिए जेना जी आप शायद छुट्टी के मूड में हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आप निजी क्षेत्र को अनुमति दे रहे हैं और आपको बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि आप वर्तमान अवस्था में यह दिशा निर्देश देने जा रहे हैं कि जहाँ कहीं कोयला उपलब्ध हैं वे उस क्षेत्र में जायें... व्यवधान)

सभी कोयला खदानों के मुहानों पर जायें। यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है? अथवा उड़ीसा से कोयला मद्रास भेजा जाएगा? इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। और दोषपूर्ण नियोजन के कारण आज हमारी स्थिति अस्तव्यस्त हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि जहां कहीं भी कोयला उपलब्ध है, वहाँ सुपर ताप विद्युत संयन्त्र भी होना चाहिए, केवल तभी तक सम्पूर्ण विद्युत स्थिति को व्यवस्थित कर सकते हैं। अन्यथा, हम अपने आपको भारी संकट में डालने जा रहे हैं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी): महोदय, यह सही दिशा में एक कदम है और मैं यह भी कहता हूँ कि यह इस देश में बिजली की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में एक महान कदम हैं। बहुत से लोगों के बहुत से विचार हो सकते हैं परन्तु मैं यह निवेदन करता हूँ कि वे सभी विचार बिल्कुल अव्यवहारिक हैं।

केरल उन राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जो सबसे सस्ती दर पर विद्युत का उत्पादन कर रहा है और तुलनात्मक रूप से उपभोक्ताओं तथा उद्योगपतियों को सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है। परन्तु हमारी स्थिति यह है कि हमारे बहुत से औद्योगिक उधमों को विद्युत की कमी के कारण स्थगित रखा जा रहा है। यहाँ तक कि समस्त कालाबार तट पर विद्युत की कमी के कारण हम एक भी उद्योग नहीं लगा सके। सरकार के पास बहुत सारे सिद्धांत है परन्तु उसके पास धनराशि नहीं है। धनराशि को कमी विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने में बाधक है। इसलिए हमारे अनिवासी भारतीयों के लिए भी यहाँ आकर निजी क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू करने के लिए उचित संकेत है। में यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को यह देखने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि राज्य बिजली बोर्ड निजी क्षेत्र में ऐसी परियोजना शुरू करने में बाधक न बने।

मुझे यह बताया गया है कि कुछ बिजली बोर्डों-निश्चय ही मेरे राज्य में भी-कुछ अफसरशाहों के पास बहुत बढ़िया विचार हैं कि उन अनिवासी भारतीयों अथवा निजी पार्टियों जो ऐसी विद्युत परियोजनाएं शुरू करती हैं पर ऐसी शर्त लगानी चाहिए कि उन्हें विद्युत सप्लाई की अनुमति नहीं होगी।

एक विचार यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगपति विद्युत उत्पादन करें और बिजली बोर्डों के माध्यम से सप्लाई की जाए। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि हमारे बहुत से बिजली बोर्ड अब सफेद हाथी बन गए हैं। वे अपनी स्वयं की आवश्यकताएं भी पूरी करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, विद्युत उत्पादन तथा अपनी आपूर्ति निश्चित रूप से निजी क्षेत्र के हाथों में दी जानी चाहिए.... **(व्यवधान)**

अत: मुझे आशा है कि सरकार यह देखने के सभी प्रयास करेगी कि निजी क्षेत्र को पूर्ण रूप से प्रोत्साहन दिया जाए ताकि देश में बिजली की समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, बहुत गंभीर फैसला लेने की ओर हम जा रहे हैं और तरीका भी हमारा खतरनाक नहीं है। घाटे में चलता है, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं होता है इसलिए समाज की संपत्ति को व्यक्ति के हवाले जाने दें। समाज के ऊपर ऐसे व्यक्ति को जो समाज का शोषण करे, उसको सवार होने दें।

सभापति जी, मुझे खतरा है हर साल घाटे का बजट आता है। कहीं यह सुझाव भी इधर का उधर से न आ जाए कि भारत सरकार को ठिकाने पर लगा दो और किसी पूंजीपति के हवाले देश को कर दो, तब घाटे का बजट नहीं रहेगा। आप न लाएं मगर मैं कह रहा हूं कि इस खतरे की ओर हम जा रहे हैं। हर साल यहां घाटे का बजट आता है। आप देश को इजारेदारों से चलवाएं मगर जब आप कहते हैं कि घाटे में चल रहा है तो कहेंगे इसको ठिकाने लगा दो, ये ठीक करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, विद्युत स्वयं अपने में एक उद्योग है और उद्योगों की माता भी है और पिता भी और यही कारण है कि निजी क्षेत्र के लोगों की विफलता के बाद विद्युत में समाज को सरकार के जरिए से दखल देना पड़ा।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे अध्यक्ष पीठ की ओर पीठ करके खड़े न हों ।

विद्युत के क्षेत्र में समाज को सरकार के जरिये से दखल देना पड़ा। अगर हमने भोपाल नहीं किया होता, अगर हमने हरिद्वार नहीं किया होता, अगर हम विद्युत पैदा न करते तो आज हम कहां रहते, इसलिये विद्युत के क्षेत्र में हमारी जो विफलताएं हैं उन विफलताओं के लिये, संसद को देश के खासकर विद्युत उद्योग के श्रमिकों, यूनियन श्रमिक संगठनों को और प्रबंधकों को मिलकर यह देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध क्षमता के लगभग हम अपने उत्पादन को कैसे ले जायें, चाहे वह कोयले पर आधारित विद्युत पैदा करने वाला क्षेत्र हो पानी से पनबिजली बनाने वाला क्षेत्र हो या सोर ऊर्जा का सवाल हो। अब तो

हम आणविक बिजली बनाने की ओर भी जा रहे हैं परन्तु इसके बारे में, मैं बाद में विस्तार से कहूँगा।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिये। थर्ड रीडिंग पर बोलने के लिये इतना समय नहीं दिया जाता है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अभी खत्म ही कर रहा हूं। अगर प्राईवेट लोगों को देना ही है, इनको बड़ी मुहब्बत है, कोई वायदा करके आये हों चुनाव में कि हम पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे, तो उस वायदे को निभाने के लिये सौर ऊर्जा का विशाल क्षेत्र पड़ा हुआ है। सौर ऊर्जा के विशाल भण्डार हैं और उसकी संभावनाएं अनन्त हैं, उसे दे दो। लेकिन पुराने प्रोजैक्टस में ऐसा न हो। कहीं ऐसा न हो कि वैष्णव के घर में किसी खस्सी को बंद करने के लिये भेज दो। ऐसा काम आप न करें। निजी क्षेत्र का मुकाबला राजकीय क्षेत्र उसी उद्योग में नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : मिस्टर झा, आप बड़े सीनियर सांसद हैं और सदन में जो विधेयक लाया गया है, उसके सम्बन्ध में आप मंत्री जी के खिलाफ परसनल ऐलिगेशन ऐसे लगाते हैं कि वे अपने हल्के में कोई वायदा करके आये हैं, यह उचित नहीं है। फस्ट रीडिंग पर तो शायल निभ भी जाता लेकिन थर्ड रीडिंग के वक्त तो यह कतई नहीं निभ सकता है। बराये मेहरबानी अब आप समाप्त कीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, न मैंने कभी पहली बार, न कभी अन्तिम बार और न कभी तीसरी रीडिंग के वक्त किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया है, मेरी परम्परा ही ऐसी नहीं रही है और कल्पनाथ जी पर तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ।

(व्यवधान)

उन पर मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन राजनैतिक तौर पर मैंने यह कहा है क्यों कि देश का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। इसमें किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। राजनैतिक मामला इसमें यह है क्योंकि मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि अभी भी सरकार हिम्मत करे कि हमारे जो राजकीय क्षेत्र में विद्युत के उद्योग हैं, उनमें हम पूरी क्षमता के साथ कैसे उत्पादन को बढ़ायें। विद्युत उत्पादन में सरकार पूरी शक्ति लगाये। पूरे सदन का सहयोग ले। देश का आह्वान करें क्यों कि ऐसे समय हमारा यह राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है। इसमें मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने सरकारी अफसर हैं वे भी सहयोग करें उनका भी यह कर्तव्य हो जाता है। मगर ऐसी स्थिति न आने दें चूंकि सरकार करने जा रही है, इसीलिये, सभापति जी मैं कह रहा हूं कि पूरा हिमालय विद्युत का भण्डार है पानी से बिजली तैयार करने के लिये अड़चें लगते हैं, बाधाएं होती हैं मगर इस सब के बावजूद, कोई निजी क्षेत्र वाला बड़े उद्योग में नहीं जायेगा। बड़ा प्रोजैक्ट हमें करना है। टिहरी बांध में कितनी बाधायें आयीं, हम सब जानते हैं। नर्मदा के मामले में कितनी बाधाएं आयी, उसे भी सब जानते हैं।

सभापति महोदय : वाइन्ड अप कीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा : इसलिये सभापति जी, मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर ये ऐसा कोई निर्णय लेंगे

तो इस विधेयक का हमें विरोध करना है क्यों कि ऐसा निर्णय देश के हित में नहीं है समाज के हितों के खिलाफ है।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, मैं आदरणीय भोगेन्द्र झा जी को बताना चाहूंगा, आप जरा सुनिये।

(व्यवधान)

मैं आपके जरिये भोगेन्द्र झा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें देखना चाहिये कि आज साम्यवाद का जनतंत्रीकरण हो रहा है। इतिहास चक्र इस तरह चल रहा है और प्राइवेट सैक्टर तथा पब्लिक सैक्टर आपस में कम्पीटीशन कर रहे हैं कि और ज्यादा बिजली कैसे पैदा करें। हम भी यही चाहते हैं कि जनता का लाभ हो और यही इस बिल का उद्देश्य है।

आदरणीय जैना साहब, आज इतने विद्वान हैं, आपको मालूम होना चाहिये कि बिहार में 800 मेगा वाट का कहल गांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है जहां लाल मटिया कोयला खानों से कोयला आयेगा। आपको मालूम होना चाहिये कि उड़ीसा में सबसे बड़ा तीन हजार मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर स्टेशन तलचर में बन रहा है जो तलचर के कोयला क्षेत्र में पर आधारित है, बेस्ड है। इसलिये सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि बिल को पारित किया जाये।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है, "कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.15 म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगली मद, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : –

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये",

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 में यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्तव्य का निर्वाह करते समय किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और सशस्त्र बलों के सदस्य सहित किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किये गये तथाकथित अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से पहले केन्द्रीय सरकार

अथवा राज्य सरकार की जैसी भी स्थिति हो पूर्व अनुमति ली जाये।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा की अवधि के दौरान किसी राज्य में राज्य के मामलों के विरूद्ध तुच्छ अथवा कष्टकारी कार्यों को करने के संबंध में सरकारी कर्तव्य निर्वाह करने के संबंध में सरकारी कर्तव्य निर्वाह करने के लिए लगाये गये सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की दृष्टि से राज्य सरकार की अनुमति के स्थान पर केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेने की व्यवस्था करने का विचार किया गया है ।

लोक सभा के भंग हो जाने तथा राज्य सभा का सत्र न होने के कारण बिना किसी विलम्ब के आवश्यक संशोधन करने का विचार किया गया और राष्ट्रपति द्वारा 2 मई, 1991 को दंड प्रकिया (संशोधन) अध्यादेश, 1991 जारी किया था। यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के उपबन्धों के अनुसार संसद के पुनः समवेत होने के पश्चात 20 अगस्त 1991 से लागू हुआ।

व्ययगत अध्यादेश के उपबन्धों को पूर्व प्रभाव के साथ इसके प्रवर्तन की तारीख से अर्थात 2 मई, 1991 से अधिनियमित करना आवश्यक समझा गया है।

प्रस्तावित विधेयक से उन राज्यों जहां अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की गयी है में सामान्य स्थिति बहाल करने के दुष्कर कार्य में लगे अधिकारियों के मन में विश्वास की भावना पैदा होगी तथा राज्य के राजनैतिक परिदृश्य में परिवर्तन आने के बाद उनके शारीरिक और सेवा संबंधी सुरक्षा का विश्वास पैदा होगा और राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकारी कर्तव्य निर्वाह के मार्ग में उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए उन्हें तंग करने की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित दंड प्रकिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

(हिन्दी)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, दण्ड प्रकिया संहिता संशोधन विधेयक का मैं विरोध करने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक के द्वारा जो आघात किया जा रहा है वह सदस्यों के अधिकारों के ऊपर, स्वायत्तता के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर, यह एक पूर्व नियोजित योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्र के द्वारा येन-केन-प्रकारेण, सब कानूनों में परिवर्तन करके, समय-समय पर जो अन्य राज्य हैं, जिनमें कि जहां-जहां पर सरकारें अन्य दलों की होती हैं और वहां पर संविधान की धारा 356 का दुरूपयोग करके, जिसके लिए संविधान निर्माताओं ने कहा था, डा० अम्बेडकर के ये शब्द थे कि मैं समझता हूं कि यह धारा मृत रहेगी और कभी काम में नहीं आएगी, लेकिन सैकड़ों बार इसका दुरूपयोग करके, स्थान-स्थान पर, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को समाप्त करके, वहां पर केन्द्र का शासन स्थापित किया गया। उसी स्थापना को और अधिक कठोर करने के लिए

और केन्द्र के शासन में किसी प्रकार के अपराध करने वाले अधिकारियों को एक प्रोटैक्टिव अम्ब्रेला देने के लिए यह कानून लाया गया है। मेरा निवेदन है कि सरकारिया कमीशन के द्वारा दिए गए सुझाव की भावना के विपरीत है फैडरल स्ट्रक्चर के विपरीत है। जब तब धारा 356 के अनुकूल प्रोक्लेमेशन जारी हो जाता है वैसे भी वहां पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं होती है। अत: यह एक प्रकार का एप्रोहैन्शन है कि वहा के राजनैतिक वातावरण में जिन लोगों ने जिन सरकारी अधिकारियों ने या जिन पुलिस के लोगों ने किसी प्रकार से कोई अपराध किया होगा तो उनका प्रोसीक्यूशन हो जाए या विकटीमाईजेशन हो जाए, यह बिल्कुल निर्मूल है। जब कोई दल का राज नहीं होगा, धारा 356 में राज होगा तो वहां के गवर्नमैंट आफिसर्स, एडवाईजर्स केन्द्र के ही राज कर करते हैं। मैं समझता हूं श्रीमन बैठे हैं, ये भी इस बात को जानते हैं यद्यपि यहां पर जिस प्रकार से इस बिल को लाया गया या जिस प्रकार से कल पंजाब के कानून को लाया गया उससे ऐसा लगता है कि विधि के बारे में ज्ञान पूर्णतया अपूर्ण है। इसलिए इस कानून के द्वारा केवल वहां पर जो व्यक्ति, सरकारी आफिसर या जो पुलिस के लोग अत्याचार करें, जो अपराध करें उन अपराधों को बचाने के लिए वहां के एडवाईजर्स, चीफ सेकेटरी, डी० आई० जी० किसी प्रकार का सैंक्शन देने के लिए इनकम्पीटैंट हो जाएं और केन्द्र में, दिल्ली में आए। चाहे केरल, तमिलनाडू में कोई अत्याचार हो, असम के राईफल्स का अत्याचार हो या किसी भी क्षेत्र में जहां पर 356 का प्रोक्लेमेशन किया हुआ है, गैंग रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, महिलाओं पर अत्याचार हो, बालिका पर अत्याचार हो, उस सबके लिए केन्द्र में जाकर सेंक्शन की जो प्रक्रिया की जाएगी उसका अर्थ है उसमें ओब्सट्रक्शन क्रिएट करना, इमपेडीमैंट क्रिएट करना, उनको अनडयूली प्रोटैक्शन देना और अपराधियों को प्रोटैक्शन देने की भावना बहुत अहितकारी है। राज्य के मुख्य कानून और व्यवस्था रूल आफ लॉ के विरोध में है और हमारी संघीय प्रणाली के विरोध में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल प्रस्तुत किया गया है, 197 के अंतर्गत पहले ही प्रावधान है, जहां तक केन्द्रीय रिजर्व फोर्स का सवाल है, उसके लिए पहले ही प्रावधान है। चालीस साल के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि दुविधा आई, कठिनाई आई, इमपैडीमैंट हुआ, रूकावट आई। एकाएक एक दिन इनको ऐसा लगने लगा कि हमारे वहां जो अधिकारी हैं उनको और प्रोटैक्शन दिया जाए। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया चल रही है, कल जो पंजाब का कानून पास किया गया, इसके द्वारा हमेशा के लिए एक नया प्रीसीडैंट कायम किया गया कि चुनाव के अंतिम दिन के एक दिन पहले भी यदि राष्ट्रपति एक आर्डिनैंस जारी कर देंगे, जिस समय उत्तर प्रदेश, केरल या कहीं पर भी चुनाव हो रहे होंगे और लोक सभा सैशन में नहीं होगी, तो चुनाव की अंतिम प्रक्रिया के समय अनकनटैस्टेड लोग, जो चुने हुए जीत गए हैं, उनका भी चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा। जो काला कानून कल पास किया गया, कल मंत्री जी ने कहा कि 11 मई के पहले सारी कार्यवाही कर लेगें। आज वातावरण में इस प्रकार की हवा चल रही है कि भाषा बदल गई है, परिवर्तन हो गया है। आगे जा रहे हैं कि पंजाब में जनतंत्रीय लोक प्रणाली को समाप्त करने के लिए फिर काले बादल घिर-घिरकर घटाएं आ रही हैं। मुझे बड़ा दु:ख है कि कल की प्रक्रिया में इस बात पर गंभीरता से नहीं सोचा गया।

उन्नूस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के एक बार पारित होने के बाद दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। इलैक्शन कमीशन के अन्तर्गत निर्णय हो सकता है चाहे कैसे

भी हुआ हो। संविधान के निर्माताओं ने संविधान की धारा 329 और अन्य धाराओं में इस बात का पूरा प्रोटैक्शन दिया लेकिन श्री कुमारमंगलम ने नया अविष्कार किया है। कल कहने लगे कि नोटीफिकेशन जारी करके जैनरल क्लॉजेज एक्ट के नीचे उसको वापिस कर सकते हैं। इसलिए जूरिस्टस ने कहा कि "लॉ इज नथिंग बट कोडीफाई नॉनसेंस एंड अनकोडीफाई कामनसैन्स"। अनकोडीफाई कामनसैन्स तो सब जगह लागू होता है। श्री कुमारमंगलम इसमें कोडीफाई कामनसैन्स ला रहे हैं और संसद में 40-42 साल से कम से कम चुनाव में ऐसा नहीं होता था। अब राष्ट्रपति के एक आर्डिनेंस से समाप्त हो जाएगा। जो काला कानून लाया जा रहा है इसके द्वारा अनडयू प्रोटैक्शन दिया दिया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के इस अमैंडमैंट को अस्वीकार किया जाए क्योंकि इसके द्वारा प्रदेशों की सरकारों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, संघीय ढ़ाचे पर कुठाराघात होगा, फैडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात होगा और अपराधी प्रवृतियां बढ़ेगी।

सभापति जी, आज आप हरिजनों पर अत्याचार होने की बात जीरों ऑवर में सुन रहे थे और हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे कि पुलिस ने उन पर अत्याचार किया। अब इस बिल के द्वारा उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इतना ही में निवेदन करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(अनुवाद)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

महोदय, मुझे खेद है कि वह मेरी बातों को भली भांति नहीं समझ पाये। आपकी अनुमति से मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कल मैंने यह नहीं कहा था कि अधिसूचना जारी की जायेगी .....

श्री गुमानमल लोढा : आपने कहा था कि आपके पास तीन विकल्प हैं, वे इस प्रकार हैं चुनाव आयोग, साधारण खण्ड अधिनियम अधिसूचना और यह अधिनियम।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने कहा था कि तीन विकल्प उपलब्ध हैं। मैं पुनः यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य मेरी बात को सुनें तो बात इनकी समझ में आ जायेगी। पहला विकल्प निर्वाचनात्मक प्रक्रिया अपनाने का है जिस पर हम इसीलिए सहमत नहीं हैं कि साधारण खण्ड अधिनियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पर लागू होता है। इसलिए किसी चुनाव को अधिसूचित करने की शक्ति में अधिसूचना रद्द करने की शक्ति भी शामिल है। हम इस व्याख्या से सहमत नहीं हुए। हमारे पास दूसरा विकल्प जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का था जिसके अनुसार राष्ट्रपति को रद्द करने की सामान्य शक्ति दी गयी थी इससे भी हम सहमत नहीं हैं। हम महसूस करते हैं कि चुनाव रद्द करने का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे किसी विशेष कानून द्वारा ही किया जाना चाहिए। संसद सर्वोच्च है यह कार्य उसे ही करना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि माननीय सदस्य मेरी बात को वास्तव में पूरी तरह से नहीं समझ पाये। मुझे आशा है कि वह मेरी बात का समर्थन करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कल परित किये गये विधेयक पर पुनः चर्चा नहीं करा रहा हूँ। अब श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर इस सभा के सभी वर्गों के सदस्यों की सर्वानुमति पायी गयी है। यही मैंने समझा है। किन्तु श्री गुमाल मल लोढ़ा द्वारा इस विधेयक की आलोचना करने पर मैं सचमुच ही विस्मित हूँ, क्योंकि इस विधेयक को काला कानून तक कहा गया है। मैं श्री गुमान मल लोढा की उस राजनैतिक समझदारी को नहीं जानता हूँ जिससे उनकी कानूनी बुद्धिमता पीछे छूट गई है और उनके उस निष्पक्ष निर्णय की भावना को पीछे छोड़ दिया है जो वर्तमान संशोधन की ही तरह किसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ समय पहले किसी मामले में उनके समक्ष आया होता।

महोदय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) का पाठ इस प्रकार है :

''जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है,अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान ----

ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, यथा स्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की,''

यहां पर मैं ''जब वह अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था'' शब्दों विशेष पर ध्यान देना चाहता हूँ।

उपर्युक्त धारा का मतलब यह है कि जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध तथाकथित अपराध है, यदि वह राज्य के मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, उसके विरुद्ध राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय कोईभी मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, उसके विरुद्ध राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय कोई भी मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो तो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। कानून के अनुसार यह स्थिति है। श्री गुमान मल लोढा अब पूछ रहे हैं कि 40 वर्षों के बाद ऐसा संशोधन जो हम कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है। शायद श्री गुमानमल लोढा को उन परिस्थितियों की जानकारी नहीं है जिनके लिए पिछली सरकार को ऐसा करना पड़ा। यह विधेयक पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की ही उपज है। पिछली सरकार को इस तथ्य की जानकारी थी कि पंजाब में कुछ लोगों के लिए कुछ खतरे पैदा किये जा रहे है। श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्ववाली पिछली सरकार इस बात को जानती थी।

पंजाब में कुछ तत्वों ने यह खुली धमकी दी थी कि चुनावों के, जो वहाँ होने वाले थे, बाद यदि वे सत्ता में आये तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब में मजिस्ट्रेट सहित सभी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यह बड़ी दुखद बात थी

(व्यवधान)

(हिन्दी)

एक्शन नहीं रूकेगा, सैंक्शन सैण्ट्रल गवर्नमेंण्ट से चाहिएगी, यह एमेण्डमैण्ट उसमें अब ला रहे हैं।

(अनुवाद)

यदि यह संशोधन नहीं किया गया होता तो हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते थे जिसमें आने वाली सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में सरकारी कार्य करने के लिए तैनात व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकती थी, उसे परेशान कर सकती थी और उसे तंग कर सकती थी। ऐसे भी मामले हो सकते थे जिनमें सरकारी कार्य करने के लिए-आप पंजाब में लोगों द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को दी गयी धमकी पर ध्यान दीजिए-आतंकवाद के विरूद्ध कठोर संघर्ष करने वाले ईमानदार और सक्षम व्यक्तियों से किसी भी व्यक्ति, क, ख अथवा ग, के विरुद्ध वास्तविक कार्यवाही करने के लिये कहा जा सकता था। यदि राष्ट्रपति शासन समाप्त होगया होता ओर नई सरकार सत्ता में आ गयी होती तो यह बिलकुल सम्भव था, यदि क, ख अथवा ग जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, राज्य सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत होते, यदि उन लोगों ने पहले से ही धमकी दी होती और यदि उन्हें मंजूरी दे दी गयी होती तो आपको न्याय पालिका की राय किस प्रकार मिलती? वर्तमान संशोधन को इस लिए लाया गया है कि इस प्रकार की स्थिति पर एक लगायी जा सके।

यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान तथाकथित अपराध के लिए यदि आपकी किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा है तो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेनी होती है। बस यही बात है। विधेयक में आगे कुछ नहीं कहा गया है। विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन व्यक्तियों को मुक्त किया जाएगा और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि बताए गये मामलों में केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी ली गई है। यह विधेयक यहां तक बिलकुल सामान्य है श्री लोढ़ा ने कहा है कि केन्द्र सरकार धीरे-धीरे राज्यों की शक्तियों को छीन रही है। उन्होंनें राज्यो में बार-बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने का भी जिक किया है। उन्होंने केन्द्रद्वारा मुकद्दमा चलाने के लिए मंजूरी देने की शक्ति हथियाने का भी उल्लेख किया है। यदि इन दृष्टिकोणें पर अलग से विचार किया गया होता तो शायद इस चर्चा में भाग लेते समय मैं उन पर टिप्पणी नहीं करता क्योंकि उचित समय पर इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मैं इस मामले पर उनसे अथवा किसी और व्यक्ति से असहमत नहीं हूं। मेरी राय है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के मामलों में कुछ निर्देश दिये जायें। परन्तु इस पर गहराई से और विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। हम एक ऐसी स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं जिसमें लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं कुछ मामलों में वे अपना यह अनुभव अधिकारियों की जो मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति देते थे, कर पा रहे हैं। उन्हें अपने कार्यों के लिए न्यायाधीश नहीं बनाया जाना चाहिएं था। यह बात केन्द्र सरकार पर छोड़ दी जानी चाहिए थी। शायद श्री लोढ़ा ने इस पर भी टिप्पणी की थी। ऐसे सभी मामलों में सभी कार्यों के

लिए केन्द्र सरकार को उचित अधिकार दिया जाना चाहिए। यह उपबन्ध बनाया गया है कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र में कार्यरत है वहां पर केन्द्र से मंजूरी ली जाए। एक स्थिति में केन्द्र सरकार के कार्यों को किसी एक राज्य में उस विशेष राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निपटाया जा सकता है। परन्तु श्री लोढ़ा ने केन्द्र और भारत सरकार के कार्यों से संबंधित कार्यों और कर्तव्यों का उल्लेख किया था उस स्थिति में पूरी जिम्मेदारी उस राज्य की होती है। इस प्रकार विद्यमान उपबन्धों का ही विस्तार किया गया है और इस संबंध में एक उपबन्ध सम्मिलित किया गया है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अपराधी के साथ उस प्रकार न निपटा जाए जिस प्रकार से कि श्री लोढ़ा जिक कर रहे थे इसके लिए कानून को ध्यान में रखा जाए। यह बात उन अपराधों के सन्दर्भ में है जो किसी विशेष अधिकारी द्वारा अपने सरकारी दायित्वों को निभाते समय तथाकथित रूप से किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक संशोधन की आवश्यकता है कि मुकद्दमा चलाने की मंजूरी केन्द्र सरकार से प्राप्त की जाए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार कानून में जिस उपबन्ध को सम्मिलित करना चाहती है उसका प्रयोग पक्षपात पूर्ण कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह गलत धारणा पैदा नहीं की जानी चाहिए कि यह उपबन्ध किसी राज्य में उस सत्ताधारी पार्टी के राजनैतिक हितों की रक्षा के लिए है जो राज्य के लिए कार्य कर रही है इस से भ्रष्ट लोगों और अपराधियों का बचाव होगा। ऐसी बात नहीं है। सरकार किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। सरकार अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। विपक्ष के मेरे माननीय सदस्य ने अत्याचार शब्द का प्रयोग किया है। सरकार जन जीवन को सुधारने के लिए वचनबद्ध है। सरकार एक ऐसा वातावरण बनाना चाहती है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी अपनी अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपने दायित्वों को निभा सकें। तथ्य यह है कि 40 वर्षों के बाद बनाया गया कानून इस प्रकार का उपबन्ध बनाने का विरोधी नहीं है। कानून एक ऐसी आवश्यकता की अभिव्यक्त है तथा समाज की एक ऐसी मान्यता है जो एक निश्चित समय पर पैदा होती है अथवा समाज द्वारा अनुभव की जाती है। गतिशील समाज में आप स्थिर कानून नहीं बना सकते हैं। किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। विद्यमान कानून द्वारा केवल उसी स्थिति से निपटा जा सकता है जिसका गृह राज्य मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत करते समय उल्लेख किया था कि सरकार इस संशोधन के द्वारा स्थिति से निपटना चाहती है।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(हिन्दी)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, में इस बिल का विरोध करता हूं। हमारे बोलने से ठीक पूर्व माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने पंजाब का जिक किया है और जो उन्होंने तर्क दिया है, वह तर्क इस बिल से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस की सरकार ने सरकारीया कमीशन बहाल किया था-केन्द्र और राज्यों के रिलेशन को ठीक करने के लिए। उसमें कई गाइड-लाइन्स दी गई थीं, लेकिन जिस पार्टी की सरकार ने उस कमीशन को बहाल किया था, जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसी पार्टी की सरकार ने उसको मानने से इन्कार कर दिया। उसमें एक सबसे बड़ा मामला राज्यों मे प्रैजीडेंट

रूल लागू करने संबंध में ही था। पूरे देश में शिकायतें रही है कि पक्षपात केन्द्र की ओर से किया जाता है और ऐसे कई मसले आए हैं, कई मौके आए है, जिसमें इस तरह की बातें कही गईं।

आप कहते हैं कि हम इस बिल के जरिए पब्लिक सर्वेंट को ज्यादा एडिक्वेट सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, किस के खिलाफ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, यह कब मौका आता है, कब ओकेजन आता है। आम तौर पर सरकारी आफिसरों पर मुकद्मे नही होते हैं, मुकद्मा तभी होता है जब वे अपनी पब्लिक ड्यूटी के डिस्चार्ज करने के समय लोगों के साथ, जनता के साथ, जिनको वे डील करते हैं उनका जो कानूनी हक नहीं है, उनके जो पद हैं उनको जो आथोरिटी है उसका गलत इस्तेमाल करके उनको सताया जाता है और उन पर जुल्म किया जाता है। आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार को यह अधिकार देने से न्याय मिल जाएगा और राज्य सरकार के जो अफसर हैं, जो कर्मचारी है उनके हाथ में अगर यह अधिकार रहेगा तो अन्याय हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे देश में फैले हुए अधिकारी जो राज्यों के अन्दर बैठे हुए हैं उन पर आपको पूरी तरह अविश्वास है और चूंकि केन्द्र की सरकार आपके हाथ में है, इसलिए आप राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। पहले ही लोग काफी त्रसित हैं, बहुत कम ऐसे मामले आते हैं जहां उनको परमिशन मिल पाता है प्रोसिक्यूशन का, मुकद्मा करने का, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं और केन्द्र के हाथ में अगर यह मामला राज्य का आ जाएगा तो राज्य के अधिकारों को करटेलमेंट तो आप लगातार करते ही रहे हैं इसके जरिए भी राज्य और केन्द्र का संबंध बिगाड़ने के अलावा और कोई दूसरा इसका नतीजा आप नहीं निकाल सकते हैं।

अगर आपको पंजाब के मामले में ये खतरा था, यह खतरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस खतरे का इलाज यह नहीं है, अगर आपको यह खतरा था, तो पंजाब के बारे में आप बहुत सारे कानून अलग से बना रहे हैं, जो दूसरे राज्यों पर लागू नही होता है और पंजाब का नाम ले करके पूरे देश के अन्दर गलत ढंग से इस तरह के अधिकार का अपहरण कर लेना और केन्द्र के पास ला करके केन्द्रित कर देना, यह पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है और यह जो हमारा देश है, जिस तरह से राज्यों का, उसके अधिकारों का इससे हनन होता है।

सभापति जी, मैं ने इसके आवजेक्ट्स एण्ड रिजन्स को पढ़ा कि आखिर इस कानून को लाने का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य तो आपने बताया, कारण क्या है? यह सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने उठाया, मैं समझता हूं कि सही सवाल उठाया, 40 साल के बाद आपको कौन सा तीखा तजुर्वा हुआ, जिस तजुर्बे ने आपको कंपेल किया, आप कुछ उदाहरण देकर तो बताते। जनरल ढंग से आपने कहा है कि हम सरकारी अधिकारियों को ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। जहां सरकारी कामों के डिस्चार्ज में अपनी सीमा के अन्दर अगर कोई सरकारी अधिकारी काम करता है तो वहां जनता उसका समर्थन करती है, उसके साथ जाती है, उसका विरोध नहीं करती। आज देश के अन्दर जो बड़े पैमाने का करप्शन है, मैं वैसे कोर्ट का सवाल नहीं लाना चाहता था, लेकिन चूंकि इसमें जनहित के सवाल आए हैं हमारे यहां बिहार में और जगहों में भी होता होगा, बेल लेने में मुकद्मे में एक डेढ़ लाख रुपया घूस लिया जाता है।

अब इस सवाल को आदमी कहां उठाए? इतना बड़ा रोग अगर आप लगा देंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में यह बात कहां उठेगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, कोर्ट के खिलाफ आम तौर पर आदमी जल्दी

नहीं जाता, उसकी सुनवाई बहुत कम होती है, तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी अधिकारी था इसको ला करके आप क्या फायदा उठाइएगा। मैं तो समझता हूं कि सचमुच में जो कहा गया काला, बल्कि काला से काला, इसको जितना काला कहा जा सके उतना ही कम होगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा नहीं है। अत: मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री पी.सी चाक्को (त्रिचूर): महोदय, मैं गृह राज्य मंत्री श्री एम.एम. जैकब द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। अध्यादेश के स्थान लेने के लिए यह एक सांविधिक आवश्यकता है।

यह थोड़ी सी अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय सदस्य श्री लोढ़ा और श्री विजय कुमार यादव ने इस विधेयक का विरोध किया है। मेरे विचार से उन्होंने चर्चाधीन विधेयक को भिन्न तरीके से समझने का प्रयास किया है। इस विधेयक को काला कानून बताया जा रहा है। सभी माननीय सदस्य, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रभागों को जानते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत-जिसके अन्तर्गत न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट संहित सरकारी अधिकारियों का, जो एक विशेष स्थिति में कार्य करते हैं, बचाव किया गया है। उन्हें राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

संविधान का अनुच्छेद 356 एक ऐसा विषय है जिसकी देश में अनेक बार अधिकांश राजनैतिक दलों ने कटु आलोचना की है। जब वे राजनैतिक दल जिन्होने यह कभी नहीं सोचा था कि वे भी सत्ता में आयेंगे, वे हमेशा कांग्रेस की विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा करने के लिए आलोचना करते थे और वे इसके विरुद्ध बड़ी विचित्र बातें करते थे और बड़े कुतर्क दिया करते थे सत्ता में आने के पश्चात तो वे उन तर्कों को भूल गये हैं और एक से अधिक बार संविधान के इसी अनुच्छेद 356 को लागू किया है। कोई भी इस आरोप से बरी नहीं हो सकता और उन आलोचकों जिन्होंने इस प्रावधान के उपयोग की तीखी आलोचना की थी वे इस प्रावधान का खूब उपयोग किया, हमने यह देखा 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने आठी दर्जन राज्य सरकारों को बदलने में इस प्रावधान का बड़ी आसानी से उपयोग किया था। हमने यह सब इस देश में देखा है। लेकिन, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लाया जाता है, तो उस देश में कानून लागू करने वाले अधिकारियों को कानून लागू करने अथवा कानून का संरक्षक होने में परेशानी होती है क्यों कि उस समय परिस्थितियां बदलती हैं। हममें से कोई भी काला कानून लाने अथवा कोई ऐसा उपाय करने के पक्ष में नहीं है जो दमनात्मक प्रवृत्ति का हो। हम ऐसे दमनात्मक कानून लाने में समानत: या इससे भी अधिक विरुद्ध हैं। हम कानून की किताब में कोई दमनात्मक विधान नही लाना चाहते। हम उसके विरुद्ध हैं लेकिन जब हम ऐसे कानून की बात कर रहे हैं तो हमें राज्य की भिन्न अथवा कठिन परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन से बचा जा सके तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यह सबसे अच्छी बात होगी और हर व्यक्ति इसका समर्थन करता है।

यदि देश में एक परिस्थिति में चाहे वह पंजाब में हो या किसी अन्य राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद जो दल सत्ता में आता है यदि वह पूर्वाग्रह वश कानून लागू करने वाले तंत्र अथवा कानून करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध हो जाते हैं तो इसका कोई अन्त नहीं है। तब कानून लागू करने वाला तंत्र कानून लागू नही कर पायेगा। इस स्थिति से अनेक समस्यायें पैदा होती हैं। श्री विजय कुमार यादव

किसी उदाहरण की मांग कर रहे थे मैं कहता हूं कि उदाहरणों का अभाव नहीं है। बहुत से राज्यों में अनेक मामले हैं कुछ हाल में भी घटित हुए हैं मैं विस्तार में नही जाना चाहता।

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 में संशोधन आवश्यक हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान वे अधिकारी जो विश्वास में बुरे इरादें से, राजनैतिक उद्देश्य से कार्य करता है तो राष्ट्रपति शासन के बाद जब नई सरकार संत्ता में आती है तो यदि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो तो उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे उनके विरूद्ध मुकद्मा चलाने में विलम्ब नहीं होगा। इस कानून के अन्तर्गत और यहां तक कि संशोधित कानून के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्य वाही की जा सकती है। उसके लिए पर्याप्त प्रावधान है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।। यदि कानून लागू करने वाले अधिकारियों को इतना संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है तो देश की वर्तमान कठिन परिस्थिति से हम कैसे निपट सकते हैं ?

श्री विजय कुमार यादव कह रहे थे कि हम यह काला कानून पंजाब के सन्दर्भ में ला रहे हैं। यह बात सत्य से काफी दूर है। ऐसा पंजाब के कारण नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य से पंजाब हम सब के लिए कष्टकारक है। पंजाब में जो भी हो रहा है हममें से कोई नहीं चाहता कि यह स्थिति बनी रहे। ऐसी स्थिति केवल पंजाब में ही नहीं किसी भी राज्य में नही होनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि यह आवश्यक न हो। परन्तु यदि ऐसा होता है तो उन अधिकारियों पर खतरा है जिन्हें कानून लागू करने के लिए बुलाया जाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि दलों ने भी वक्तव्य जारी किये हैं वे कानून लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ खुलकर आ रहे हैं। इसलिए यह कानून का पालन करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक पूर्वशर्त है। हमारे सन्दर्भ में इस कार्य के लिए कोई भी सरकार हो वह कानून लागू करने वाले अधिकारियों को इतना संरक्षण देने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है। मैं इस मामले को किसी राजनैतिक नजरिये से देखने के लिए आवश्यक नहीं मानता।

भाजपा सदस्य अथवा जनता दल सदस्य के इस प्रश्न पर मतभेद हैं। यदि वे सरकार में होते अथवा सत्ता दल के सदस्य होते तो वे भी यही कानून बनाते। मेरे विचार से कोई भी इससे एकदम अलग रुख नहीं अपनाते। हम पिछले डेढ़ महीने से इस सदन मे देख रहे हैं कि साधारण कानूनों पर भी लोग जान बुझकर अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं।

इस समय देश खतरनाक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दौर से गुजर रहा है। इसलिए राजनीतिक दलों को उन मुद्दों पर साथ देना चाहिए जहां वे साथ दे सकते हों। उन्हें एकमत निर्णय लेने हेतु एक साथ रहना होगा। दुर्भाग्य से उन्हें अलग दृष्टिकोण रखने में मजा आता हैं। यह एक प्रकार से फोबिया हो गया है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो रहा हैं। हमारे सामने रखा जाने वाला यह साधारण विधेयक जो कि आवश्यक हो गया है, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 का विस्तार मात्र है। यदि श्री लोढ़ा इस साधारण प्रावधान के साथ जिसे जोड़ा जा रहा है इतने ही विरूद्ध हैं तो धारा 197 में संशोधन के लिए माननीय सदस्य को कम से कम एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक लाना ही चाहिए था यदि यह तर्क संगत है तो धारा 197 भी तर्क संगत है। यह दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 का विस्तार मात्र है।

मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह कि उन्होंने यहां जो कहा है नि:सन्देह, उन्हें यह करना ही पड़ा क्योंकि वे विपक्षी सदस्य हैं। इस देश में यह हमारे राजनैतिक कार्यकरण का तरीका हो गया है क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें उन सभी कामों का विरोध करना है जो सरकार करती है। इसलिए इसी कारण वे इसका विरोध कर रहे हैं मुझे आशा है कि सदस्य अपना दृष्टिकोण बदलकर इस विधेयक का समर्थन करेंगे और सरकार के उन प्रयासों का समर्थन करेंगे जो वह समाज और देश की भलाई के लिए अच्छे इरादे से करने जा रही है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस संदर्भ में अपने विचार बदलकर इस विधेयक का समर्थन करें।

मैं इस सदन के सभी राजनैतिक दलों और नेताओं से अपील करता हूं कि इस प्रकार की समस्याओं पर एकमत होना चाहिए और नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक नई शुरूआत होनी चाहिए। मुझे आशा है कि विरोध करने वाले सभी सदस्य और वे दल जो विरोध करने की दृढ़ इच्छा से बैठे हैं फिर से विचार करेंगे और इस विधेयक का समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बासु (बारसाट):- महोदय मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं .....(व्यवधान).... में विधेयक में निहित एक मूलभूत सिद्धांत के आधार पर इसका विरोध करता हूं ।

श्री मान यदि आप इस विधेयक का अध्ययन करेंगे तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस विधेयक से केन्द्र के हाथों में प्रशासकीय शक्तियों के अधिकाधिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का पता चलता है जबकि शक्ति के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। यहां तक कि केन्द्र के हाथों शक्ति के अधिक केन्द्रीकरण के लिए विधेयक में आम लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और प्रजातांत्रिक अधिकारों के स्थान पर भ्रष्ट और नौकरशाह तानाशाहों के प्रति चिन्ता दर्शायी गई है। आप भ्रष्ट अधिकारियों, नौकरशाओं, तानाशाहों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं लेकिन किससे? यह जनता के खिलाफ है, जबकि जनता के सेवकों जिनके लिए आप सुरक्षा प्रदान करने जा रहें हैं को हमारे देश की आम जनता उनके भ्रष्ट आचरणों, उनके व्यवहार, उनकी बुराइयों के कारण पसन्द नहीं करती है और विधेयक उनकी सुरक्षा करना चाहता है।

महोदय, यह विधेयक राज्य के अधिकारों में कमी करने का एक अन्य प्रयास है। यही तीन मुख्य सिद्धांत हैं जिनके आधार पर मैं विधेयक का विरोध करता हूं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस विधेयक और इस अधिनियम का क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए कि कतिपय राजनीतिक परिस्थितियों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और यदि राज्य सरकार या केन्द्र सरकारके कुछ अधिकारी कुछ ज्यादतियां कर देते हैं और कोई लोकप्रिय चुनी हुई सरकार जो सत्ता में आती है और ज्यादती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है। ऐसी स्थिति में यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो राज्य सरकार भ्रष्ट व तानाशाह अधिकारियों के विरूद्ध मुकद्मा चलाने के लिए अपनी सहमति नहीं दे पायेगी, महोदय इसके लिए राज्य सरकार को केन्द्र से अनुमति लेनी होगी और केवल अनुमति मिल जाने पर ही मुकद्मा चलाया जा सकता है।

महोदय, इसे पंजाब पर लागू कर दें। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल ऐसे सदस्यों में मैं भी शामिल था जिन्होंने इस पक्ष से पंजाब में चुनाव प्रकिया रद्द करने संबंधी विधेयक का समर्थन किया। सदन के लगभग सभी पक्षों ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की थी कि चुनाव शीघ्रतिशीघ्र कराये जाने

चाहिए और चुनाव की तिथि की घोषणा किए जाने की मांग भी की गई थी। परन्तु पंजाब में आज क्या हो रहा है? आप वहां शीघ्रतिशीघ्र चुनाव कराना चाहते हैं और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूलवातावरण बनाना चाहते हैं। और वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर पंजाब पुलिस व इसके भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो लोगों से पैसे ऐंठते है, निरपराध लोगों को जेलों में ठूंसते हैं और परेशान करते हैं व उन्हें छुड़ाने के लिए धन मांगते हैं। उनका एक बड़ा वर्ग ऐसी ज्यादतियां कर रहा है।

5.00 म० प०

अब मैं माननीय गृह मंत्री जी को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि "प्रस्तावित कानून ऐसे अधिकारियों के मन में आत्मविश्वास की भावना पैदा करेगा जो राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के कठिन कार्य में लगे हैं, जहां धारा 356 की उद्घोषणा लागू की गई है और यहां शारीरिक व सेवा सुरक्षा का आश्वासन है''। इससे वे और अधिक अत्याचारी बनते हैं इससे उनका उत्साह बढ़ता है। क्योंकि वे समझते हैं कि "ठीक है, हम ज्यादतियां करते रहें, गृह मंत्री तो हैं हमे संरक्षण देने के लिए''। अत: मैं समझता हूं कि यह हमारे देश जिसने लोक तंत्र को अपनाया है वांछनीय नहीं है। इसलिए इन मौलिक नियमों के आधार पर इस विधेयक को रद्द किया जाना चाहिए।

अन्त में, इससे केन्द्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। हम राज्यों की स्वायत्ता के समर्थक हैं। मुझे गलत न समझें। राज्यों की स्वायत्ता का अर्थ है राज्यों के प्रशासन, प्रगति व समृद्धि के लिए उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान करना। परन्तु ऐसा राष्ट्र की एकता व अखण्डता के मूल्य पर नहीं किया जाना चाहिए। हम सशक्त केन्द्र तथा सशक्त राज्यों के हामी हैं। सशक्त राज्यों के कारण ही केन्द्र भी सशक्त बन सकता है। हमारी बात का गलत अर्थ न निकाला जाए कि हम राज्यों के लिए अधिकाधिक स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो केन्द्र तथा राज्यों के बीच की भावना व सहयोग को दुर्बल बना देता है। यह विशेषतया, आजकल की बदलती दुनिया के संदर्भ में बहुत हानिकर है। महोदय, उड़ीसा के एक मुख्य मंत्री ने अपने कुछ सार्वजनिक वक्तव्यों में राज्य के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग की थी मेरी दृष्टि में इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह उस राज्य की जनता की लालसा है। इस कानून से संबंधित नियम को स्वीकरना अति-केन्द्रीयकरण के नियम को स्वीकृति प्रदान करने के बराबर होगा, जबकि देश को शक्ति के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं विधेयक का विरोध करता हूं

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह विधेयक सरकारी कर्मचारियों द्वारा नेकनीयत से किये गये कार्यों को पुनीतता प्रदान करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक अधिकारी के वेष में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने की कार्रवाई न करने की सीमा तक नहीं जाता। मैं समझता हूं कि किसी अधिकारी के संरक्षण के लिए कोई कानून होना चाहिए। वास्तव में इस समय धारा 197 किसी सरकार जिसके अधीन कोई अधिकारी कार्यरत है को संरक्षण प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति के विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा सकता है।

अत: मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को किसी अन्य भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। किंतु मैं यह कहूंगा कि शब्द 'स्वीकृति' ढीले-ढीले रूप में एक अच्छी व्याख्या नहीं है। न्यायालयों ने भी शब्द 'स्वीकृति'

की व्याख्या की है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायोचित रूप में किया जाना है। ऐसा नहीं कि स्वीकृति यों ही राजनैतिक रूप में दी जायेगी, मैं तो कहूंगा कि यदि इसका उपयोग अथवा दुरूपयोग किया गया तो न्यायालय ही शब्द 'स्वीकृति' के वास्तविक अर्थ को उजागर कर सकता है। जिस सरकार ने स्वीकृति देनी होगी उसे पहले इस पर विचार करना पड़ेगा और फिर यह निर्णय लेना होगा कि क्या स्वीकृति दी जाए अथवा नहीं।

मान लो सरकार यह महसूस करती है कि ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने यद्यपि नेकनीयत से परन्तु राजनैतिक तौर पर सरकार के विरूद्ध काम किया है, पर मुकद्मा चलाया जाना चाहिए, तो इसका प्रभाव विधेयक का विरोध करने वाले मेरे साथियों द्वारा बताए गये प्रभावों से अधिक तीव्र होगा। अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सामान्य तौर पर मैं राज्यों की शक्तियां छीनने वाले किसी विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। पर मैं समझता हूं कि यह विधेयक राज्यों को शक्तिविहीन नहीं कर रहा है क्योंकि यह ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग केन्द्र सरकार को करना चाहिए जिसके अधीन कोई सरकारी कर्मचारी किसी आपातकालीन राज्य में अथवा ऐसी जगह कार्यरत हैं जहां धारा 360 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा की गई है। अत: मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) सभापति महोदय, यदि आप मुझे इस विधेयक पर टिप्पणी करने की अनुमति देंगे तो आपको हर्ष ही होगा। न केवल भा० ज० पा० तथा जनता दल वालों ने इस विधेयक पर बोलते हुए इसका विरोध किया है अपितु वाम मोर्चे ने भी ऐसा करने में उनका साथ दिया है। यह कुछ समय पूर्व सभापति द्वारा की गई टिप्पणी के संदर्भ में हैं अत: इसे उसी संदर्भ में सुना जाना चाहिए।

5.06 म० प० (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह कानून के शासन की भावना के विरुद्ध है, यह राज्यों की स्वायत्ता की विचारधारा के तथा हमारे संविधान के मूलभूत संघीय ढांचे के विरुद्ध है। यह निश्चित रूप में जनसामान्य के हितों के विरूद्ध है।

धारा 197 संविधान को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई थी और किसी राज्य विशेष के कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सरकारी कर्मचारियों की त्रुटियों इत्यादि जैसे कार्यों से निपटने के लिए एक पृथक कानून की आवश्यकता नहीं है।

अब हम उपधारा 1 में एक परन्तुक तथा धारा 3 के बाद 3(क) व 3(ख) के रूप में नए सिरे से दो उपधारा जोड़ना चाहते हैं

कानून व व्यवस्था सर्वथा राज्य की जिम्मेवारी रही है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की जिम्मेवारी है।

मैं यहां उपस्थिति माननीय गृहमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार के स्वरूप में कोई भारी परिवर्तन होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो क्या वहां राज्य सरकार नहीं रहती है? मेरे विचार से संविधान में यह स्थिति नहीं है। संविधान के अनुसार जहां तक मैं समझता हू स्थिति

यह है कि राज्य सरकार बनी रहती है। लेकिन शक्तियों का हस्तान्तरण भारत के राष्ट्रपति को हो जाता है। यदि राज्य सरकार समाप्त नहीं होती है तो मूल नियम में जो राज्य कर्मचारी और केन्द्रीय कर्मचारी के बीच स्पष्ट भेद किया गया है उसमें क्या सरकारी कर्मचारी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की ओर से कार्य कर रहा होता है? मूल अधिनियम में दो बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण किये गये हैं एक यह अमुक सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है अथवा वह राज्य सरकार का कर्मचारी है। यदि वह केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है तो स्पष्टत: उसका नियंत्रण और अनुशासनिक अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होता है। अन्यथा यह राज्य सरकार में निहित होता है। दूसरा वर्गीकरण वह है जब राज्य सरकार का कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की ओर से अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य करता है। अब हमें दूसरे विपरीत मामलों का भी पता है, मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमान पवन कुमार बंसल मेरी बात समझ रहे हैं। यदि संविधान कहता है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखना शान्ति बनाये रखना राज्य का विषय है, और यदि केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी किसी ऐसे कार्यक्षेत्र में कार्य करता है जो सामान्यत: राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होता है, जैसे अर्द्धसैनिक बलों और सैन्य बलों को राज्य सरकार की सहायता हेतु भेजा जाता है, तो क्या यह केन्द्र का कार्य नहीं बन जाता है? यह फिर भी राज्य का ही कार्य रहता है। यदि यह राज्य का विषय है और कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई गलत कार्यवाही की जाती है, यदि कोई अपराध किया जाता है उन्हें सजा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होनी चाहिए। ये दो भेद हैं, सरकारी कर्मचारी का स्वरूप तथा कार्य का स्वरूप। अत: मेरी मूल बात यह है कि यह संपूर्ण विधेयक की अवधारणा ही गलत है। किसी खास उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ही जानबूझकर यह गलत अवधारणा रखी गई है। इसका एक शोशा छोड़ा गया था। इसके पीछे राजनैतिक उद्देश्य था। यह भय था कि राजनैतिक परिवर्तन होने पर कुछ सरकारी कर्मचारियों, जिन पर गंभीर आरोप हैं, दुराचार और अपराध करने संबंधी गंभीर आरोप हैं, ऐसे अपराध जो अपराधिक लापरवाही औरकभी कभी जघन्य अपराधों के अन्तर्गत आते हैं, को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

और किसे राजनीति से प्रेरित कहा जा सकता है। इसका भांडाफोड़ हो गया है? सरकार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। श्री बंसल स्वयं निन्दा के पात्र बने है।

श्री पवन कुमार बंसल : संशोधन सिर्फ उस मामले के लिए है जिसमें कोई व्यक्ति राज्य में केन्द्र के लिये कोई ड्यूटी कर रहा है। अथवा केन्द्र का कोई आदेश लागू कर रहा हो अथवा केन्द्र का कोई कार्य कर रहा हो। इस स्थिति में मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मामले में अब प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी होगी।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, श्री बंसल ने पुलिस महानिदेशक का उदाहरण दिया है। पुलिस के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। वह राज्य सरकार का कर्मचारी होता है और आप उसे बचाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वे दोषी है अथवा नहीं।

श्री पवन कुमार बंसल : यह तर्क यह नहीं है। आवश्यकता इस भय को दूर करने की है कि अधिकारियों पर प्रतिशोधात्मक रूप से मुकद्मा नहीं चलाया जायेगा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मुझे यह बात नजर नहीं आती। आपने यह कहा था कि यह भय है।
श्री पवन कुमार बंसल: मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : यदि किसी भिन्न दल की सरकार सत्ता में आती है तो वह उन पर कार्यवाही कर सकती हैं जिन्होंने पूर्व प्रशासन के आदेशों को लागू किया था। आपने यह कहा था। मैं यही कह रहा था कि यही राजनिति से प्रेरित कार्य माना जाता है, कि आप ऐसा कानून बना रहे हैं जो मूलत: जनता द्वारा वैधानिक एवम् लोकतांत्रिक शक्तियों के प्रयोग से सरकारी कर्मचारियों का बचाव करता है। (व्यवधान) यही मैं कह रहा हूं और ऐसा करना उचित नहीं है। यह असंवैधानिक है। मेरे विचार से यह कानून के विरूद्ध है तथा लोकतंत्र के विरूद्ध है।

2 मई, 1991 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। सरकारी पक्ष की ओर से किसी भी वक्ता के द्वारा किसी भी चरण में हमें यह नहीं बताया गया कि उस दिन अध्यादेश जारी करने का क्या उद्देश्य था। मैं यह जानना चाहूंगा। संसद शीघ्र ही बैठने वाली थी। इसे सभा के समक्ष लाया जा सकता था। इस अध्यादेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी अथवा क्या जल्दी थी या ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण इसे जारी करना ही पड़ा? मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री आज सभा को इस बारे में अवगत करायें।

दूसरी बात यह है कि विधेयक 20 अगस्त 1991 को व्यपगत हो गया था। इसे व्यपगत क्यों होने दिया गया? यह भी स्पष्टीकरण दिये जाने की बात है। क्योंकि वह व्यपगत हो गया था अत: इस विधेयक को लाया गया है तथा मूल विधेयक में एक बड़ी धारा जोड़ दी गई है। ताकि उस पूर्व अवधि को अर्थात 20 अगस्त 1991 से लेकर इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने तक की अवधि पर भी इसे प्रभावी किया जा सके। अत: मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस विधेयक को क्यों व्यपगत होने दिया गया था?

मैं स्वयं एक सरकारी कर्मचारी रहा हूं और मैं सरकारी कर्मचारियों को उनका अपना दायित्व निभाते समय की गई निष्कपट सही कार्यवाहियों के प्रति उन्हें सुरक्षा प्रदान करने बल्कि उन्हें उन्मुक्ति भी प्रदान करने के सिद्धांत की हिमायत करता हूं। परन्तु यह सुरक्षा अथवा अपवाद उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिए जो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर के कार्य करते हैं अथवा कोई अधिकारी अनुचित ढंग से कार्य करता है तथा अपना दायित्व नहीं निभाता है।

महोदय, औचित्य का सिद्धान्त तथा विवेक का सिद्धान्त सदैव यह तय करने के लिए होना चाहिए कि किसी अधिकारी का सरकारी कार्य उसका वास्तविक दायित्व था अथवा नहीं। हमें ऐसे सरकारी कर्मचारियों का भी पता है जो अपना सरकारी दायित्व निभाते समय गलतिया करते हैं, अपराध करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों को घायल कर देते हैं और सम्पत्ति को लूटते हैं तथा लोगों को अपमानित भी करते हैं तो क्या उन्हें इसके परिणाम नहीं भुगतने चाहियें। और इस विधेयक में एक उपबंध है जिसमें उन्हें बचाने हेतु एक अतिरिक्त कवच प्रदान किया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाये। ऐसी कार्यवाही जो किसी व्यक्ति के जीवन अथवा अंग अथवा सम्पत्ति या लोगों के सम्मान को क्षति पहुंचाता है। उसे किसी भी लोकतंत्र में यदि लोकतंत्र को चलाना है तो सजा मिलनी ही चाहिए। अत: यह विधेयक सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई लूटमार के प्रति लोगों का न्याय दिलाना और भी कठिन बना देगा। यदि कोई आरोप लगाये गये हैं तो इसके लिए अदालतें होनी चाहियें। हम न्यायपालिका के निर्णय देने के अधिकार को छीन रहे हैं। परन्तु कम से कम लोग आसानी से अदालतों में तो जा सकें। यह विधेयक तो लोगों तथा

न्यायालयों के बीच एक और दीवार खड़ी करने का प्रयास है। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

महोदय, मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा। हमें ज्ञात है कि हमारे देश में ऐसे हिस्से हैं जहां पर काले कानून प्रभावी हैं जिसमें बलों को असीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं । सैन्य बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम है टी० ए०डी०ए० (टाडा) है जिस पर सदन में चर्चा हुई है। दंगाग्रस्त क्षेत्र अधिनियम है। अनेक सार्वजनिक सुरक्षा और निवारण नज़रबंदी अधिनियम हैं। बलों को लोगों के जीवन, अंगों, सम्पत्ति और मान को क्षति पहुंचाने की असीमित शक्तियां दे दीगई है। इस विशेष विधेयक में "बलों" शब्द की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि राज्य पुलिस के किसी सदस्य पर भी यदि लोगों के विरूद्ध अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होती है। यह तो चरम सीमा की बात है। पेन्डुलम दूसरी तरफ चला जाता है। सामान्य स्थिति यह होनी चाहिए कि यदि केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन अथवा उसकी तरफ से कार्यवाही करता हैं तो राज्य सरकार को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। और यहां स्थिति यह है कि यदि वह राज्य सरकार के कर्मचारी का भी मामला है तो जिस पर लोगों के विरूद्ध अपराध करने का आरोप है तो भी केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली जानी चाहिए। महोदय क्या यह अनुचित नहीं है? हमें ज्ञात है कि बड़े पैमाने पर अत्याचार किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, यह विधेयक बलों को लोगों पर अत्याचार करते रहने के लाइसेंस दिये जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह तो लोगों को मौत के घाट उतारने का लाइसेंस है। यह लोगों को तंग करने का लाइसेंस है। यह लोगों की सम्पत्ति लूटने के लिए एक लाइसेंस है। यदि संघवाद के सिद्धांत, कानून के राज के सिद्धान्त की इस देश में कोई जगह है तो हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ इस विधेयक का विरोध करना चाहिए।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री के राममूर्ति टिंडीवनाम (कृष्णागिरि) : महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी शक्ति से समर्थन करता हूं। विधेयक स्वयं में बिल्कुल स्पष्ट है। उद्देश्यों और कारणें के कथन में भलीभांति समझाया गया है कि इस विधेयक को जब किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की जाती है तो उस अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों को किसी राज्य के कार्यो में अपना दायित्व निभाने पर उन्हें उनके विरूद्ध छिछोरी और परेशाान करने वाली कार्यवाहियों से बचाने हेतु और अधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु लाया गया है तथा इस के लिये राज्य सरकार की बजाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक समझा गया है।

महोदय, इसके बीच में एक कुछ बातें रुकावट बनी हुई हैं। एक तो यह कि इस विधेयक के गुण-दोष, दूसरे राज्य स्वायत्ता की वकालत अथवा इस चर्चा के दौरान दोनों कुछ बातों को परस्पर मिला दिया गया है।

जहां तक विधेयक की गुणवत्ता का सम्बंध है, कोई भी व्यक्ति इसमें दोष नहीं निकाल सकता क्योंकि इसका उद्देश्य अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सरकार एक स्थाई संस्था है, चाहे कोई भी दल सत्ता में आये। अधिकारियों के मन में सरकार के आदेशों को लागू करते समय

विश्वास की भावना होनी चाहिए और उसे यह भी पता होना चाहिये कि उसके द्वारा निभाये जाने वाले दायित्व को सही गलत ठहराने की शक्ति किसके पास होगी? क्या सरकार ही उसे किसी खास परिस्थिति में, किसी खास समय पर किसी खास तरीके से कार्य करने का आदेश देती है? अथवा क्या जो सरकार छः महीने अथवा एक वर्ष अथवा 2 वर्ष अथवा इससे अधिक समय के पश्चात आती है उसे ही यह निर्णय करना चाहिए कि क्या अमुक अधिकारी ने कारगर ढंग से अथवा सही ढंग से प्रदेश को कार्यान्वित किया अथवा उसने कोई गलती की थी। यदि इस पर विचार किया जाता है तो उसे सदैव आवश्यक समझा जाता है कि उस अधिकारी को जो उस सरकार के आदेशों को क्रियान्वित कर रहा है जिसके आधीन वह कार्य कर रहा है को अपनी सुरक्षा का यह विश्वास होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस खास विषय विशेष पर कोई अधिक मतभेद है। किन्तु इस तर्क से भ्रम पैदा होता है कि राज्य की स्वायत्ता को कम किया जा रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से केन्द्र का राजनीतिक अधिकार राज्य को थोपा गया है। प्रत्येक राजनीतिक दलराज्यों की स्वायत्ता की वकालत करता है लेकिन जब स्वयं मामला बन जाता है तो वहीदल राज्य स्वायत्ता को तिलांजलि देने में नही हिचकिचाता तथा केन्द्र को हस्तक्षेप करने को कहने लगता है और राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करने लग जाता है। उदाहरणार्थ, मेरे अपने राज्य तमिलनाडु में-मैं तमिलनाडु से आया हूं जब कावेरी विवाद हुआ तो हमने केन्द्र से हस्तक्षेप करने की मांग की। अभी हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों ने आंध्रप्रदेश के मामलो में केन्द्र से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसी प्रकार पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के मामलों में भी हुआ है। अतः जब यह आवश्यक हो जाता है, तब हमें अपने राज्यों की स्वायत्ता के अपने सिद्धांत को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। किसी भी राजनीतिक दलको केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग करने में झिझक महसूस नहीं होती। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में द्रमुक पार्टी जो राज्यों को स्वायत्ता की बात करती है, उसने किसी समय इस राज्य में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। इसी तरह अन्नाद्रमुक ने भी एक बार राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा ही किया है। इसी तरह आंध्रप्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी तेलुगु देशम ने भी अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दल अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की मांग करने में झिझक महसूस नहीं करते।

मैं एक अन्य उदाहरण दे सकता हूं कि 1965-66 में जब हमारे राज्य तमिलनाडु में हिन्दी विरोधी आन्दोलन जोरों पर था, हिंसा की अनेक बारदातें हुई थीं और जब पुलिस ने कार्यवाही की तो उसका प्रतिकार भी किया गया। अन्ततः वह सब समाप्त हो गया। इसके बाद 1967 में जब द्रमुक की सरकार बनी तो यह भय व्यक्त किया गया कि द्रमुक सरकार जिसने हिन्दी विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व किया था कतिपय अधिकारियो को दंडित करेगी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जिसने पुलिस कार्यवाही का आदेश दिया कि हिन्दी विरोधी आन्दोलन से संबंधित सभी फाइलों को जला दिया जाये और सचिव ने ऐसा ही किया। बाद में जब नये मुख्य मंत्री ने गद्दी संभाली, उसने उस अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इन फाइलों को जला देना गलत बात नहीं है। अधिकारी ने स्वीकारात्मक जवाब दिया। जब मुख्य मंत्री, श्री अन्ना ने एक बार पूछा कि क्या इस प्रकार का आदेश दिए जाने पर वह पुनः ऐसा करेगा तो अधिकारी ने कहा कि यदि आप लिखित आदेश देंगे तो मैं ऐसा ही करूंगा। अन्ततः पिछले मुख्य मंत्री ने फाइलों को जलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली ओर कहा कि ऐसा प्रशासन के हित में किया गया क्योंकि सरकार एक संस्था चला रही है। आप किसी अधिकारी को उसकी गलती के बिना दंडित नहीं कर सकते।

मुख्य मंत्री ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश कार्यान्वित करने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने ऐसा ही किया था और उनका बचाव करना मेरा काम है।

5.26 म० प० (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब आप अलग पृष्ठभूमि तैयार करके उन लोगों को दंडित नहीं कर सकते जिन्हें कई महीने पहले कोई कार्य करने को कहा गया था। उन्होंने विपक्ष को कहा कि जब आप विपक्ष में थे तो आपको पता नहीं था कि वास्तव में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या थी। चूंकि मैं प्रशासन में था इसलिए केवल मैं ही जान सकता था। अत: महोदय मैं यही कह सकता हूं कि ऐसे अनेक अवसर होते हैं जब अधिकारियों को एक खास तरीके से काम करना पड़ता है। और नि:संदेह तत्कालीन सरकार के निर्देश अथवा आदेशों के अनुसार ही करना होता है। इस प्रकार का विचार निवर्तमान मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया था और वर्तमान मुख्यमंत्री ने इसे सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया था। किन्तु, एक अधिकारी की कार्यवाही के संबंध में आप छ: महीने के बाद कैसे निर्णय ले सकते हैं? हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि इससे अत्यधिक केन्द्रीकरण का जन्म होता है और हम विकेन्द्रीयकरण की हिमायत कर रहे हैं।

जी हां हम विकेन्द्रीयकरण के पक्षधर हैं। असम में क्या हुआ था? क्या हमने केन्द्र से हस्तक्षेप करने की मांग नहीं की? पंजाब में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? क्या विपक्षी दल केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग नहीं करते रहे हैं? अत: इसका औचित्य देखना चाहिए कि किस सीमा तक हम इसके वर्तमान स्वरूप में संशोधन करना उचित मानते हैं।

विपक्ष के एक अन्य माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह संशोधन चालीस वर्षों के पश्चात् क्यों? प्रत्येक संशोधन अनुभवों की देन है। हमारा यह अनुभव रहा है कि राज्यों में हमारे राजनीतिक दल इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि ऐसा संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह एक ऐसा संशोधन है जो दोषी अधिकारियों का बचाव नहीं करता, आवांछनीय अधिकारियों , का बचाव नहीं करता है। ऐसे अधिकारियों को नहीं जो अनुचित कार्य करते हैं। यह एक ऐसा संशोधन है जो अधिकारियों में आत्मविश्वास पैदा करता है कि उसे लोकतांत्रिक ढंग से निर्भय होकर कार्य करना चाहिए। किसी लोकतंत्र में, यदि हम अपने सरकारी संस्थाओं, अपनी प्रशासनिक संस्थाओं को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते, तो हम किस प्रकार लोकतंत्र के अन्य मूल्यों को संरक्षण प्रदान करेंगे? इसलिए यह एक ऐसा विधेयक है, जिसकी बहुत आवश्यकता है और जिसे सम्पूर्ण सदन का समर्थन मिलना आवश्यक है। मेरा एकमात्र अनुरोध यही है कि इस विधेयक का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाये जिसके लिए इसे पुन:स्थापित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भगवान शंकर रावत।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, कम्यु. (मा०) दल को अभी तक नहीं पुकारा गया है। श्री अजय मुखोपाध्याय बोलने के लिए खड़े हैं। महोदय, यह तो विचित्र स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं उन्हें बुलाऊंगा। उनका नाम श्री रावत के बाद आयेगा।

(हिन्दी)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन लाया गया है मैं इसे अनावश्यक समझता हूं, इसलिए अनावश्यक समझता हूं कि इसमें राज्य के अधिकारिता का जो क्षेत्र है संविधान में प्रदत्त, उसमें अनुचित हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है। लॉ एंड आर्डर का सबजैक्ट राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ही सेन्ट्रल फोर्सेस को बुलाने के लिए इनवाइट करती है। इस संशोधन के माध्यम से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी कांस्टीटयूशन की बात में कहता हूं वह यहां आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी कांस्टीटयूशन में अधिकारिता बाटने को जो व्यवस्था को गयी है, क्षेत्र बनाया गया है उस सबका हनन करके उसकी हत्या की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शासन को ऐसा लगता है कि जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होगा उस समय उसके आदेशों के अर्न्तगत उनकी फोर्सेस जो गुनाह करेंगी उन गुनाहों को शील्ड करने का काम सैन्ट्रल गर्वनमैंट करना चाहती है। मुझे लगता है कि सैन्ट्रल गर्वनमेन्ट के सिर पर सशस्त्र बलों के अपराधिक कृत्यों का घोस्ट मंडरा रहा है। राष्ट्रपति का शासन लागू करके गलत तरीके से लोगों का रिप्रैशन करवाते हैं और उसके बाद जनता की चुनी हुई सरकार स्टेट में आ जाएगी तो कहीं वे उन फोर्सेस की एट्रौसिटीस के खिलाफ, उनके क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ प्रोसीक्यूशन की अनुमति न दें, इसके लिए यह अभेद कवच भी यह सरकार देना चाहती है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक होगे। सारी स्टेटस का लॉ एंड आर्डर, मोटी भाषा में तो बड़े-बड़े अधिकारी को कांस्टीटयूशन में भारी अधिकार में निहित हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश की सरकार, सरकार तो पुलिस के बल पर चलती है उस ताकत के आधार पर चलती है जो पुलिस और फोर्सेस के नाम से जानी जाती है। इसलिए फोर्स का नियत्रण सीधा सैन्ट्रल गर्वनमैंट का रहा तो स्टेट गर्वनमैंट के अधिकारी बलों को नियंत्रित करना चाहेगें भी तो उनका नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

इसलिये में कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की थी कि इस तरह के गैरकानूनी और अनकांस्टीटयूशनल प्राविजन लाकर इस देश के लोकतंत्र का हनन नहीं किया जाता बल्कि आवश्यकता इस बात की थी कि सी० आर० पी० सी० और अन्य कानूनों की बृहद समीक्षा करके किस तरह प्रभावी तरीके से देश के अन्दर रूल आफ लॉ कायम किया जा सके, संविधान के अन्दर सस्ता, सुलभ न्याय किस प्रकार दिया जा सके, उसकी समीक्षा की जाती, उसका प्रावधान किया जाता।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने सस्ता, सुलभ न्याय की आवश्यकता पर जनमत के दबाव को देखते हुए जसवंत सिंह आयोग की स्थापना की थी इस बात के लिये कि हाई कोर्ट की खंड-पीठों का डिसेंट्रलाइजेशन हो लेकिन जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आये कई वर्ष हो गये हैं। उसकी रिपोर्ट अलमारियों के अन्दर धूल चाट रही है। विकेन्द्रीयकरण किये जाने की अनेकों मागें आ रही हैं और हाई कोर्ट की खंड-पीठों की स्थापना की जाये, ऐसी भी मांग आ रही है लेकिन सरकार उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मैं मांग करता हूं कि जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को अविलम्ब लागू किया जाये। देश भर में खंडपीठ स्थापित करने का एक पैरामीटर होना चाहिये, एक नियमावली होनी चाहिये। उसके आधार पर खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिये। सिक्किम, गोवा की जो हाई कोर्ट है, उनका जो जूरिस्डिक्शन है, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जूरिस्डिक्शन में बड़ा भारी अन्तर है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आप विकेन्द्रीयकरण करिये तथा एक निश्चित मानक के आधार पर खंडपीठों की स्थापना करिये।

संविधान के अन्दर प्रावधान है कि जहां सुपर टाइम स्केल की जूडिशियरी है वहां पर काम करने वाले अधिकारियों को भी डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। कांस्टीट्यूशन के अन्दर यह प्रावधान है कि उनको अगर केन्द्र सरकार चाहे तो छोटी-मोटी याचिकायें या रिट सुनवाई हेतु उन्हें दे सकती है। बहुत ज्यादा वर्कलोड, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर सीधा चला जाता है, इससे उनके काम को कम किया जा सकता है।

अधिवक्ताओं को सामाजिक न्याय की बात अब में कहना चाहता हूं। सी० आर० पी० सी० के अन्दर एडवोकेट को रिकॉग्निशन दिया गया है और सैन्ट्रल इनैक्टमैंट भी है लेकिन अधिवक्ताओं और उनके मुंशियों के काम करने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उससे उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। शासन ने उनकी बड़ी भारी उपेक्षा की है। इस विषय पर और आगे न जाते हुए मैं इस टॉपिक को यहीं बंद करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि न्याय त्वरित गति से मिले। एक कहावत है, न्याय में देरी का अर्थ है न्याय न दिया जाना।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो कोर्ट के अन्दर बैक-लॉग आफ वर्क रहता है, उसको तय करने के लिये जजिस की संख्या बढाई जाये, सर्वाडिनेट जूडिशियरी की संख्या बढाई जाये। कुछ प्रदेशों के अन्दर एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था एमरजेंसी के दौरान। उसमें चूंकि काकेट जूरिस्डिक्शन का मामला है इसलिये कहना चाहूंगा कि एंटिसिपेटरी बेल को समाप्त करने के साथ ही जो लोगों के वैयाक्तिक स्वातंत्र्य के अधिकार पर डकैती डाली जा रही है और पुलिस राज कायम हो गया है जिन स्टेट्स में उसमें निश्चित रूप से इंटरफियरेंस होना चाहिये। केन्द्र की ओर से एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधान को स्टोर किया जाना चाहिए। सी० आर० पी० सी० नहीं, समूचे लॉ के मामले में कमीशन बैठाना चाहिये। जूडिशियल रिफार्म्स कमीशन बना था, उस कमीशन की जो सिफारिशें हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिये बृहद कानून लाया गया होता। आज आवश्यकता इस बात की है कि सी० आर पी० सी० को धर्म के आधार पर जोड़ दिया गया है। 125 का जो प्रावधान है उसमें मुस्लिम महिलाओं को निकाल दिया गया है। सी० आर० पी० सी० के संशोधन का वक्त आया है, यूनिफार्म सीविलकोड बनाने के लिये कार्रवाही की जाये, प्रस्ताव लाये जायें, तभी लोगों को न्याय मिल सकेगा।

पब्लिक सर्वेन्ट की बात हमारे मित्र ने कही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्वेन्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्दर ही काम नहीं करते हैं, वह स्टेट गवर्नमैंट के अन्तर्गत भी काम करते हैं। मैं एक अपील यह भी करना चाहूंगा कि जिस "फोर्सिस" शब्द को कहा गया है, उसको डिफाइन करें। कैटेगॉरिकली होम मिनिस्टर इस बात का जवाब दें कि "फोर्सिज" के नाम से प्रावधानों का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा।, मैं इसको वहमिन्टली अपोज करता हूं।

हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी के अन्दर, हिन्दुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर के अन्दर एक ऐसी चीज होती आ रही है जिससे इसकी हत्या हो जायेगी। आप इस हत्या को बचाइये वरना देश के जूडिशियरी के अन्दर से आस्था उठ जायेगी। लोग जब परेशान होते हैं, उत्पीड़ित होते हैं और सताये जाते हैं, तब ज्यूडिशियरी में जाकर गुहार करते हैं, अगर ज्यूडिशियरी में जाने के उस अधिकार को उनसे छीन लिया गया तो हमारे देश के अन्दर डैमोक्रेसी नहीं रहेगी और देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस एमेण्डमेण्ट का विरोध करता हूं

[1] कार्यवाही वृतांत में सम्मिहित नही किया गया।

(अनुवाद)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य 2 मई 1991 को अधिघोषित एक अध्यादेश का स्थान लेना है और इस प्रकार, दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 197 में संशोधन करके एक अपलब्ध को अधिनियमित करना है। यह विधेयक इतना निष्कपट नहीं है जैसा कि यहां इस सदन के उस सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस अध्यादेश को इतनी जल्दी जारी करना क्यों आवश्यक समझा गया और वह भी केवल दसवीं लोक सभा के चुनावों के लिए। इस अध्यादेश की उद्घोषणा से पहले, विगत में इस प्रकार के परिवर्तन का कभी विचार तक नहीं किया गया। अत: मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से कारण हैं जिसने उन्हें यह विधेयक लाने के लिए उत्प्रेरित किया है। यह तो राज्य सरकार के अधिकारों का सीधा अतिपप्रमण प्रतीत होता है और किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अर्थ यह नहीं होता कि राज्य सरकार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। राज्य सरकार तब भी बनी रहती है और इसलिए, इस प्रकार के संशोधन का कोई उचित आधार नहीं है।

प्रसंगवश, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र में शासक दल के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंधाधुंध दुरूपयोग के विरूद्ध हम वर्षों से लगातार आन्दोलन करते आ रहे हैं। इस उपबंध का बहुत कम अवसरों पर ही किया जाना आवश्यक है जबकि अब यह राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शासक दल के हाथों में एक अलोकतान्त्रिक हथियार बन कर रह गया है। इस हथियार से केन्द्र की कांग्रेस (इ) सरकार ने किसी न किसी बहाने अथवा बिना किसी बहाने भी, विभिन्न राज्यों में लोकतान्त्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें भंग कर दी थी। जहां तक मुझे स्मरण है, स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने के समय से अब तक इस देश के राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इस अनुच्छेद का 90 से अधिक बार उपयोग किया गया है। अब, यह अनुच्छेद संसदीय लोकतन्त्र के लिए एक खतरा बन गया है,, और अब इस विधेयक के माध्यम से सरकार सभी शक्तियों को अपने हाथ में केन्द्रीभूत करने की कोशिश कर रही है। यह कहा गया है कि वर्तमान विधेयक सरकारी कर्त्तव्य के अनुपालन हेतु किए गए कार्यों के लिए तुच्छ अथवा तंग किए जाने वाले अभियोजन से सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने हेतु लाया गया है। किन्तु, हम देख रहे हैं कि विभिन्न सशस्त्र बलों के कुछ सदस्य, सरकारी कर्मचारी प्राय: गंभीर अपराध कर देते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्णत: अशोभनीय होता है। कभी-कभी वे आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल नजर आते हैं किन्तु संरक्षण प्रदान करने के नाम पर अनेक अवसरों पर सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रवृति बढ़ती जा रही है जो लोकतन्त्र के लिए खतरनाक है।

मैं पश्चिम बंगाल में नदियाड जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भारत-बंगलादेश सीमा पर स्थित है। सीमा सुरक्षा बल का उद्देश्य देश की सीमाओं की रक्षा करना है। लेकिन यह बहुत ही दु:ख की बात है कि सशस्त्र बलों के अनेक सदस्य उस क्षेत्र के कुख्यात तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के हितों को संरक्षण देने में रूचि रखते हैं। उनमें से कुछ तो सीधे सीधे ही तस्करी एवं अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के निर्धन ग्रामीण लोग। प्राय: उत्पीडन एवं कठोर यातना के शिकार होते रहते हैं।

कुछ महीने पहले, सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवान देवनाथपुर नाम के एक सीमावर्ती गांव में घुस गए और बिना कोई चेतावनी दिए दिन - दहाड़े 11 निर्दोष गाँववालों की गोली मार कर हत्या कर दी। यह एक कूर हत्या थी जिसने न केवल उस जिले में, बल्कि पूरे राज्य के सभी वर्गों के लोगों में गहरा क्षोभ उत्पन्न कर दिया। उनके विरुद्ध अभी तक न तो कोई कठोर कदम उठाया गया है और न ही उन्हें कोई अनुकरणीय सजा ही दी गई है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। इसलिए पंजाब में गम्भीर स्थिति के नाम पर अथवा कोई अन्य तर्क देकर ऐसा अलोकतान्त्रिक विधेयक सभा के समक्ष लाना उपयुक्त नहीं होगा जिससे राज्य सरकार के अधिकारों का हनन होता हो। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले ले।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी इस काले विधेयक का निम्न कारणों से विरोध करती है।

अभी कांग्रेस (इ) पार्टी के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस सत्र के दौरान इस विधेयक को लाना इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि उन राज्यों में जहां कांग्रेस (इ) सत्ता में थी, कुछ अन्य पार्टियां सत्ता में आती जा रही हैं। इसलिए ऐसा विधेयक लाने की पृष्ठभूमि यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में गैर-कांग्रेस (इ) सरकारें हैं। अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों को पहले ही कई रक्षात्मक उपाय एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यदि राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद किसी राज्य विशेष में कोई विपक्षी दल सत्ता में आ जाता है और फिर ऐसे मामले को हाथ में लेता है जिसमें किसी अधिकारी को दोषी ठहराया गया है अथवा दण्डित किया गया है तब तो इस विधेयक की कुछ सार्थकता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रतिपक्षी दल की सत्ता के दौरान कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है। यदि प्रतिपक्षी दल द्वारा शासित सरकारों ने किसी अधिकारी को दण्डित नहीं किया है तो इस संशोधन विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है कि यह अध्यादेश संसदीय चुनावों से पहले जारी किया गया था। वे मानते थे कि पंजाब में अकाली दल अथवा किसी अन्य विपक्षी दल की सरकार बन जाएगी उन्हें यह भी आशंका थी कि सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, जिन्होंने पिछले चार साल के दौरान पंजाब में, तमिलनाडु में अथवा आन्ध्र प्रदेश में आम जनता को परेशान किया है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने यह अध्यादेश जारी किया है। अब यह सरकार इसी सत्र में इस विधेयक को ले आई है।

मैं इस सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि इस देश में निर्दोष लोगों के साथ की गई ज्यादतियों के लिए एक भी सरकारी अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया है। यह एक शक्तिशाली खण्ड है। वे राज्य सरकार के कर्मचारी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के बीच अन्तर कर रहे हैं जो वास्तव में गलत है। यदि कोई कर्मचारी गलती करता है तो ऐसी कई स्थितियां हैं जहां उसे बड़े अधिकारी का समर्थन प्राप्त होता है। पिछले 43 वर्षों के दौरान निर्दोष जनता के प्रति किए गए किसी भी अपराध के लिए किसी भी अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया है। इसी कारण में इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यदि सम्भव हो तो इस विधेयक को वापस ले लें और अधिकारियों को दिए गए रक्षात्मक उपायों को वापस ले लें।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरा मंत्री महोदय, से अनुरोध है कि वे कार्यकारी अधिकारियों, प्रशासनिक तंत्र को नैतिक आधार पर अर्थात नैतिक ढांचे के अन्तर्गत कार्य करने दें। उन्हें इन अधिकारियों को इस तरह का रक्षात्मक समर्थन नहीं देना चाहिए। आप कहां जा रहे हैं? अन्य देश लोकतान्त्रिक तरीके से चल रहे हैं। यह सरकार सब शक्तियों को केन्द्रीकृत करके तानाशाही लैया रही है। अपना भाषण समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) महोदय मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस वादविवाद में भाग लिया, उन्होंने इस बात के लिए अलग-अलग तरीके से चिन्ता जाहिर की कि राज्य के अधिकारों की तथा नागरिकों के अधिकारियों की रक्षा की जाये। मैं यहां उठाए गए उन सभी मुद्दों का जवाब देने के लिए अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं अपने माननीय मित्रों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा।

महोदय, ऐसा लगता है कि इस वादविवाद में भाग लेने वाले कुछ सदस्यों की यह धारणा है कि इस समय इस सरकार द्वारा लाया गया यह एक नया विधेयक है। वे समझते हैं कि गृह मंत्रालय एक दम नया विधेयक लाया है जिसके बारे में अब तक कोई भी बात नहीं सुनी गई थी। यही कारण है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि 40 वर्षों के बाद हम इस तरह का विधेयक ला रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 पहले ही इस देश में है। यह धारा पहले हो यहां है। यह नई बात नहीं है। यह विधेयक किस संदर्भ में लाया गया है? आज किस संदर्भ में यह संशोधन, यह विशेष विधेयक सभा के समक्ष लाया गया है? मेरा कहना है कि इस विधेयक में निहित प्रयोजन को समझना पड़ेगा। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा है तो आपने आध्यादेश पारित क्यों करवाया। संसद के सत्र के दौरान यह वास्तव में अध्यादेश पारित नहीं किया गया। जब पिछली कामचलाऊ सरकार थी तो दूसरे अर्थ में संसद नहीं थी। वास्तव में यह एक कामचलाऊ सरकार थी। उस समय उन्होंने अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों की हो रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए इसे अनिवार्य समझा। इसलिए तत्काल एक आदेश प्रख्यापित किया गया। अब मैं आपसे उसकी अभिपुष्टि करवाना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पीछे से इसकी अभिपुष्टि करवाना चाहूंगा क्योंकि अध्यादेश की अवधि 20 अगस्त तक थी। इसी स्पष्ट मुद्दे कारण मैं इस विधेयक को लाया हूँ।

(व्यवधान)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशन नगर): इस संशोधन को लाने की इतनी जल्दी क्या थी?

श्री एम० एम० जैकब: इस बात को मैं स्पष्ट करुंगा।

अध्यक्ष महोदय: हमें संक्षिप्त रुप से अपनी बात करनी चाहिए।

श्री एम० एम० जैकब: जब हमारे लिए श्री लोढ़ा बोल रहे थे, तो उन्होंने इस विधेयक के प्रति अपनी चिन्ता अभिव्यक्त की थी। जब संविधान एक का अधिवेशन चल रहा था और नौकरशाही को रक्षा के बारे में, सरकारी अधिकारियों के संरक्षणा के बारे में चर्चा चल रही थी राजनीति शास्त्र के अध्येता के रुप में, मुझे अभी तक याद है-वे सरदार पटेल के जो उठ खड़े हुए के तथा उन्होने कहा था कि "भारत

में नौकरशाही को संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक किस्म की सरकारें होंगी। विभिन्न राज्यों में एक ही तरह की सरकार नहीं होगी इसलिए किसी न किसी को नौकरशाही को संरक्षण देना होगा। उसके संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून होने चाहिए। अन्यथा वे निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाएंगे''। यही बात भारतीय प्रशासनिक सेवा पर भी लागू होती है।

यहां इस बात का उल्लेख करने का आशय यह है कि इसका मतलब भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना नहीं है। हम इस देश में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण नहीं देना चाहते हैं। यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके लिए कानून है और उन्हें न्यायालय में सामना करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बारे में एक निर्णय दिया गया है। एच० एच० बी गिल बनाम किंग ए आई आर 1948 एस० सी० 128, 133 के मामले में इस प्रकार निर्णय है :

"किसी सरकारी कर्मचारी से केवल वही कार्य करने को कहा जा सकता है अथवा उसका अभिप्राय अपनी सरकारी ड्यूटी के निर्वाह में वही कत्य करने से है, यह की उसका कृत्य उसकी सरकारी ड्यूटी के कार्यक्षेत्र में आता है। इस प्रकार रिश्वत प्राप्त करने में कोई न्यायाधीश न तो वह कृत्य करता है अथवा न उसका ऐसा कृत्य करने का अभिप्राय होता है यद्यपि जो निर्णय वह देता है वह ऐसा कृत्य हो सकता है। और न हीं कोई सरकारी चिकित्सा अधिकारी सरकारी कर्मचारी के रूप में रोगी की जेब काटने में ऐसा कृत्य करता है अथवा न उसका ऐसा अभिप्राय होता है यद्यपि चिकित्सा जांच अपने आप में ऐसा कृत्य हो सकता है। इसलिए यह परीक्षण ठीक हो सकता है और सरकारी कर्मचारी, यदि चुनौती दी जाय, तो तर्कसंगत रूप से दावा कर सकता है कि जो वह करता है, वह अपने पद पर बिना भय व बिना पक्षपात के करता है।"

पुनः माताजोग दुबे बनाम भारी ए आई आर 1956 एस० सी० 44 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया।

"दण्ड-विधान को अनिवार्य बनाने के लिए कृत्य और सरकारी कर्तव्य के निर्वाह के बीच एक तर्कसंगत संयोजन होना चाहिए। कृत्य का कर्तव्य के साथ ऐसा सम्बन्ध होना चाहिए जिससे वह मिथ्या अथवा काल्पनिक दावा करने के बजाय एक तर्कसंगत दावा प्रस्तुत कर सके कि उसने ऐसा अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के दौरान किया।"

श्री भगवान शंकर रावत : क्या स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एनफोर्समेंट को अपने परव्यू में ले रही है? (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री एम० एम० जैकब : मैंने इन दो फैसलों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि एक भावना पैदा हो गई थी कि एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने की कोशिश की गई थी, नहीं, महोदय यह एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : इस विधेयक में दोहरा संरक्षण देने तथा अनावश्यक संरक्षण

देने की बात भी कही गई है।

श्री एम० एम० जैकब : आज भी, वर्तमान अपराध प्रक्रिया में राज्य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाई करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति ली जाती है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने के बाद ही कार्यवाही की जाती है। राष्ट्रपतिके शासन की अवधि के दौरान कोई न कोई इसके लिए अवश्य जिम्मेदार होना चाहिए। इसके लिए केन्द्र जिम्मेदार है, उस अवधि के दौरान अधिकारियों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना नहीं है। यह केवल उसी निश्चित अवधि के लिए है, किसी अन्य अवधि के लिए नहीं है, हम राज्य के अधिकार को नहीं लेना चाहते हैं। संविधान में यह अत्यंत स्पष्ट है, हमारे पास तीन सूचियां हैं केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दंड प्रक्रिया संहित समवर्ती सूची में आती है अनुसूची 7 की सूची 3 ; इसलिए केन्द्रीय सरकार और इस सदन को इस तरह के कानून को लाने का पूरा अधिकार है। मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा। (**व्यवधान**)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के दौरान राज्य सरकार का अस्तित्व नहीं होता है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की शक्तियां भारत सरकार द्वारा छीनी जा रही हैं। (**व्यवधान**)

श्री एम० एम० जैकब : हम राज्यों के अधिकार नहीं छीन रहे हैं, राज्यों के अधिकार अपनी जगह हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप यह मान कर किये यह माननीय सदस्य कानूनी स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं।

श्री एम० एम० जैकब : मैं माननीय सदस्यों को इस वादविवाद में भाग लेने तथा अग्रिम रुप से सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं और अब मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक को एक मन से पारित करने में हमारी सहायता करें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित कर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम० एम० जैकब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए" । **(व्यवधान)**

श्री शाहाबुद्दीन सैयद : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप विचारण के समय बोल रहे हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन: इस समय भी, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे संघय सिद्धांतों, कानूनी नियमों का मलीदा न बनाएं और इस जनविरोधी अधिनियम को पारित न करें । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य सभा से संदेश - जारी

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न लिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त पंजाब में आम चुनाव रद्द करने सम्बंधी विधेयक 1991, की राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिकृत प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपसंघों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 17 सितम्बर 1991 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 16 सितम्बर, 1991 को पारित किए गए पंजाब में आम चुनाव रद्द करने सम्बंधी विधेयक 1991 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(व्यवधान)[1]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हमने इसे सदन में उल्लेख किया है, हाँ हमने इसका उल्लेख सदन में किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में कुछ अपेक्षित और अनपेक्षित मदें हैं। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मंत्रियों द्वारा दो वक्तव्य दिए जाएंगे और तब कुछ ऐसा है जो आपको बाद में बताया जाएगा। सदन की बैठक होगी और सहयोग का प्रदर्शन करते हुए सदन का कार्य पूरा होगा।

(व्यवधान)

कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, यह अनुचित है, आपको ऐसी बातों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, आप इस सदन के संरक्षक हैं । सभा का कार्य ऐसे नहीं चलाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी और वहां कुछ मामलों पर विचार किया गया था। मंत्री महोदय उन मामलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन मामलों पर सहमति हो गई थी, यह आपको सूचित कर दिया जाएगा, हम अंधेरे में कार्य नहीं कर रहे है। इस बारे में विचार किया गया है हम इसे केवल आपकी सहमति से ही लेंगे। बिना आपकी सहमति के हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हम नियमों का उलंघन करने के बजाए अति सतर्कता से उनका पालन कर रहे हैं। कृपया इस बात को समझने का प्रयास करें।

अब मैं दो वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं पहला कुमारी गिरिजा व्यास द्वारा

मंत्री द्वारा वक्तव्य

नेशनल पार्लियामेंटरी क्विज कार्यक्रम में स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आदाद के सम्बन्ध में की गई कतिपय टिप्पणी के बारे में

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते है दिनांक 6 सितम्बर 1991 को इस सम्मानित सदन में माननीय श्री मोहम्मद यूनूस सलीम ने दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक असम्मानजनक संदर्भ का मामला उठाया था। इस मामले में उनकी चिंता में शिरकत करते हुए सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह जी ने उन घटनाओं की जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया था और इस सदन को यह बताने के लिए कहा था कि क्या यह भूल अनजाने में हुई है या ऐसा जानबूझ कर किया गया है।

सदन के नेता के इस आश्वासन के अनुसरण में, इस मामले की बहुत ध्यानपूर्वक जांच की गई है। वर्ष 1989 में, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से ससदीय

कार्य मंत्रालय ने नेहरू पार्लियामेंटरी क्विज नामक योजना चलाई थी। यह क्विज प्रोग्राम 10+2 ग्रुप के स्कूली छात्रों के लिए था। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिनिधि टीमों को चार अंचलों में समूहों में बांटा गया था और दिनांक 17 जुलाई 1989 को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा के लिए इस परीक्षा के आधार पर आठ टीमें चुनी गई थीं। इस प्रकार चुनी गई आठ टीमें और दो स्टैण्ड बाई टीमें 28 से 31 अगस्त, 1989 तक बम्बई में एकत्र हुई। बम्बई के मैसर्ज युनाइटेड टेलीविजन ने प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में सात प्रकरणों वाले इस कार्यक्रम को तैयार किया। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विजेताओं को प्रमाणपत्र दिये गये। ये सात प्रकरण 9 से 21 नवम्बर, 1989 तक राष्ट्रीय हुक-अप पर प्रसारित किए गये।

दिनांक 6 फरवरी, 1990 को तत्कालीन सरकार ने दो क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया-एक, सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल स्तर के छात्रों के लिए और दूसरी, विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए। तत्कालीन सरकार द्वारा कार्यक्रम का शीर्षक नेहरू पार्लियामेंटरी क्विज के स्थान पर बदलकर नेशनल पार्लियामेंटरी क्विज कर दिया गया। राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों से इस स्पर्धा के लिए दो-दो विद्यार्थियों की प्रतिनिधि टीमें चुनने का अनुरोध किया गया। चयन की प्रक्रिया राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई। तत्पश्चात स्कूली और विश्वविद्यालयों के छात्रों की आठ-आठ सर्वोत्तम टीमों का चयन करने के लिए दिनांक 27 जुलाई, 1990 को देश भर के विभिन्न केन्द्रों में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई। प्रत्येक स्तर की दो-दो स्टैण्ड बाई टीमें भी चुनी गईं। फिल्मांकन के लिए ये टीमें बम्बई में एकत्र हुई और तीन से 10 अक्तूबर, 1990 तक कार्यक्रम का फिल्मांकन किया गया। इस अवधि के दौरान स्कूल स्तर तथा विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए सात-सात प्रकरणों का फिल्मांकन किया गया।

इन प्रकरणों के फिल्मांकन के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न और अन्य सामग्री मैसर्ज युनाइटेड टेलीविजन द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को अपलब्ध कराई गई थी। उक्त मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा इन प्रश्नों और सामग्री की जाच की गई और तब उसे तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किया गया जिन्होंने 21 सितम्बर, 1990 को तत्कालीन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री को निर्देश दिया कि वे देखें और अनुमोदन करें। तदनुसार, 24 सितम्बर, 1990 को इसका अनुमोदन कर दिया। उपयुक्त क्विज प्रतियोगिता का आधार यही सामग्री है।

पहले प्रकरण की वीडियो प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 24 अक्ततूबर, 1990 को प्राप्त हुई। संसदीय कार्य पद्धति के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध संसदीय कार्य मंत्रालय की टिप्पणी दिनांक 29 अक्तूबर 1990 को मैसर्ज चुनाइटेड टेलीविजन को भेज दी गई। दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकरणों की वीडियो प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को 16 नवम्बर, 1990 को प्राप्त हुई और मैसर्ज युनाइटिड टेलीविजन को उक्त मंत्रालय की टिप्पणी 19 नवम्बर, 1990 को भेज दी गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में उक्त संदर्भ का उसमें कोई उल्लेख नहीं था।

इस बीच, मैसर्ज युनाइटेड टेलीविजन का दूरदर्शन के साथ अतिरिक्त निःशुल्क विज्ञापन समय और टाइम स्लाट के बारे में विचार-विमर्श और पत्राचार चलता रहा। अगस्त के महीने में दूरदर्शन ने बिना किसी अतिरिक्त वाणिज्यिक समय दिए इस कार्यक्रम के लिए दिनांक 1 सितम्बर, 1991 से रात्रि 9.00 बजे का टाइम स्लाट देने का निर्णय लिया। इसके अनुसरण में, यूनाइटेड टेलीविजन ने दिनांक 27

अगस्त, 1991 को दूरदर्शन को पहले प्रकरण का यू-मैटिक भेजा। दूरदर्शन के दो निर्माताओं ने दिनांक 28 अगस्त, 1991 को इस कार्यक्रम का पूर्वावलोकन किया।

मौलाना अबुल कलाम आजाद के संदर्भ को लेकर ऐसा महसूस किया गया कि कार्यक्रम में उन जैसे सर्वसम्मानित राष्ट्रीय नेता के खिलाफ निन्दनीय टिप्पणी शामिल की गई है। संसदीय कार्य मंत्रालय के जिन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम का अवलोकन किया था, उन्होंने इसे संसदीय कार्य पद्धति की दृष्टि से ही देखा था। जहां तक दूरदर्शन के दो निर्माताओं का संबंध है, उनसे लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया है कि चूंकि इन प्रकरणों का पूर्वावलोकन संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जा चुका था, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम की विषय-वस्तु पर ध्यान देते हुए उसकी तकनीकी गुणवत्तापर बारीकी से विचार किया था। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच की। इन अधिकारियों के स्पष्टीकरण की जांच करने क़ा बाद, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इनकी नीयत में कोई खोट था। फिर भी, सभी संबंधित अधिकारियों ने इस संदर्भ के लिए गहरा खेद प्रकट किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने पहले ही राज्य सभा में राष्ट्र से माफी मांग ली है।

कार्यक्रम को देखने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय और दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करने के बाद सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री का यह मत है कि बिना किसी व्याख्यात्मक टिप्पणी के इन शब्दों का जोड़ा जाना आपत्तिजनक हो सकता है। लेकिन जिन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम पर कार्यवाई की है और जिन्होंने इसका पूर्वावलोकन किया है उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार के बाद संवेदनशील मामलों के संबंध में उन्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए चेतावनी दे दी गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात इस कार्यक्रम के बाकी सभी प्रकरणों का पूर्वावलोकन संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और दूरदर्शन के महानिदेशक द्वारा किया जाएगा। यह एक शिक्षाप्रद कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवाओं को लोकतंत्र अर्थात संसद की महान संस्था के बारे में जानकारी देना है। हमारा मानना है कि इस कार्यक्रम को बंद कर देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अधिकारियों से कहा गया है कि यह उपयोगी कार्यक्रम चलता रहे। लेकिन वे इस बात का बहुत ध्यान रखें कि तथ्य सही हों और उनमें कोई आपत्तिजनक बात न रहने पाए। यह आदेश भी दिए गए हैं कि अब तब बनाए गए ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्वावलोकन किया जाए। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को श्रद्धांजली के रूप में, दूरदर्शन ने रविवार दिनांक 8 सितम्बर, 1991 को फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार किया गया एक वृत्तचित्र प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित किया था, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम तथा मानव जीवन के सर्वोच्च मूल्यों के संवर्द्धन के लिए मौलाना आजाद के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाया गया है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह मामला 6 तारीख को यहां उठा था और राज्य सभा में भी ६ तारीख को उठा था। राज्य सभा में मंत्री महोदय ने 7 तारीख को जवाब दे दिया। इस हाउस में 12 दिन के बाद आज जवाब दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो लोअर हाउस की मर्यादा है, डेकोरम है, महत्व है उसको जानबूझ कर घटाया जा रहा है। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा जब दूसरे दिन जवाब दे सकते थे तो यहां भी आकर दो मिनट में उसको पढ़ सकते थे, इसमें क्या फर्क पड़ जाता। भविष्य में ऐसा न हो जो आज हो रहा है और इस लोअर हाउस को लोअर हाउस ही बनाकर न रखा जाये।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मल्लिकार्जुन श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से एक वक्तव्य देंगे।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मल्लिकार्जुन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुगम पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, कोई अनुपूरक सूची नहीं हैं **(व्यवधान)**, इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये वक्तव्य क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नीति परक बिवरण है।

(व्यवधान)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी रुप से जनता तक पहुँचाने के लिए प्रस्तावित उपाय **रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : इस सदन को स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक वितरण **प्रणाली के संबंध** में सदन में शुरु में एक वक्तव्य दिया था और वादा किया था कि सार्वजनिक वितरण **प्रणाली को** मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक योजना सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस ढ्ग से सुधार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है कि इसके लाभ जनता के उन वर्गो तक भी पहुँच सके जिन्हे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

इस प्रयास में पहले कदम के रुप में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के दूर से दूर भागो तक विशेषकर उन क्षेत्रों में पहुँच सके, जहाँ सबसे गरीब लोग एक बड़ी संख्या में रहते है, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित आदिवासी विकास परियोजना में सम्मिलित इलाको, आदिवासी बहुल राज्यो, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में सम्मिलित इलाके, निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रो तथा शहरो की गन्दी बस्तियों में स्थित है।

ऐसा करने में सरकार के तीन उद्देश्य है :-

(1) एक ऐसी सुपुर्दगी प्रणाली का विकास करना जिसके द्वारा उचित दर दुकानों को उनके बिक्री केन्द्र पर ही विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जा सके ;

(2) यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं पूर्व निर्धारित सस्ते मूल्यों पर दी जा सके ; और

(3) इसके अन्तर्गत क्रमशः वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करना, ताकि उपभोक्तओं के पोषण और सामाजिक जरुरतो से संबंधित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को इसमें शामिल किया जा सके।

ये विचार 23 और 24 अगस्त, 91 को हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परामर्शदात्री

परिषद की एक बैठक में रखे गए थे, जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्रियों ने भाग लिया था। राज्य सरकारो के प्रतिनिधियो तथा मुख्य मंत्रियों के साथ किए गए व्यापक और गहन विचार-विमर्श के आधार पर राज्यो द्वारा अगले एक महीने में किए जाने वाले उपायों के संबंध में एक पक्की कार्य-योजना बनाई गई है। ये उपाय इस प्रकार हैं :-

(क) इस कार्यक्रम के तहत लाए जाने वाले ब्लाकों और गाँवों का पता लगाना ;

(ख) उचित दर दुकानो की अपेक्षित संख्या ;

(ग) संबंधित क्षेत्र की विशिष्ट जरुरतों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली अन्य वस्तुओं का पता लगाना ;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने में मदद करने के लिए जरुरी आधार-ढाँचे तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे भंडारण स्थलो, ढुलाई तथा ऋण संबंधी सुविधाओं का पता लगाना तथा आवश्यकतानुसार उन्हें उपलब्ध कराना ;

(ङ) ऐसे तरीको का पता लगाना जिनसे क्षेत्र के लोगों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंध में शामिल किया जा सके, ताकि चोरी और हेरा-फेरी को समाप्त किया जा सके।

इस कार्य-योजना के अनुसरण में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे तत्काल कार्रवाई शुरु करे और सितम्बर, 1991 के मध्य तक इस दिशा में की गई प्रगति की सूचना दें। 16 सितम्बर, 91 तक हमें 9 राज्यों और 4 संघ राज्य-क्षेत्रो से विस्तृत सूचना देते हुए रिपोर्टें प्राप्त हुई है, जिनमें बताया गया है कि प्रथम चरण में सौपे गए कार्य को उन्होने पूरा कर लिया है। 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रो ने अभी अपेक्षित सूचना नही भेजी है। इन राज्यों से हमने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 16 सितम्बर को सम्पन्न हुई बैठक में अनुरोध किया है कि वे अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई पूरी करे तथा अनुपालन की सूचना दे।

प्रधान मंत्री जी ने सितम्बर, 1991 के अंत में राज्य सरकारो के प्रतिनिधियों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई है, ताकि प्रथम-चरण में जो कदम अपेक्षित है उनमें हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके तथा साथ ही आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जा सके।

प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों तथा राज्य सरकारो को इस बात पर विशेष जोर देते हुए बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब इस प्रणाली पर निगरानी रखने में स्थानीय लोगो का सक्रिय सहयोग हो।

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केंद्रीय पूल में उपलब्ध भंडार की मात्रा पर निर्भर करता है। एक भरोसेमंद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए यह अनिवार्य होता है कि खाद्यान्नो की यथेष्ट मात्रा में अधिप्राप्ति की जाए। राज्यों ने यह मान लिया है कि वे इस दिशा में अपने प्रयासो में तेजी लाएँगे। केंद्रीय सरकार अपनी ओर से यह कर सकती है कि ऐसे राज्यों को जो अपनी आवश्यता से थोड़ा अधिक अथवा कम खाद्यान्न पैदा करते हैं, उनके द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्न का एक हिस्सा उसी राज्य को आबंटित कर दिया जाए। इसके अलावा केन्द्र कुछ विनिर्मित वस्तुओं की वसूली के लिए भी कदम उठाएगा, जिन्हे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। इन प्रयासों के साथ-साथ चोरबाजारी तथा जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी करनी होगी।

राज्यो ने स्वीकार किया है कि वे एक समय-सीमा के भीतर ऊपर कही गई बातों के अनुसार एक भरोसेमंद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कायम कर देगे। राज्य तथा केंद्र इसे एक मिला-जुला प्रयास मानते हैं, जिसे चलाने में राज्यो की एक प्रमुख भूमिका है। हमने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक-दूसरे के साथ पूरा सहयोग करना स्वीकार किया है, ताकि इस प्रयास से जो अनुभव हमें प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम देश के अन्य भागों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का कार्य कर सकते हैं। इस बीच संयुक्त निरीक्षण दल बनाए जाएँगे, जिसमें केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकारी होंगे। ये दल पता लगाए गए क्षेत्रों में अंतिम वितरण बिन्दु पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की निगरानी तथा निरीक्षण करेंगे।

इस महत्वपूर्ण योजना को व्यवस्थित ढग से चलाते रहने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी प्रगति के बारे में समय-समय पर सदन को सूचित किया जाएगा।

सरकार को विश्वास है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम जो नई दिशा देने जा रहे हैं, उसके लिए किए जाने वाले इन प्रयासो के लिए सदन का पूरा-पूरा समर्थन है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है निर्मल कांति जी ! में इस मामले पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा यह नियम ३७२ के अधीन किसी नीति विष्यक मामले पर मंत्री महोदय का विवरण है। यह नीति विषयक मामला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है, इस मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य सभा में भी विवरण दिया जाएगा और राज्य सभा में वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतएवं मैंने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी और उनके स्थान पर यहां उनके एक साथी वक्तव्य देंगे। यह सब उसी मामले के बारे में है।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यहां पर क्लेरिफिकेशन का प्रोविजन नहीं है, तो मंत्री दो मिनट पहले बोलकर भी राज्य सभा में जा सकते थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में वह सांय 5.30 बजे का समय ही चाहते थे। मैंने उन्हें सायं 5.30 बजे का समय नहीं दिया मैंने कहा कि मैं सदन के कार्य को अव्यवस्थित नहीं करुंगा और उन्हे सायं 6 बजे वक्तव्य देने की अनुमति दी। यह निर्णय किया गया था। वह यह वक्तव्य साय. 5.30 बजे ही देना चाहते थे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दम दम) : परन्तु महोदय, कम से कम इसका कोई अनुपूरक उल्लेख किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप अन्यथा भी हमें काफी प्रभावित कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरा क्षोभ यह है कि वह ऐसा करने में असफल रहे।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन बनाए रखने के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करने की मांग की है, इस विषय पर नेताओं की बैठक में विचार किया गया था और चूंकि इस विषय में सहमति हो गई है अतएव अनुमति दी जा रही है,

गृहमंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : महोदय, मैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सहमत नहीं हुए थे, लेकिन मेरे विचार में आपने कहा था कि आप इन बातों के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन जहां तक संकल्प का सम्बंध है इस बारे में कोई असहमति नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उन्हें इसे प्रस्तुत करने का अधिकार है। हम इस बारे में सहमत थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम संकल्प की मदों का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी ने स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रखा है।

(व्यवधान)

श्री चंद्रजीत यादव (आजम गढ़) : इस बारे में विचार होगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अवश्य होगा।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़ गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पहलू को स्पष्ट करना चाहूंगा दो असम्बद्ध मामले भिन्न हैं। पहली आपत्ति तो संकल्प को प्रस्तुत करने में ही है और दूसरा यह है कि क्या हम संकल्प की मदों से सहमत हैं या नहीं। हम निश्चय ही संकल्प की मदों से सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जसवंत सिंह जी, मैंने जो कहा है वह यह है। यह मामला नेताओं की बैठक में उठाया गया था और वे इस बात से सहमत थे कि इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने यह नहीं कहा है कि आप इसे पारित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री जसवंत सिंह : यदि इसे अब प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके साथ कुछ और परेशानियां जुड़ी हुई हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उनका उल्लेख कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ,

श्री जसवंत सिंह : कुछ अन्य सम्बन्धित परेशानियां है और महोदय, मैं यह कहना ही केवल उचित समझता हूं कि मेरी याददाश्त में संसद के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जिसमें सत्र के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर कभी चर्चा न हुई हो।

हम इन्तजार कर रहे हैं और मेरे दल के नेता पिछले दो दिन से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा शुरु करने के लिए इन्तजार कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : इसे मंत्री जी ही शुरु करेंगे ।

श्री जसवंत सिंह : दूसरे, प्रस्ताव उनके नाम पर है । कल हमने पंजाब के बारे में चर्चा की थी । इस सत्र के उपांतिक समय, उपांतिक दिन जो कुछ वे ला रहे हैं उसे सरकार ला सकती थी ।

एक माननीय सदस्य : यह अन्तिम दिन है ।

श्री जसवन्त सिंह : अन्तिम दिन, संसद के वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन सरकार पंजाब के बारे में निष्ठुरता दिखा रही है और यह अपनी अक्षमता तथा असमर्थता दिखा रही है

(व्यवधान)

महोदय वे इस समय संकल्प ला रहे है । और वे राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने जैसे विषय पर सवा छः बजे चर्चा करना चाहते हैं । क्या वे ऐसा समझते हैं कि सभा इससे सहमत है ? मेरे विषय में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है ।

(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : (बड़ागरा) महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है । क्या कार्य मन्त्रणा समिति ने आपको यह सलाह दी थी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं ।

के०पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, यह मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने कहा लगता है ....

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के विरुद्ध व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नही उठाया जा सकता है । आपको प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का अध्ययन करना चाहिए ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है क्योंकि केवल कार्य मंत्रणा समिति ही ऐसा करने हेतु प्राधिकृत है । आप कुछ नेताओं के साथ, चाहे वे कोई भी हो, तदर्थ बैठक नहीं कर सकते और उनकी सलाह नहीं ले सकते । सभा का कार्य ऐसे कैसे चल सकता है ? क्या कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक उचित ढ्ग से बुलाई गई थी ? प्रक्रिया नियमों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या हम इस पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके समक्ष स्थिति स्पष्ट करता हूँ । यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया था । हमें यह सूचित किया गया था कि 11 नवम्बर को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है । यदि इसे जारी रखना आवश्यक है तो संविधान के प्रावधान में यह आवश्यक है कि संसद के

दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। यदि यह स्थिति है तो क्या किया जाना चाहिए ? अतः यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया। मैंने कहा कि हमें इस बारे में सभा में नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और यदि वे इस पर सहमत होते हैं तो हम ऐसा करेंगे। यह सच है कि यह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं थी। परन्तु आमतौर से जो नेता ऐसी बैठकों में भाग लेते हैं वे अक्सर कार्य मन्त्रणा समिति के भी सदस्य होते हैं। यदि श्री सोमनाथ चटर्जी वहां हैं, यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त उस बैठक में हैं, यदि श्री जसवन्त सिंह वहां है तो उनसे कार्य मन्त्रंणा समिति का कोरम पूरा हो जाता है। यह बैठक उतनी ही अच्छी है, जैसी कि कार्य मन्त्रणा समिति और दलों के नेताओं की बैठक है। इसलिए यह नियमित कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया ये सभी बातें मत कहिए।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : कृपया ये सभी बातें मत कहिए। आप बातों को बिगाड़ रहे हैं। कृपया ऐसा मत कहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक नहीं थी किन्तु कार्य मन्त्रणा समिति के सदस्य वहां थे। विशेष स्थितियों के कारण मैंने कहा था कि यह मामला सभा में उठाया जाएगा और यादि सभा सहमत होती है तो इसे ले लिया जाएगा। यह कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक से बड़ी बैठक थी। अतः हम साथ ही अधिक सचेत हैं क्योंकि सभी जटिलताएं आपके समक्ष नहीं रखी गई हैं, यही कारण है कि आपके मन में कुछ शंकाएं होना जरुरी हैं कि प्रक्रिया का ठीक ढंग से पालन किया गया है या नहीं। यही कारण है कि मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, अन्यथा इस बारे में स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं था।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं दूसरी बात स्पष्ट कर सकता हूँ। उस बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने यहां सभा में ही वार्ताओं के दो या तीन दौर रखे थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री रंगराजन कुमारमंगलम)**

मुझे खेद है। अध्यक्ष महोदय, उनकी सहमति प्राप्ति करने हेतु आमतौर से .....

श्री इन्द्रजीत यादव : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई अपराध किया है। मैं आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि विशेष स्थिति के कारण हम सभी सहमत हो गए थे। हमने कहा था कि हमें सहमत होना चाहिए और कल सभा की बैठक होनी चाहिए। श्री जसवंत सिंह गए और सभी से विचार विमर्श किया। और हमनें सोचा कि इस सत्र के अन्त में इसे नहीं लिया जाय और यदि जल्दीबाजी में इसे पारित करते हैं तो यह अच्छा नही होगा। इसलिए समय के बढानें हेतु सहमत होना बहुत मुश्किल है। परन्तु यह विचार विमर्श किया गया कि 'अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति' पर भी चर्चा की जानी चाहिए। प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। यह आज की कार्यसूची में है।

महोदय, इसके पश्चात, मैं अपने कार्यालय गया और अपनी टिकट को रद्द कराया। मुझे आज शाम को 7 बजे की उडान से जाना था। मुझे कल आजमगढ में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक

में भाग लेना है। क्योंकि 'अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर मैंने एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मेरा यहां रहना आवश्यक है। इसलिए, मैने कहा कि हमें कल बैठने तथा कार्यसूची में शामिल दोनों मुद्दों - 'अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा पंजाब स्थिति - पर चर्चा करने हेतु सहमत हो जाना चाहिए। अब शाम को अन्त में अचानक यदि आप ऐसा करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं तो मेरे विचार में सभा को इस प्रकार एक भाप के इंजन की तरह नही लेना चाहिए !

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मै यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सच है कि चर्चा के दौरान कुछ सहमति हुई थी परन्तु वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुचे थे कि वे इस पर कुल चर्चा करेंगे। परन्तु बहरहाल, अन्य दलों, विशेषतौर पर वामपंथी दलों, के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे जिन्होंने इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। परन्तु सभा की बैठक कल बढानें के बारे में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुच सके थे। इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि हमें इस पर आज चर्चा करनी चाहिए और यहीं कारण है कि चर्चा के लिए यह विषय लाया गया है।

यह सच है कि शायद चन्द्रजीत यादव जी को यह लगा था कि इस बात पर सहमति हो गई थी; वास्तव में सहमति नहीं हुई थी। जब अन्य नेता आए, वे सहमत नहीं हुए और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सभा की बैठक को बढाया न जाए।

श्री राम विलास पासवान रोसेडा : अधयक्ष जी, आज की जो लिस्ट ऑफ विजनैस थी, उसमें दसवें नंबर पर एस. वी. चव्हाण साहब का नाम था - कोड ऑफ क्रिमिनल प्रसीज़र का और 11 वें नंबर पर था। यह इंटरनेशनल सिचुएशन के सम्बन्ध में। आपको याद होगा कि जब हम लोग बैठे थे, लीडरों से मीटिंग हुई थी, उसमें हमने एक प्रपोजल रखा था कि एक्सटर्नल अफेर्यस के उपर डिस्कसन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं समझा जाए कि गवर्नमेंट की कोई एक्सटर्नल पॉलिसी है ही नहीं, तो इस पर एक डिवेट होनी चाहिए थी और उस समय यह माना गया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पर तो अब डिबेट नहीं हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशन के नाम पर डिवेट होगी और उस समय भी मुझे इस बात का शक था कि कहीं इसको कम इम्पोर्टेन्स न लिया जाए और इसलिए मैंने कहा था कि इस पर दिन में डिवेट होनी चाहिए थी, लेकिन कहा गया कि नहीं इसको कम इम्पोर्टेन्स नही मिलेगी, इसको उतनी ही इम्पोर्टेन्स दी जायेगी। अभी आपने बीच में पंजाब के इश्यू पर एक रिजोल्यूशन को यहां लाने की बात कही, इसका मतलब है कि पंजाब की समस्या भी उतनी ही भयावह है और उसके संबंध में तमाम साथियों की अलग-अलग राय है और सब लोग खुलकर, अपनी राय देना चाहेंगे और हम लोग जम कर के इसका विरोध भी करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जब पंजाब की समस्या पर डिवेट करवानी है, तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल सिचुएशन के सम्बन्ध में डिवेट नही करवाने जा रहे हैं और उस तरीके से भी आप इसको इम्पोर्टेन्स देने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आपको चलना ही है, तो जो विजनैस एडवायजरी कमेटी ने समय फिक्स किया है और जो आपकी लिस्ट आ चुकी है, तो फिर मुझे, क्या कहते हैं, ...

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : अध्यक्ष जी, यह 'घुसेडकर' शब्द बहुत खराब है।

श्री राम विलास पासवान : इसका मतलब है कि जोड़कर के, बढाकर के, किसी और चीज को ले आए हैं, तो यह नहीं होना चाहिए।

कल यदि लेंगे तो बहुत सारे सदस्य कहेंगे कि कल हाउस बढ़ाने का नहीं कहा था इसलिए हम चले गए और हमारी ऐबसैंस में हो गया। ये सब चीजें हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मैम्बर्स इसमें साथ देंगे।

(अनुवाद)

श्री जसवंत सिंह : मैं मानता हूं कि हम पंजाब के लिए संवैधानिक गतिरोध पैदा होने की अनुमति नहीं दे सकते । पंजाब पहले ही सामाजिक तथा राजनैतिक रुप से पीड़ित है । हम सरकार की समस्याओं, उनकी अपनी अक्षमता से उत्पन्न समस्याओं को समझ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : पूर्ण अक्षमता के कारण ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनकी अपनी अक्षमता के कारण ।

श्री जसवंत सिंह : यह उनकी अक्षमता, प्रदर्शित अक्षमता के कारण पैदा हो रही है । परन्तु इसके लिए आप सभा को दण्डित नहीं कर सकते तथा आप शाम को 6.30 बजे होने वाली चर्चा को नही रोक सकते ।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं श्री जसवंत सिंह से सहमत नहीं हूँ । दोनों सदनों द्वारा रद्द करने हेतु लाए जाने वाले विधेयक से पहले यह नहीं हो सकता । राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही तक इसे ला रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह समझ सकता हूँ कि गृहमंत्री खड़े होकर कहेंगे कि "हम, सक्षम नहीं हैं ।"

परन्तु वह और कोई बात नहीं कह सकते ।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : यह बहुत ही अनुचित बात है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं और यह सोचना आपका अधिकार है कि शायद अलग ढ़ग से कुछ किया जा सकता था । यह ठीक है । परन्तु कुछ संवैधानिक तथा कानूनी पेचीदगियां भी हैं . यदि हम उन संवैधानिक तथा कानूनी पेचीदगियां भी हैं । यदि हम उन संवैधानिक तथा कानूनी पेचीदगियां पर चर्चा शुरु करें तो काफी समय लग जाएगा ।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जो ये आज कह रहे हैं इनको कल भी मालूम था । अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में होगा कि कल स्पैसीफिक यह सवाल पूछा गया था कि आप डेट बताइए । श्री कुमारमंगलम ने यहां ये शब्द कहे थे, ऐग्जैक्ट वर्डिंग शायद ये नहीं होगी लेकिन उसका भाव यह था कि हम कांस्टीटयूशन अमैंडमैंट नहीं ला रहे हैं क्योंकि हम पहले चुनाव करवाना चाहते हैं ।

(अनुवाद)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मुझे खेद है । मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । और यह दुर्भाग्यपूर्ण है । यही कारण है कि मैंने कहा " उन्ही शब्दों में नहीं हो सकता । "

(हिन्दी)

श्री मदन लाल खुराना : इनको मालूम था कि ११ नवम्बर को छः महीने पूरे हो रहे हैं तो कल इसकी घोषणा क्यों नहीं की ।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, मैं समझ सकता हूँ । श्री कुमार मंगलम, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ और आपने इसे बहुत प्रभावपूर्ण ढग से व्यक्त किया है । अब, हम सभा की कार्यवाही शुरु करते हैं ।

श्री जसवंत सिंह : कल शुरु करेंगे ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : महोदय कल शुरु करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह ठीक नहीं है । मैं कह चुका हूँ । कि यदि सदस्यगण सहमत होते हैं तो तब कल बैठेंगे और कार्य करेंगे । परन्तु मुझे बताया गया था कि सदस्यगण केवल आज ही काम करना चाहते हैं । और यही कारण है कि मैंने वह नहीं किया ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ही यह सुझाव दिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो तब कल कार्य करेंगे । मैं इस पर कायम हूँ ।

साथ ही, मैं यह महसूस कर रहा था कि मान लीजिए हमने केवल 17 तारीख तक काम करने का निर्णय लिया था और यदि सभा को 18 तारीख तक बढ़ा दिया जाता है और सदस्यों ने कहा कि उन्हें पहले सूचित नहीं किया गया था, तो यह बात भी गलत होगी । और यही कारण है कि मुझे बताया गया था कि सदस्यगण आज कार्य करने के लिए तैयार हैं । हमने वह किया । कृपया अब सहयोग दीजिए । हमें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए ।

6.34 **म० प०**

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प ।

गृहमंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

" कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1991 से और छः महिने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है ।"

जैसा कि सभा को विदित है, राज्यपाल की सिफारिश पर पंजाब में राष्ट्रपति शासन 11 मई, 1987 को लागू किया गया था । राज्य में विधान सभा, जिसे शुरु में स्थगित रखा गया था । राज्य में विधान सभा, जिसे शुरु में स्थगित रखा गया था, को 6 मार्च, 1988 को स्थगित कर दिया

गया था। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा को लोक सभा तथा राज्य सभा ने 12 मई, 1987 को स्वीकृति दे दी गई थी।

चूंकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थित लगातार खराब रही है। इसलिए पंजाब में दोनों सदनों की स्वीकृति से समय-समय पर राष्ट्रपति शासन की अवधि आगे बढ़ाई जाती रही है। राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 10 नवम्बर 1991 को समाप्त होने वाली है।

पंजाब में चुनाव कराने के मुद्दे पर अप्रैल, 1991 में विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि पंजाब विधान सभा के चुनाव, लोक सभा चुनावों के साथ-साथ कराये जायें। तदनुसार पंजाब में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया था। पंजाब विधान सभा के लिए चुनाव लोक सभा चुनावों के साथ-साथ 22 जून, 1991 को होने थे। तथापि, भारत का निर्वाचन आयोग सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात से संतुष्ट था कि पंजाब राज्य में विद्यमान परिस्थितियों के कारण 22 जून, १९९१ को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना सम्भव नही था। इसलिए, चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि पंजाब में 22 जून 1991 के स्थान पर 25 सितम्बर, 1991 को चुनाव कराये जायेंगे। पंजाब में चुनाव कराने सम्बंधी चुनाव अधिसूचना को इस बीच रद्द कर दिया गया है।

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नवम्बर, 1990 में तो यह विषम स्थिति में पहुंच गई कि आतंकवादियों ने 91 पुलिस कर्मियों सहित 364 व्यक्तियों को मार डाला। तत्पश्चात् स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। यद्यपि हमेशा की तरह प्रत्येक महिने में स्थिति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इस वर्ष फरवरी, 1991 में यह संख्या सबसे कम रही जिसमें 44 पुलिस कर्मियों सहित 169 व्यक्ति मारे गये। मार्च 1991 में चुनाव की चर्चा के माहौल में आंतकवादियों ने पंजाब में अशांति पैदा करने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया था। उस समय से हिंसा की वारदातें बढ़ती चली गई हैं। चालू वर्ष में 31 अगस्त, 1991 तक 333 पुलिस कर्मियों सहित 1889 व्यक्ति मारे गये हैं।

सीमवर्ती जिलों में घुसपैठियों के खिलाफ सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने तथा व्यापक आतंकवादी-बंदी अभियान चलाने के परिणामस्वरुप आतंकवादी अपनी गतिविधियों का क्षेत्र भी बदल रहे हैं। पहले, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर जिले प्रभावित थे। अब आतंकवादी हिंसा दोआबा तथा मालवा क्षेत्र में भी फैल गयी है।

पंजाब प्रशासन का पंजाब में उत्पन्न स्थिति के बारे में यह जवाब है कि वर्ष 1990 के दौरान मारे गये 1321 और गिरफ्तार किये गये 1759 आतंकवादियों की तुलना में चालू वर्ष में 31 अगस्त, 1991 तक 1433 आंतकवादी मारे गये हैं तथा 1485 गिरफ्तार किये गये हैं। आंतकवादियों की गतिविधियों तथा इनसे हमदर्दी रखने वाले लोगों का भंडाफोड़ करने में जबरी प्रचार अभियान चलाया गया था और लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था।

पंजाब में नये राज्यपाल ने अभी अपना पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने स्थिति के बारे में अपना आकलन दे दिया है। उन्होने वर्तमान स्थिति को देखते हुए शीघ्र चुनाव आयोजित कराने में कुछ गंभीर, लगभग दुस्तर कठिनाइयों का अनुमान लगया है।

राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति कठिन बनी हुई है और हिंसा की वारदातें अधिक हो रही हैं। आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। गत महीने से सुरक्षा बल, खुंखार आतंकवादियों की चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। फिर भी, आक्रमक संघर्ष और अधिक हिंसा के इस दौर में लोगों के मन में ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए किसी विशेष और दीर्घकालीन प्रयास की जरुरत है जिससे वे खुलकर तथा निर्भय होकर अपना वोट दे सकें।

राज्यपाल ने विचार व्यक्त किया है कि पंजाब में चुनाव कराने के लिए उपायुक्त वातावरण आवश्यक है और यह किसी दबाव और आंतक से मुक्त होना चाहिए। कार्यों की गति को तेज करना आवश्यक होगा जिससे लोगों में विश्वास पुनः जगया जा सके। जहां विभिन्न मोर्चों पर समन्वित कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ेगी वही, मुख्य प्रयोजन यह रहेगा कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध हो जिससे आंतकवादी संगठनो पर प्रभावी ढ्ग से नियंत्रण रखा जा सके।

इस परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल ने पंजाब में 10 नवम्बर, 1991 से आगे छः महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की सिफारिश की है।

राज्य की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करते हुए यह प्रस्ताव किया जात है कि पंजाब में 11 नवम्बर, 1991 से आगे छः महिने की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखा जाए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिष्ठित सदन से मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए इस संकल्प को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1991 से और छः महिने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

(हिन्दी) (लखनऊ)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। हम उस पर गहराई से विचार करना चाहेगें। अभी तो हमें वक्तव्य की प्रतियां भी नहीं मिली हैं और इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं आपसे विशेष तौर से अनुरोध करना चाहता हूं, यह ठीक है कि एक राय यह बनी थी कि आज ही इस मामले पर विचार हो जाना चाहिए लेकिन अब राय यह बन रही है कि इसपर विचार के लिए थोड़ा अधिक समय मिलना चाहिए और कल सदन की बैठक हो ताकि हम इस पर भी विचार कर सकें और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर भी चर्चा कर सकें। मैं समझता हूं इस पर सत्ता पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री राम विलास पासलन : **(रोसेड़ा)** अध्यक्ष जी, इधर से जितने भी अपोजीशन के लोग हैं, हम सबों की यह राय है कि इस महत्वपूर्ण विषय को हल्के ढ्ग से नहीं लिया जाय और इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। इण्टरनेशनल सिचुएशन के ऊपर भी गम्भीरतपूर्वक विचार किया

जाय । इसलिए आज हाउस को एडर्जन कीजिए, कल बैठक बुलाई जाय और फिर कल हम इस पर चर्चा करें ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अभी तो हमारे हाथ में कोई स्टेटमैण्ट ही नहीं है ।

(अनुवाद)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, सदन की कार्यावधि कल तक के लिए बढ़ायी जा सकती है और हम पंजाब पर चर्चा कर सकते हैं । यदि हम आंतरिक स्थिति पर चर्चा किये बिना अलग-अलग हो जाते हैं तो ऐसा करना हमारी कार्य निष्पति की बदनामी होगी । (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए और सर्वानुमति से किसी निष्कर्ष पर पहुचने के लिए, सदन ने मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को सुना है । अनुपूरक कार्य सूची में दर्शाया गया है कि वे अपना वह संकल्प पेश करेंगे जो इस समय परिचालित किया जा रहा है । हमने सरकार के साथ सहयोग किया है । अब सत्ता पक्ष को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए । हमें कल बैठना चाहिए और दोनों मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए । परन्तु, उन्होने पहले ही अपना प्रस्ताव पेश करना शुरु कर दिया है ।

श्री एस.बी. चव्हाण : मैं इस संकल्प को पंजाब में चुनाव रद्द करने सम्बंधी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से पहले पेश नही कर सकता था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फर पुर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य को आज ही परिचालित किया जाना चाहिए, कल नही ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं आपसे दो आश्वासन चाहता हूं । पहला कल शून्य काल नही होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे यहां नही उठाता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम आपको सहयोग देंगे । परन्तु, आपको शून्य काल पर सहमत ही नही होना चाहिए । आपको पिछली पंक्तियों में बैठने वाले सदस्यों के नाम और अन्य बातों पर लोगों को प्रोत्साहित नही करना चाहिए । **(व्यवधान)**

दूसरा, मैं आपसे यह आश्वासन चाहूंगा कि हम परसों नही बैठेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अहमद (मंजेरी) : महोदय, मुझे श्री इंद्रजीत गुप्त के इस उल्लेख पर कड़ी आपत्ति है कि अध्यक्ष महोदय शून्य काल के दौरान पिछली पंक्तियों पर बैठने वाले सदस्यों की अवसर देते रहे हैं । केवल आज और कल ही अध्यक्ष महोदय पिछली पंक्तियों में बैठने वाले सदस्यों के प्रति उदार रहे । उन्हें भी तो अपने विचार व्यक्त करने का कोई अवसर मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना स्वविवेक इस्तेमाल करुंगा ।

श्री ई. अहमद : मेरा आशय श्री इंद्रजीत गुप्त के विरुद्ध कुछ कहने का नही था । मैने केवल यही कहा कि सदस्यों को भी कुछ अवसर मिले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको और श्री इंद्रजीत गुप्त का धन्यवाद करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप जो कहते रहे हैं उससे मैं नाराज नही हूं । अपको कल ऐसा नही करना चाहिए । उन्हें इस बात को तोड़ मरोड़कर मेरे विरुद्ध कहने का प्रयास नही करना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके द्वारा दिये गये सम्मान और दर्शाई गई सहानुभूति समझता हूं ।

(हिन्दी)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी हमने यह कहावत तो सुनी थी कि जिसको गवर्नमेंट कहते हैं । वह मिनट-मिनट पर गौर करती है मगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य के बाद आज ऐसा लगता है, विरोधी पक्ष तो एक एक मिनट में तीन-तीन बार गौर करता है ।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : वे बढ़िया सहयोग दे रहे हैं । मैं इस तथ्य का साक्षी हूं कि वे बढ़िया सहयोग दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल एक बात, मुझे नही मालूम कि माधव सिंह सोलंकी कल यहां पर होंगे या नही क्योंकि वह कल देश से बाहर जा रहे हैं । मैने उनसे कहा था कि कल हम कार्य नहीं कर रहे हैं और वे विदेश जा सकते हैं । आपकी अनुमति से में उन्हें विदेश जाने की अनुमति दूंगा और उनके सहयोगी वाद-विवाद का जबाव दे सकते हैं । कृपया इस बात से नाराज न हों ।

(व्यवधान)

जार्ज फर्नान्डीज : हमने अपने कल के कार्यक्रम रद्द कर दिये हैं और हम यहां होंगे ।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : महोदय, मैं विदेश मंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को समझ सकता हूं और यदि उन्होंने 18 ता० को यात्रा पर जाने का कोई वचन दिया है ...

अध्यक्ष महोदय : हम उनसे पता करेंगे .....

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय मेरे कहने का मतलब यह नही है कि विदेश राज्य मंत्री की क्षमता के प्रति मुझे किसी प्रकार की शंका है या मैं उनका अनादर करता हूँ । परन्तु बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बंधी प्रस्ताव पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के समय यदि मंत्री महोदय स्वंय उपस्थित न हों तो

मेरे विचार से इस सम्बंध में चर्चा करना व्यर्थ होगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां, सोलंकी जी ....

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यदि माननीय मंत्री जा रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हो सकते हैं ...

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हम यदि कल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करेगे और मंत्री महोदय किसी दूसरे देश में होगे तो वह देश मंत्री महोदय के बारे में क्या सोचेगा, मेरी समझ में नहीं आता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, इस तरह नही ।

विदेश मंत्री (श्री माधव सोलंकी) : महोदय में यहीं हूँ और मेरा विमान देर से जायेगा । में यहां १२ बजे रात्रि तक बैठ सकता हूँ यदि आप इस पर आज ही चर्चा करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

मेरे सहयोगी श्री फैलीरो, जिन्होने यह प्रस्ताव पेश किया है, वो भी यहीं हैं और में भी यहीं हूं । परन्तु मुझे आज रात जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : माधव सिंह जी, एक मिनट, मंत्री महोदय के प्रति पूरा आदर जताते हुए वह कह रहे थे कि आपको देश से बाहर जाना चाहिए, खैर, मैने साहस जुटाया और कहा कि हम आज कार्य सामाप्त करेंगे और यदि आपने जाना है तो कृपया आप जा सकते हैं ।

हम सभी समझते हैं कि उनका एक सक्षम सहयोगी यहां रहेगा और उन्हें देश से बाहर भी कुछ महत्वपूर्ण मामलों को निपटाना होता है । मैं आशा करता हूँ कि आप इसे गलत न समझें और हम उन्हें जाने की अनुमति देंगे ।

6.646 **म.प. लोक सभा की बैठक के बारे में**

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का सम्मान करते हुए हम आज सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं और सदन की कार्यवाही ठीक ११ बजे शुरु होगी ।

6.47 **म.प. : लोक सभा बुद्धवार, 18 सितम्बर 1991/**

27 भाद्र, 1993 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

मेरे विचार से इस सम्बंध में चर्चा करना व्यर्थ होगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां, सोलंकी जी ....

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यदि माननीय मंत्री जा रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हो सकते हैं ...

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हम यदि कल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करेगे और मंत्री महोदय किसी दूसरे देश में होगे तो वह देश मंत्री महोदय के बारे में क्या सोचेगा, मेरी समझ में नहीं आता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, इस तरह नही ।

विदेश मंत्री (श्री माधव सोलंकी) : महोदय में यहीं हूँ और मेरा विमान देर से जायेगा । में यहां १२ बजे रात्रि तक बैठ सकता हूँ यदि आप इस पर आज ही चर्चा करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

मेरे सहयोगी श्री फैलीरो, जिन्होने यह प्रस्ताव पेश किया है, वो भी यहीं हैं और में भी यहीं हूं । परन्तु मुझे आज रात जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : माधव सिंह जी, एक मिनट, मंत्री महोदय के प्रति पूरा आदर जताते हुए वह कह रहे थे कि आपको देश से बाहर जाना चाहिए, खैर, मैने साहस जुटाया और कहा कि हम आज कार्य सामाप्त करेंगे और यदि आपने जाना है तो कृपया आप जा सकते हैं ।

हम सभी समझते हैं कि उनका एक सक्षम सहयोगी यहां रहेगा और उन्हें देश से बाहर भी कुछ महत्वपूर्ण मामलों को निपटाना होता है । मैं आशा करता हूँ कि आप इसे गलत न समझें और हम उन्हें जाने की अनुमति देंगे ।

6.646 म.प. लोक सभा की बैठक के बारे में

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का सम्मान करते हुए हम आज सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं और सदन की कार्यवाही ठीक ११ बजे शुरु होगी ।

6.47 म.प. : लोक सभा बुद्धवार, 18 सितम्बर 1991/

27 भाद्र, 1993 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।